महानगर नई दिल्ली सोमवार 23 मार्च, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

देश में कोरोना बंदी

देश के 80 जिलों में केंद्र ने पूर्ण बंदी का एलान किया

रेलवे ने देश भर में सभी ट्रेन सेवाएं रोकीं, सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

सरकार ने कोरोना विषाणु के संक्रमण के मद्देनजर 17 राज्यों व दिल्ली सहित पांच केंद्रशासित प्रदेशों के 80 जिलों में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) की घोषणा की है। इस बीच, नौ राज्यों ने भी अपने स्तर पर पूर्ण बंदी का एलान किया है।

इन राज्यों में पंजाब, दिल्ली, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, नगालैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में और मध्य प्रदेश के नौ जिलों में भी वहां की सरकारों ने बंदी का एलान किया है।

रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाएं रोक दी हैं। हालांकि, मालगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश बाकी पेज 8 पर

मुख्य बातें

अंतरराज्यीय बस सेवाएं, सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।

पूर्ण बंदी वाले इलाकों में केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।

पूरी दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू।

जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम भुगतान में राहत की घोषणा की।

स्टेट बैंक ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई दल का गठन।

रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और चाक चौबंद रखने के लिए आपात स्तर पर 'युद्ध-कक्ष' तैयार किया, इस कक्ष में रिजर्व बैंक के 90 महत्त्वपूर्ण कर्मचारी तैनात।

कोरोना के डर से कार विनिर्माताओं महिंद्रा, मारुति व होंडा ने संयंत्र बंद किए।

मृतकों की संख्या सात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

कोरना के संक्रमण से देश में तीन और लोगों की मौत के साथ ही इस विषाणु से मरने वालों की संख्या सात हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि देश में अब तक कोरोना विषाणु से 360 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं जिनमें 41 विदेशी नागरिक हैं।

पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वह गुर्दे की बीमार से भी ग्रस्त था और कतर से लौटा था। वहीं मुंबई में 63 वर्षीय एक मरीज और गुजरात के सूरत में 67 वर्षीय एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को मुंबई में कोरोना विषाणु के 63 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस संक्रामक रोग से दो लोगों की मौत हो चुकी है। इस व्यक्ति को शनिवार को यहां एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया बाकी पेज 8 पर

भारत में संक्रमित लोगों की संख्या
शनिवार : 283
रविवार : 360

दुनिया में संक्रमितों की संख्या
प्रभावित देश : 184
संक्रमित : 3,00,000 से ज्यादा
मौतें : 13,000 से ज्यादा
ठीक हुए : 95,000 से ज्यादा

कहर की कड़ी तोड़ने की कामयाब कवायद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को पूरा देश एकजुट दिखा। 'जनता कर्फ्यू' की अपील का व्यापक असर दिखा, पूरे देश में लोगों ने अभूतपूर्व बंदी की। कोरोना विषाणु का फैलाव रोकने की कवायद के मद्देनजर लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की स्वतः पहल की। लोग अपने घरों तक सीमित रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी अपील के तहत लोगों ने ठीक शाम पांच बजे बर्तन, तालियां, घंटी, शंख बजाकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुरक्षाबलों के जवानों, डॉक्टरों, सफाईकर्मियों के प्रति अपना सम्मान जताया। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से ये अपील की थी।

सुबह सात बजे जनता कर्फ्यू प्रभावी होने के बाद लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की पहल के तहत खुद को घरों के भीतर ही सीमित रखा और सार्वजनिक परिवहन के कुछेक वाहन खाली सड़कों पर नजर आए। जनता कर्फ्यू का देश भर में व्यापक असर दिखा। देशभर के बाकी पेज 8 पर

अनिश्चितकाल तक के लिए टल सकता है एनपीआर व जनगणना का पहला चरण

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

एक अप्रैल से प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने और जनगणना-2021 के पहले चरण को कोरोना वायरस के चलते अनिश्चितकाल तक के लिए टाला जा सकता है। एक-दो दिन में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के उच्च स्तर पर इस संभावना पर चर्चा चल रही है। एनपीआर और जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने के काम के पहले चरण को कोरोना वायरस के चलते टाला जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि एनपीआर को अद्यतन करने और जनगणना के पहले चरण में घरों को सूचीबद्ध करने का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर तक होना है। गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि जनगणना 2021 और एनपीआर को अद्यतन करने की तैयारियां अंतिम चरण में है और एक अप्रैल को यह शुरू होगा।

कोरोना संक्रमण के कारण यह कदम उठाया जा सकता है।

एक-दो दिन में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने यह बात जनगणना और एनपीआर की तैयारियों पर निदेशकों के सम्मेलन के बाद कहा। उल्लेखनीय है कि कई राज्य सरकारों ने एनपीआर का विरोध किया और यहां तक इसको लेकर चिंताओं को प्रकट करने के लिए कुछ राज्यों ने अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया है।

केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार ने एनपीआर का विरोध किया है। हालांकि, स्पष्ट किया है कि वे जनगणना के पहले चरण में घरों को सूचीबद्ध करने के काम में सहयोग करेंगे।

पूर्ण बंदी में क्या हां, क्या ना

क्या-क्या खुला रहेगा

दूध, सब्जी और दवा की दुकानें लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी।

अस्पताल और क्लीनिक खुले रहेंगे।

राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

पेट्रोल पंप-एटीएम आवश्यक श्रेणी में हैं, इसलिए जरूरत के हिसाब से इन्हें खोला जा सकता है।

निजी वाहन

बहुत जरूरी हो तो ही पूर्ण बंदी में निजी वाहनों का प्रयोग हो सकेगा।

बिना वजह बाहर घूमने पर सरकार कर सकती है कार्रवाई।

आपात स्थिति में एंबुलेंस बुला सकते हैं।

दिल्ली में 31 मार्च तक पूर्ण बंदी

नई दिल्ली, 22 मार्च (जनसत्ता संवाददाता)।

दिल्ली में 31 मार्च तक पूर्ण बंदी (लाक डाउन) का एलान कर दिया गया है। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। उप राज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

सरकार ने जनता से अपील कि है कि केवल जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। बंदी के तहत आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बस आटो, टैक्सी, ई रिक्शा सहित कोई भी सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा।

डीटीसी की भी 25 फीसद बसें ही चलेंगी और दिल्ली के सभी बाजार, दुकान व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली की सभी सीमाएं बंद रहेंगी, केवल जरूरी समान लाने की अनुमति होगी।

मेट्रो, धार्मिक स्थल बंद व निजी संस्थान बंद रहेंगे। निजी संस्थानों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा, इसलिए उनको तनख्वाह देनी होगी। निर्माण गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। -संबंधित खबर पेज 3 पर

शाहीन बाग धरनास्थल व जामिया के गेट पर फेंके बम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 मार्च।

शरारती तत्वों ने रविवार को शाहीन बाग में धरनास्थल और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर बम फेंका और गोली चलाई।

उपायुक्त दक्षिण-पूर्वी आरपी मीणा ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने रविवार को शाहीन बाग धरनास्थल पर कथित तौर पर गोली चलाई और खाली पड़े प्रदर्शन स्थल पर बम फेंका। पुलिस का कहना है कि कोई गली से आया और अवरोधक के पास पेट्रोल बम जैसी कोई चीज फेंककर भाग गया। उपायुक्त दक्षिण-पूर्वी आरपी मीणा ने बताया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर जब्त टूटी हुई बोतलें, एक लाइटर और एक खाली कारतूस की जांच कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने इस घटना को अंजाम दिया।

उधर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट संख्या छह के पास घटनास्थल से एक टूटी हुई बोतल, एक लाइटर बाकी पेज 8 पर

दोनों ही स्थानों से टूटी बोतलें, लाइटर और कारतूस बरामद जामिया प्रशासन ने पुलिस को मुहैया कराए। **सीसीटीवी** फुटेज दोनों ही जगहें खाली होने से नहीं हुआ कोई नुकसान।

सुकमा में 17 लापता जवानों के शव बरामद

रायपुर, 22 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में हुए लापता 17 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 17 जवानों के शवों को बरामद कर लिया है और उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। जवान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं।

सुंदरराज ने बताया कि शनिवार को सुकमा जिले के एलमागुड़ा में नक्सली गतिविधियों की सूचना के बाद चितागुफा, बुरकपाल और तिमेलवाड़ा से डीआरजी, एसटीएफ और सीआपीएफ के कोबरा बटालियन के छह सौ जवानों को रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बल के जवान मिनपा गांव के जंगल में थे तब लगभग 250 की संख्या में नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। इस घटना में 15 जवान घायल हो गए थे। लगभग ढाई घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी होने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद 17 जवान लापता हो गए थे। बाद में सुरक्षा बलों ने लापता जवानों की खोज में खोजी अभियान चलाया था। रविवार को लापता जवानों के शव बरामद कर लिए गए।

नक्सली हमले में शहीद हुए जवान, 15 जवान घायल जिनमें दो की हालत गंभीर।

मिनपा गांव के जंगल में ढाई सौ की संख्या में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला।

शहीद जवानों के शवों को जंगल से बाहर निकाला जा रहा है।

इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने इस घटना में 14 जवानों के घायल होने और 13 जवानों के लापता होने की सूचना दी थी। मुठभेड़ में घायल जवानों को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से दो की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद से 16 हथियार भी गायब है जिसमें एके 47 और अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर जैसे हथियार शामिल हैं।

नौ राज्यों में पूरी तरह बंदी

झारखंड में बंद

रांची, 22 मार्च (भाषा)।

झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी अधिसूचना में बताया गया कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, फैक्टरियां, गोदाम, साप्ताहिक बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे।

इस दौरान सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे लेकिन जरूरत हुई तो उनके विभागाध्यक्ष उन्हें कार्यालय में बाकी पेज 8 पर

पंजाब 31 तक बंद

चंडीगढ़, 22 मार्च (भाषा)।

पंजाब सरकार ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर रविवार को पूरे राज्य में 31 मार्च तक बंद (लॉकडाउन) लागू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि बंद के दौरान सभी जरूरी और सरकारी सेवाएं चालू रहेंगी।

उन्होंने ट्वीट किया, 'कोविड-19 की रोकथाम के लिए 31 मार्च तक पूरे राज्य में बंद करने का आदेश दिया।' सिंह ने ट्वीट किया, 'सभी जरूरी सरकारी सेवाएं जारी बाकी पेज 8 पर

समूचा उत्तराखंड बंद

देहरादून, 22 मार्च (जनसत्ता संवाददाता)।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के मद्देनजर 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में रविवार को बंदी (लॉकडाउन) का एलान कर दिया। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, 'प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर बाकी सभी सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश की जनता का घरों में रहना और सरकार के साथ सहयोग करना जरूरी है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि इस दौरान खाद्यान्न और स्वास्थ्य जरूरतों बाकी पेज 8 पर

बंगाल 27 तक बंद

कोलकाता, 22 मार्च (जनसत्ता)।

कोरोना विषाणु के लगातार फैलते संक्रमण को देखते हुए आखिरकार राज्य सरकार ने भी लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। इस दौरान सभी दुकानें, औद्योगिक संस्थान, दफ्तर कारखाने, कार्यशाला और गोदाम बंद रहेंगे। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। सात से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है।

इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 23 मार्च शाम चार बजे से 27 मार्च बाकी पेज 8 पर

राजस्थान में भी बंद

जयपुर, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के सभी शहरों में सुबह सात बजे शुरू हुए जनता कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के बाकी पेज 8 पर

बिहार भी बंद

पटना, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि कोरोना विषाणु के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक पूरे राज्य में लॉकडाउन करने का निर्णय किया है। इस बंदी के दायरे से आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर और नगालैड में भी पूर्ण बंदी पेज 8

कोरोना के मद्देनजर आइबीए की लोगों से अपील — **संक्रमण का खतरा** — **ऑनलाइन बैंकिंग पर जोर देने का अनुरोध**

नोट या सिक्के लेने या देने के बाद हाथ धोएं

विशेषज्ञों की चेतावनी

मौजूदा हालात में डेबिट व क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। प्लास्टिक कार्ड पर कोरोना विषाणु 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। मशीन में इसके इस्तेमाल के दौरान आपके कार्ड पर भी यह वायरस आ सकता है। इसी तरह एटीएम मशीनों पर भी संक्रमण का खतरा हो सकता है।

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने लोगों से नोट या सिक्कों का लेन-देन करने के बाद हाथ धोने की अपील की है।

आइबीए ने ग्राहकों से कहा है कि जहां तक संभव हो, लेन-देन के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग माध्यमों का उपयोग करें और बैंक शाखाओं में जाने से बचें। आइबीए ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर बैंकों के ग्राहकों को सीधे सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। आइबीए ने एक सार्वजनिक अपील में कहा कि प्रत्यक्ष बैंकिंग लेन-देन, मुद्रा गणना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली से लेन-देन करने के पहले और बाद में कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन से धोएं।

नोटों और सिक्कों से हो सकता है संक्रमण, *जनसत्ता* ने रविवार 22 मार्च के अंक में इस पर सामग्री छापी।

आइबीए ने एक सार्वजनिक अपील में कहा कि प्रत्यक्ष बैंकिंग लेन-देन, मुद्रा गणना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली से लेन-देन करने के पहले और बाद में कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन से धोएं।

सभी गैरजरूरी बैंकिंग सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आटीजीएस व नेफ्ट जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान विकल्पों का लाभ उठाया जा सकता है।

आइबीए ने इसके लिए 'कोरोना से डरो ना, डिजिटल करो ना' नारे के साथ एक अभियान शुरू किया है। बैंक संघ जनता को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को लेकर प्रोत्साहित कर रहा है। आइबीए ने आश्वासन देते हुए कहा कि उसके सभी सदस्य बैंक लगातार बाधारहित बैंक सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके साथ ही उसने ग्राहकों से भी अपील की है कि जरूरी होने पर ही बैंक शाखाओं में जाएं। संघ ने कहा- हमारे कर्मचारी भी उसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं जैसी कि आप सभी लोगों के समक्ष आ रही है। इसलिए हमें आपकी भी मदद की जरूरत है।

उसने यह भी कहा है कि सभी गैरजरूरी बैंकिंग सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आटीजीएस व नेफ्ट जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान विकल्पों का लाभ उठाया जा सकता है। अपील में कहा गया है- हम इसके लिए रात-दिन काम कर रहे हैं कि हमारी सभी डिजिटल सेवाएं और चैनल पूरी तरह अद्यतन हों। उनमें वे सभी योजनाएं उपलब्ध हों जो आपको चाहिए। आइबीए ने बैंकों से भी कहा है कि वह कर्ज देने के लिए भी डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें।

www.readwhere.com

कोरोना के चलते मथुरा की सीमाएं सील, निगरानी बढ़ाई

मथुरा, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मथुरा के प्रशासन ने जिले की सीमाओं और हरियाणा, राजस्थान से जुड़ रहे मुख्य मार्गों को सील करने के साथ-साथ आगरा, अलीगढ़, हाथरस जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है।

इस संबंध में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने रविवार को बताया, 'कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश पर पड़ोसी जिलों और अन्य राज्यों से जुड़ी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सिर्फ रोडवेज बसों को ही आवागमन की छूट दी जा रही है। इनकी संख्या भी बहुत कम है।'

उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रवेश मार्गों पर अवरोधक लगाते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गैर राज्यों के लोगों का जनपद में प्रवेश रोक दिया गया है। ग्रोवर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सतर्कता निरंतर बढ़ाई जा रही है। जिले में बाहरी क्षेत्र के लोगों का आवागमन रोकने के लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है।

इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली की ओर निजी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। यहां हरियाणा की सीमा से जुड़े कोटवन पर बैरियर लगाते हुए पुलिस तैनात कर दिया गया है। इसी तरह आगरा की ओर रैपुराजाट पर अवरोधक लगाते हुए राजमार्ग की सीमा सील कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बरेली-भरतपुर राजमार्ग को भी सील कर दिया है। भरतपुर मार्ग की ओर जनपद सीमा पर अवरोधक लगा दिए गए हैं। हाथरस, अलीगढ़, खैर और सादाबाद की ओर जाने वाले मार्गों पर भी निगरानी बरती जा रही है। इसके अलावा राजस्थान सीमा के और भी कई प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसमें गोवर्धन मार्ग, कोसी-छाता और बरसाना मार्ग भी शामिल है। जनपद के सभी मार्गों पर रोडवेज को छोड़कर किसी भी अन्य निजी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।

दुबई से मुंबई आए 15 यात्री फरार, बाद में पकड़े गए

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

दुबई से रविवार को मुंबई पहुंचने पर हाथों पर 'होम क्वॉरेंटाइन' की मुहर लगवाने वाले 15 यात्री अधिकारियों को सूचित किए बिना हवाईअड्डे से भाग गए लेकिन बाद में उन्हें एक रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये यात्री मुंबई से ट्रेन से पंजाब जाने की योजना बना रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, '15 यात्री रविवार को दुबई से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे। उनके हाथों पर 'घर में पृथक रहने' की मुहर लगाई गई थी।

कोरोना विषाणु की दवा विकसित करने के लिए पेटीएम देगा पांच करोड़

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

डिजिटल भुगतान से जुड़ी कंपनी पेटीएम ने कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को पांच करोड़ रुपए देने की बात कही है।

पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने रविवार को ट्वीट किया- हमें अधिक संख्या में भारतीय नवोन्मेषकों, शोधकर्ताओं की जरूरत है जो वेंटिलेटर की कमी और कोविड के इलाज के लिए देशी समाधान खोज सकें। पेटीएम संबंधित चिकित्सा समाधानों पर काम करने वाले ऐसे दलों को पांच करोड़ रुपए देगा। उन्होंने आइआइएससी के प्राध्यापक गौरव बनर्जी के एक संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही। बनर्जी ने अपने संदेश में आपातकालीन स्थिति में देसी तकनीक से वेंटिलेटर बनाने की बात कही थी।

वापसी रविवार को इटली से लाए गए भारतीयों की जांच करते कर्मचारी।

वाराणसी में दुबई से लौटा शख्स कोरोना विषाणु से संक्रमित

वाराणसी, 22 मार्च (जनसत्ता)।

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के पृथक वार्ड में उसका इलाज चल रहा है

दुबई से 18 मार्च को वाराणसी लौटने वाले एक 30 साल के व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है।

इसके बाद जिला प्रशासन ने उसके परिवार समेत पूरे गांव को पृथक कर दिया है। जिला प्रशासन ने बताया कि दिल्ली हवाईअड्डे पर उसकी थर्मल स्कैनिंग भी की गई थी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 30 वर्षीय व्यक्ति वाराणसी की पिंडर तहसील के छितौरा गांव का रहने वाला है। वह सात मार्च को दुबई गया था, लेकिन वहां काम बंद होने की वजह से वह 17 मार्च को भारत वापस आ गया और दिल्ली हवाईअड्डा पहुंचा।

उन्होंने बताया कि वह दिल्ली से 18 मार्च को ट्रेन से वाराणसी आया और ऑटो से अपने गांव गया। शर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति खांसी-जुकाम की शिकायत लेकर 19 मार्च को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गया था, जहां उसका नमूना जांच के लिए भेजा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि शनिवार रात उसकी रिपोर्ट आई जिसमें उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि पीड़ित में गले में खराश के अलावा कोई और लक्षण नहीं दिख रहा है। उसे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के पृथक वार्ड में रखा गया है और उसका इलाज चल रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में उसका आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया गया है। गांव में अधिकारियों को तैनात किया गया है और वहां अन्य लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। शर्मा ने बताया कि उसके परिवार में माता-पिता, पत्नी, एक बेटे और दो अन्य रिश्तेदार रहते हैं। उसके घर के लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा गांव के सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी।

सुरक्षित वित्तीय प्रणाली के लिए आरबीआइ ने तैयार किया आपात कक्ष

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के संक्रमण से देश की वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और चाक-चौबंद रखने के लिए आपात स्तर पर एक वार-रूम (युद्ध कक्ष) तैयार किया है। इस कक्ष में रिजर्व बैंक के 90 महत्त्वपूर्ण कर्मचारी काम कर रहे हैं।

एक अधिकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ने यह कक्ष आकस्मिक कार्य योजना (बीसीपी) के तहत तैयार किया है। यह 19 मार्च से काम कर रहा है और 24 घंटे सक्रिय है। अधिकारी ने बताया कि इस कक्ष में रिजर्व बैंक के 90 सबसे महत्त्वपूर्ण लोग काम कर रहे हैं। इनके अलावा बाहरी वेंडरों के 60 मुख्य कर्मी और अन्य सुविधाओं के करीब 70 लोग भी कक्ष के लिए काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के साथ ही देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए कक्ष का परिचालन इस तरह नियंत्रित है कि किसी भी समय एक साथ सिर्फ 45 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, शेष 45 को काम का बोझ बढ़ने की स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब दुनिया के किसी भी केंद्रीय बैंक ने इस तरह की बीसीपी पर अमल किया है। यह हमारे इतिहास में भी पहली बार है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय भी हमने इस तरह की व्यवस्था नहीं की थी। यह कक्ष जिन महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों को संभाल रहा है, उनमें ऋणपत्र प्रबंधन, भंडार प्रबंधन और मौद्रिक परिचालन शामिल है।

बीसीपी के तहत रिजर्व बैंक के अन्य डेटा सेंटर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएं संभाल रहे हैं। इनके अलावा ई-कुबेर की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लेन-देन और एक बैंक से दूसरे बैंक के लेन-देन आदि को संभाला जा रहा है। अधिकारी ने कहा- यह एक ऐसा मॉडल है जिसे हमारी वित्तीय प्रणाली में और संभवतया पूरी दुनिया में पहली बार अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्य बीसीपी सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की दिक्कतों, आग लगने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए होता है। इस तरह की योजना किसी के पास नहीं है जैसी रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के लिए तैयार की है। सामान्यतया रिजर्व बैंक अरबों लेन-देन का प्रबंधन करता है। इसके केंद्रीय व 31 क्षेत्रीय कार्यालयों में करीब 14 हजार लोग काम करते हैं। जिन महत्त्वपूर्ण सेवाओं को कक्ष से संभाला जा रहा है, इनका प्रबंधन करीब 1,500 लोग मिलकर करते हैं। सूत्रों के अनुसार एक सप्ताह से अधिक समय से केंद्रीय कार्यालय में महज 10 फीसद कर्मचारी ही आ रहे हैं।

असम : दोबारा जांच हुई तो बच्ची में नहीं मिला संक्रमण

गुवाहाटी, 22 मार्च (भाषा)।

असम में साढ़े चार साल की बच्ची दूसरी बार हुई जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाई गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले हुई शुरुआती जांच में बच्ची में संक्रमण की बात सामने आई थी।

शर्मा ने जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए ट्वीट किया, 'कोविड-19 की संदिग्ध चार की साल की बच्ची, जिसकी जोरहाट मेडिकल कॉलेज और डिब्रूगढ़ के आरएमआरसी में जांच की गई थी, संक्रमित नहीं पाई गई है। अब तक असम में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है।' इससे पहले जोरहाट की उपायुक्त रोशनी अपारांजी कोराती ने शनिवार को कहा था कि जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई जांच के शनिवार शाम को आए नतीजे में बच्ची संक्रमित पाई गई थी। उन्होंने बताया कि परिवार 19 मार्च को जोरहाट आया था और 20 मार्च को स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने दौरे के वक्त बच्ची में लक्षण देखे और उसे अस्पताल लाया गया।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Naitik Deep S/o Trirattan R/o LP-48 Block-LP Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Tathaghat, for all purposes. 0040536435-10

I Sandeep Kumar Padia S/O Mahavir Prasad R/o H.No-1212, Sector-17, Faridabad, Haryana-121002, Changed My Name To Sandeep Padia. 0040536470-2

I Sabita Verma W/O Shailendra Singh residing at Vill Hindpal Khera Post Pansariya Tehsil & District Unnao have changed my name from Sabita Verma to Savita Verma Affidavit Dated 04/03/2020 Before Bakshi Ka Talab S D M Court. 0060073714-2

I Niraj Kumar R/o Flat No-302, Aakash Apartment, Sector -46, Faridabad-121003 have changed my minor daughter name from Prisha to Prisha Singh. 0040536380-1

I Mahavir Prasad Padia S/O Gajanan, R/o H.No-1212, Sector-17, Faridabad, Haryana-121002, Changed My Name To Mahavir Prasad. 0040536470-1

खोया+पाया

I, Vijay S/o Radhey Shyam R/o H.No.436, Street.No.17, Shiv-Mandir, Wazirabad. Delhi-110054. has lost my Original CBSE 10th-Class Certificate Roll-No.8656464 Year-2017. 0040536470-3

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Devnoor singh Judicial magistrate 1st class, ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint R/w sec of N. I ACT
CNR NO:PBLD03-005911-2019
NEXT DATE: 22-04-2020
Avon Cycle Ltd V/s M/s Shukla Cycle Workshop
Notice To:1m/s shukla cycle workshop, dilkash plaza, purniya tiraha, sitapur road, lucknow 226024, uttar pradesh through its prop rohit shukla 2. Rohit shukla prop m/s shukla cycle workshop, dilkash plaza, purniya tiraha, sitapur road, lucknow-226024, uttar pradesh
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **22-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. **Given under my hand and the seal of the court, for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice_district&ludhiana** JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan singh Judicial magistrate-1st class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-038585-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Pradeep kumar sharma
Notice To: Pradeep Kumar Sharma S/o Late Sh. Indra Dev Sharma Resident Of 48-12, Balkeshwar Colony, Agra-282004 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on **24-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

फॉर्म सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन।
केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के खंड (अ) के मामले में, तथा
नूयेवो थौट्स टैक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-504, नदादेवी अपार्टमेंट्स, सेक्टर-10, प्लॉट सं 19, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर स्थित है, के मामले में ...याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत **16, मार्च, 2020** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** से **'उत्तर प्रदेश राज्य'** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने **हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है** अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-504, नदादेवी अपार्टमेंट्स, सेक्टर-10, प्लॉट सं. 19, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के पते पर भी भेजनी होगी।
आवेदक के लिए और उनकी ओर से
नूयेवो थौट्स टैक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: नई दिल्ली — सुभाष चंद्र सिंह
स्थान: 23.03.2020 — निदेशक

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993).
In the matter of
O.A No 591/2019
ICICI BANK LTD. Applicant Vs Pankaj Bhola Defendants
D-1 Pankaj Bhola S/o Sh. Ram Kumar Bhola 64, New Gandhi Nagar, Near Hari mandir, Ghaziabad-201001
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **26.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 15th day of Jan. 2020.
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar DRT -III, New Delhi

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
In the matter of
O.A No 696/2019
ICICI BANK LTD. Applicant Vs Rajeev Singh @Rajiv Dalal & Anr. Defendants
D-1 Rajeev Singh@Rajiv Dalal S/o Sh. Roop Chand, 26-L, New Colony, Near Sanatan Dharm Mandir, Palwal-121105.
Also at: Room No. 17, Vir Hakikat Rai ISBT Sarai Kale Khan, Delhi-110013
D-2 Capital Bus Service Pvt Ltd. Room No. 17, Hakikat Rai ISBT Sarai Kale Khan, Delhi-110013
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **25.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 14th day of Jan. 2020.
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar DRT -III, New Delhi

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Devnoor singh Judicial magistrate 1st class, ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint R/w sec of N. I ACT
CNR NO:PBLD03-005908-2019
NEXT DATE: 22-04-2020
Avon Cycle Ltd Vs M/s Durga Yo Bykes
Notice To:1. M/s Durga Yo Bykes, Opp. Bihani Petrol Pump, Suratgarh Road Sriganganagar-335001, Rajasthan Through Its Prop Arun Godara 2. Arun Godara Prop, Of M/s Durga Yo Bykes, Opp. Bihani Petrol Pump, Suratgarh Road Sriganganagar-335001, Rajasthan
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **22-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-038574-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Hajari Lal
Notice To: Hajari Lal R/o #23 Mohalla Gariwan, Jasarana, Firozabad-205125 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **24-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.govin/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

सार्वजनिक सूचना
बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है मेरे मुवक्किल श्रीमति सरोज पत्नी श्री कुंवर पाल ने घोषणा की है, कि इन्होंने यह उल्लेखित संपत्ति शुभम त्यागी पुत्र श्री चंचल त्यागी से प्राप्त की है। प्रॉपर्टी का पता प्रॉपर्टी न.1/3057 खसरा न. 794/604, गांव सिकंदर पुर, राम नगर एक्स 3, शाहदरा है, जो की छत के अधिकार के साथ 60.50 Sq.Yd. है। यह प्रॉपर्टी AU Small Finance Bank से गॉर्गेज है।
P.K. Singh (Advocate) Enrl No. D-78/06 Ch.No. D-409, KKD Court, Delhi-32 M-9811562662

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्कील श्री अशोक महतो पुत्र श्री राम इकबाल महतो व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अशोक महतो निवासी ए-14/6, गली न. 11, नत्थू कॉलोनी, नत्थूपुरा, बुराड़ी दिल्ली-110084, ने अपने पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार व पुत्रवधु श्रीमती सीमा की बुरी आदत, दुर्व्यवहार व गलत कार्यो के कारण दोनों को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और उपरोक्त से सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिए है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त से किसी प्रकार का लेन-देन व अन्य सम्बन्ध बनाता है या उपरोक्त कोई गलत कार्य करते है तो उसकी जिम्मेदारी खुद जितेन्द्र कुमार व श्रीमती सीमा की होगी न कि मेरे मुवक्किल श्री अशोक महतो व श्रीमती सुनीता देवी की होगी।
नागेराम, एडवोकेट चै.126, ओल्ड कोर्ट, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06

PUBLIC NOTICE
It is for general information that I, Kanta Rani daughter of Kanshi Ram and ex-wife of Harjeet Singh, residing at H. No. 3480/6, Bajaj Colony, Near Govt Girls School, Badshahpur, Gurgaon, Haryana -122101 declare that I remarried with Pranshu Gupta son of Sh. Suresh Prasad Gupta vide marriage certificate No. -20191390079[illegible] dated 11/07/19 after divorce of my previous husband Harjeet Singh vide court order- JCM File No. - 114 dated 02.01.15, henceforth name of my minor daughter Miss Sukhnoor Kaur, aged about 9 yrs may be known as PRAGYA GUPTA and also the name of father of my minor daughter may be known as Pranshu Gupta in future for all purpose. It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.
KANTA RANI

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-038563-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Irfan Khan
Notice To: Irfan Khan S./o Safi Ulla Khan R/o H.no.275, Aatish Vajan Tilhar, Shahjahanpur -243201 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate- 1st class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-038591-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Khalil Ur Rehman
Notice to: khalil ur rehman r/o chakkar ki milak ziarat sha bulaki meer near masjid ramzani, moradabad-244001 (uttar pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to:https://highcourtchd.gov.in/?trs=distric_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
In the matter of
O.A No 874/2019
ICICI BANK LTD. Applicant Vs Rakesh Patel Defendants
D-1 Sh. Rakesh Patel S/o SH. Cchandrika Prasad R/o 446, Street no. 2, Indian Railway Mail, Godam, Main Shyam Park, Shahibabad, Ghaziabad-201005, U.P.
Also at: Proprietor of M/s Sai Nath Logistics Shop no. 5, S-22, Ganesh Complex, Vrindavan Garden, Aradhana Road, Shahibad, Ghaziabad-201005, U.P.
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **24.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 15th day of Jan. 2020.
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar DRT -III, New Delhi

प्रपत्र सं. यूआरसी-2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]
1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार रजिस्ट्रार कानपुर के पास एक आवेदन किया गया है कि सन्तोष पिगमेंट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, एक साझेदारी फर्म, जिसका पता कार्यालय सं. एचई 05-06-07 इण्डस्ट्रियल एरिया गोपाल पुर, सिकन्द्राबाद, उ.प्र.-203205 है, को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा प्राइवेट कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : लेड ऑक्साइड, लेड इनगट, लेड एलॉय, लेड एंटीमनी आदि में प्रसंस्करण तथा निर्माण की गतिविधि का संचालन।
3. प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय सं. एचई 05-06-07 इण्डस्ट्रियल एरिया गोपाल पुर, सिकन्द्राबाद, उ.प्र.-203205 पर निरीक्षित की जा सकती है।
4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ रजिस्ट्रार के (पते) पर इस सूचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति कम्पनी के पास इसके पंजीकृत पते पर भेजे।
आवेदक (कों) के नाम
1. अजीत सिंह
2. मनवीर
दिनांक : 21.03.2020

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK
एससीएफ 65, सेक्टर- 7 ए, फरीदाबाद, हरियाणा- 121002
दूरभाष: 0129-2211116
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1)]
जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आन्ध्रा बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स जी.एस.आर. इंजी. एसोसिएट्स तथा जमानती : श्रीमती रेनू रावत को कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 14,66,010.00 (रुपये चौदह लाख छियासठ हजार दस मात्र) का पुनभुर्गतान करने के लिए कहते हुए 02.01.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
कथित राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 18 मार्च, 2020 को कब्जा कर लिया है
प्रतिभूत अस्तियों को अवमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में ऋणकर्ताओं का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) तथा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन कर्जदार की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिए आन्ध्रा बैंक के अभियोग का विषय होगा।
अचल सम्पत्ति का विवरण
प्लॉट सं. 2, खसरा नं. 55//8/2/3, मौजा सरन, जवाहर कॉलोनी में, फरीदाबाद पर स्थित भूमि तथा भवन-आवासीय सम्पत्ति, श्रीमती रेनू रावत के स्वामित्व में, माप लगभग 450 वर्ग फीट का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ: पूर्वः श्री किशन का मकान, पश्चिमः श्री भजन लाल का मकान, उत्तरः 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट।
तिथिः 23.03.2020 — मुख्य प्रबन्धक तथा अधिकृत प्राधिकारी
स्थानः फरीदाबाद — आन्ध्रा बैंक

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
In the matter of
O.A No 656/2019
ICICI BANK LTD. Applicant Vs Achin Gupta & Anr. Defendants
D-1 Achin Gupta S/o Sh. Ajay Gupta, 3, First Floor, Ishwar Colony, Near Gurudwara Nanak Pyau, Delhi-110009
Also at: Achin Gupta S/o Sh. Ajay Gupta Watts N Water, Plot No. 193, Pitampura Village, Opp. Sukhal Market Near Tibetan Market Road, Delhi-110034
D-2 Sh. Ajay Gupta S/o Sh. Brij Kishor Gupta 3, First Floor, Ishwar Colony, Near Gurudwara Nanak Pyau, Delhi-110009
Also at: Ajay Gupta S/o Sh. Brij Kishor Gupta (Proprietor), M/s Bath Section, 287, Shivaji Market, Village Pitampura, Delhi-110034
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **23.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 09th day of Jan. 2020
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar DRT -III, New Delhi

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी ए-1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी ए-1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **12/07/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों एवं गारंटरों: (1) श्री गौरव सिंह ठाकुर (2) श्री मोहन सिंह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.22,86,092/- (बाइस लाख छियासी हजार बयानबे रूपये मात्र) 12.07.2019 को आगे ब्याज के साथ एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतानों तक,** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 16 मार्च, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.22,86,092/- (बाइस लाख छियासी हजार बयानबे रूपये मात्र) 12.07.2019 से आगे ब्याज एवं लागत आदि के साथ भारतीय स्टेट बैंक, (शा.का.: आरएसीपीसी ए-1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली) शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
एलआईजी फ्लैट नं.67-ए, भूतल, पॉकेट बीजी-3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 अचल सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरा है :- उत्तरः एन्ट्री — दक्षिणः पार्क
पूर्वः फ्लैट नं.66 — पश्चिमः पैसेज
स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 16/03/2020 — भारतीय स्टेट बैंक

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate- 1st class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-038587-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Surjit Singh
Notice To: Surjit Singh R/o H.no 2, Balakeshwar Colony, District Agra-282005 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **24-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

VASTU HOUSING FINANCE — वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
इकाई 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुम्बई 400015. महाराष्ट्र, सीआईएन : U65922MH2005PLC272501
2002 के प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना
जैसा कि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने मुख्या कार्यालय मुम्बई के माध्यम से निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को सूचना जारी की जिन्होंने वीएचएफसीएल से प्राप्त मूलधन तथा साख सुविधाओं के ब्याज के भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक की और कथित सुविधाएँ गैर-निष्पादन आस्तियों में परिवर्तित हो गयीं। ये सूचनाएँ उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयी थीं किन्तु उन्हें अन्सर्व्ड वापस कर दिया गया अतः उन्हें एतद्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

कर्जदार का नाम	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि तथा राशि / ऋण खाता सं.	बन्धक सम्पत्ति का विवरण
श्री/श्रीमती रोहित कुमार शर्मा (आवेदक) आवास का पता : म.नं. 79, राम विहार, लोनी, बनथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102; श्री/श्रीमती मधु शर्मा (सह आवेदक) आवास का पता : म.नं. 79, राम विहार, लोनी, बनथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102; श्री/श्रीमती अलका शर्मा (सह-आवेदक) आवास का पता : म.नं. 79, राम विहार, लोनी, बनथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102; श्री/श्रीमती हिमांशु शर्मा (सह आवेदक) आवास का पता : म.नं. 79, राम विहार, लोनी, बनथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	11 मार्च, 2020/29.02.2020 तक रु. 7,01,145/- (सात लाख एक हजार एक सौ पैंतालीस) और एनपीए की तिथि से उपर्युक्त राशि पर अनुबन्ध दर पर अप्रयुक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित। LP0000000005957	प्लॉट सं. 79, खसरा नं. 1611, राम विहार कॉलोनी, गाँव लोनी, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201102, सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : श्री आर.जी. सक्सेना की सम्पत्ति; दक्षिण : श्री पुरुषोत्तम की सम्पत्ति; पूर्व : 10 फीट चौड़ी गली; पश्चिम : 20 फीट चौड़ी गली।

सूचना की वैकल्पिक विधि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा उनके जमानतियों (जहाँ प्रयोज्य हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर भावी कदम उठाये जायेंगे।
कृपया ज्ञात हो कि कथित सूचना कर्जदारों/जमानतियों/बन्धकर्ताओं को सूचित करते हुए धारा 13(13) के तहत सूचना भी है कि कथित बन्धक सम्पत्ति की बिक्री/पट्टा/हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है।
तिथि : 23.03.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : गाजियाबाद — वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan singh Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on
http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-038566-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Mohd. Aslam
Notice To: Mohd. Aslam R/o H.no. 61, Dingerpur Khas, Moradabad- 244001 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your Absence. For details logon to https:highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

31 मार्च तक दिल्ली बंदी पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दूसरों से सीख लेकर किया फैसला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 मार्च।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यह विषाणु हमारे देश में बहुत देरी से आया। इस विषाणु के संबंध में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में इसने कैसे प्रभावित किया, उससे हम सीख ले सकते हैं। हमने अगर दूसरे देशों से सीख नहीं ली तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए सरकार ने दिल्ली बंद का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि बंदी का आदेश 23 मार्च सुबह छह बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में बाद में बंद किए जाने का नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार ने जनता

को बचाने के लिए पहले ही बंद का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जरूरी काम की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों का काम इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। अगर कुछ और जरूरी चीजें बच जाती है तो सरकार इसकी जानकारी जनता को देगी। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है। अब तक मास्क और सैनिटाइजर मामले में 327 जगह छापे मारे गए हैं और 437 लोगों पर पुलिस कार्रवाई की गई है।

इन सेवाओं पर कोई असर नहीं

- कानून व्यवस्था लागू करने वाले कर्मचारी
- पुलिस, स्वास्थ्य और दमकल कर्मचारी
- दिल्ली विधानसभा बजट सत्र से जुड़े कर्मचारी
- राशन व जेल सेवाएं
- बिजली, पानी व एमसीडी कर्मचारी
- वित्त सेवाओं से संबंधित कर्मचारी
- प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडियाकर्मी
- जरूरी सामान जैसे दवा, राशन, दूध व किराना की दुकानें
- पेट्रोल–डीजल व एलपीजी पम्प

नवरात्र के बाद अपनी टीम का एलान कर सकते हैं नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवरात्रों के बाद अपनी टीम का एलान कर सकते हैं। उनकी नई टीम में पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के करीबियों को अधिक जगह मिलने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नड्डा करीब एक महीने से इस संबंध में राज्यों के नेतृत्व से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस साल बिहार और अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। यादव और विजयवर्गीय दोनों पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और दोनों ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं।

दिल्ली में दिखा जनता कर्फ्यू का असर

अब धारा 144 लागू

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 22 मार्च।

दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 31 मार्च की मध्यरात्रि तक दिल्ली में धारा 144 लागू करने की रविवार को घोषणा कर दी। यह धारा रविवार रात नौ बजे के बाद से लागू होगी। अब शहर में विरोध प्रदर्शन और अन्य सभाओं पर रोक लग गई है। उधर, जनता कर्फ्यू का असर राजधानी में रविवार को साफ तौर पर दिखाई दिया। कनॉट प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले बाजार अन्य शॉपिंग माल और सभी व्यावसायिक इलाके सहित गली मुहल्लों में भी लोगों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को पूरी तरह अमलीजामा पहनाया। इक्के दुक्के गाड़ियां सड़क पर दिखीं। दिल्ली पुलिस की पीसीआर की गाड़ियों के साथ जिला और अन्य यूनिटों के जवानों और अधिकारियों ने मुस्तैदी से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में पूरी तरह मुस्तैद ही नहीं दिखे बल्कि सड़क पर चल रहे गाड़ियों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल देकर घर में रहने का अनुरोध किया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव की ओर से जारी निषेधाज्ञा आदेशों के अनुसार किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस के लिए लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी सभा–सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी या सम्मेलन के आयोजन पर प्रतिबंध है। निर्देश में कहा गया है कि दूध, फल, सब्जी और अन्य घरेलू जरूरी सामानों को छोड़कर सभी साप्ताहिक बाजार बंद करने के साथ ही निजी टूर आपरेटरों को भी प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि अगर किसी को कोविड–19 का संदेह है या पुष्टि हो गई हो तो वे एहतियात बरतते हुए अस्पताल में इलाज के लिए जाएं और अपने घरों में, संस्थान में अलग होकर एहतियात बरतें। अगर धारा 144 का कोई उल्लंघन करते पाया गया तो धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

उधर, कोरोना के मद्देनजर दिल्ली का

कर्फ्यू के दौरान बाहर निकले लोगों को गुलाब का फूल देकर पुलिस ने समझाया। फोटो : अरुष चोपड़ा

दिल कहा जाने वाला कनाट प्लेस का नजारा भी जनता कर्फ्यू के दिन बदल गया। दिल्ली के इतिहास में पहली बार कनाट प्लेस इतना खाली और सूनसान नजर आया। आम दिनों में यहां देशी–विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। रात के समय भी यह गुलजार रहता है। रविवार को यहां सिवाय कुछ पशु–पक्षियों के कुछ नहीं दिखा।। सभी दुकानें और रेस्तरां बंद दिखे। सेंट्रल पार्क का वो इलाका जहां दिनभर टिक टॉक बनाने वालों का जमावड़ा लगा रहता था, वह भी आज सूनसान नजर आया।

एतिहासिक लाल किला और चांदनी चौक के बाहर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था लेकिन जनता कर्फ्यू के दिन कुछ ऐसा वहां भी नहीं दिखा। लोगों की भाग दौड़ और भीड़ को दिन–रात झेलने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रविवार को बिल्कुल सूनसान दिखा। गिने–चुने कुछ लोग ही अपने सामानों के साथ स्टेशन में नजर आए। दिल्ली के व्यस्त रहने वाले विकास मार्ग के चाक चौराहों में जहां सुबह से लेकर शाम तक सड़कें जाम से त्रस्त रहती थीं, वहां भी रविवार को पूरी तरह वीरान नजर आया। राष्ट्रीय राजमार्ग–58, 24 पर भी जनता कर्फ्यू का साफ असर दिखा। हाइवे इतना सूनसान आज तक कभी नहीं हुआ था जितना जनता कर्फ्यू के कारण रहा। सड़क पर पुलिस के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली के कई हाउसिंग सोसायटियों ने पूरी तरह से अपने–अपने हिसाब से बंद की घोषणा कर दी थी।

चार जिम मालिकों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 मार्च।

कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार के निर्देश का उल्लंघन के आरोप में पश्चिमी जिला पुलिस ने दिल्ली के अलग–अलग चार जिम मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आदेश का उल्लंघन करने के लिए इनमें चार जिम मालिकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दो की तलाश की जा रही है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित के मुताबिक जिन दो जिम मालिकों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान कन्हैया लाल और विशाल के रूप में हुई है। दोनों पंजाबी बाग के मादीपुर के रहने वाले हैं। उपायुक्त के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 16 मार्च को कोविड–19 के तहत दिल्ली में सारे जिम को भी बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

बजट सत्र : कसौटी पर सरकार, चुनौतियां अपार

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 22 मार्च।

सोमवार से शुरू हो रहा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अलग होगा। यह सत्र कोरोना के साए में है। सनद रहे कि नई सरकार का पहला सत्र राजधानी में हुए दंगे की बली चढ़ा तो बजट सत्र को कोरोना संकट ले डूबा। यह महत्त्वपूर्ण सत्र पांच दिन की जगह एक दिन में ही निपटेगा। बजट सत्र में उपराज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा क्योंकि प्रथम सत्र में ही इसकी औपचारिकतां पूरी कर ली गई हैं। इस बार प्रश्न काल भी नहीं होगा। यह पहला अवसर है जब प्रश्न करने की इजाजत विधायकों को नहीं होगी। इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है।

दिल्ली सरकार की नई पारी की दिशा और दशा उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के 23 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करने के साथ दिखेगी। सबकी निगाह चुनावी वायदों पर योजनाओं की घोषणाओं पर है। लेकिन सरकार की राह आसान नहीं है। इतना तय है कि जनता को रियायत की कोई नई सौगात नहीं मिलने जा रही है।

ये हैं चुनौतियां

- चुनाव पूर्व किए गए वायदों को पूरा करने का समय है। जिनमें वो दस योजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था। इनके लिए धन का आबंटन और कार्य योजना की घोषणा करनी है। साथ ही पहले से चली आ रही योजनाओं जिनमें राहत–अनुदान वाली योजनाएं (बिजली–पानी–बस मुफ्त) भी शामिल है, उन्हें आगे जारी रखने के लिए धन आबंटन की भी चुनौती है।
- खेल विश्वविद्यालय और कौशल व उद्यमिता विश्वविद्यालय, विश्वस्तरीय शहर बनाना, 24 घंटे लगातार बिजली, तारों के जंजाल का अंत, हर घर नल का जल और 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी की सुविधा, बसों की कमी से निबटना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

प्रश्न काल के मसले पर विपक्ष हुआ लामबंद

प्रश्न काल का प्रावधान नहीं किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की लामबंदी कर ली है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि नैतिकता और ईमानदारी का ढींढ़ोरा पीटने वाली सरकार को वे नैतिकता और ईमानदारी के मुद्दे पर घेरेंगे। उन्होंने कहा–बजट सत्र में प्रश्न काल का प्रावधान नहीं किए जाने को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कदम है।

नंशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance
Trusted Since 1906

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत व प्रधान कार्यालय : 3 मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता– 700 071

सीआईएन : U10200WB1906GOI001713

वेबसाइट : https://nationalinsurance.nic.co.in

30 सितंबर, 2019 को समाप्त हुए अर्द्ध वार्षिक अपरीक्षित वित्तीय परिणाम

रु. लाखों में

विवरण	समाप्त अर्द्ध वार्षिक हेतु 30.09.2019 (अपरीक्षित)			समाप्त अर्द्ध वार्षिक हेतु 30.09.2018 (अपरीक्षित)		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	37,399	7,686	448,300	40,663	6,641	483,589
निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि	2,608	407	26,311	5,449	759	49,599
विनिमय लाभ	–	–	29	–	–	–
ब्याज, लाभांश और किराया–सकल	6,066	946	61,213	6,598	919	60,051
कुल (क)	**46,073**	**9,039**	**535,853**	**52,710**	**8,319**	**593,239**
उपगत दावा (शुद्ध)	28,166	4,961	461,857	20,203	9,983	570,516
कमीशन	4,820	554	30,405	3,123	705	19,437
बीमा कारोबार से संबंधित संचालन व्यय	13,029	1,692	129,787	8,384	1,621	121,233
विनिमय हानि	–	–	–	–	–	1,032
गिरावट वाले निवेश के संबंध में लिखित निवेश/राशि पर प्रीमियम निवेश/राशि के मूल्य में कमी/परिशोधन के लिए प्रावधान	465	73	4,695	64	9	581
कुल (ख)	**46,480**	**7,280**	**626,744**	**31,774**	**12,318**	**712,799**
संचालन लाभ/हानि ग=(क–ख)	–407	1,759	–90,891	20,936	–3,999	–119,560
विनियोग						
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	–407	1,759	–90,891	20,936	–3,999	–119,560
आपदा रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	–	–	–
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	–	–	–
कुल (ग)	**–407**	**1,759**	**–90,891**	**20,936**	**–3,999**	**–119,560**

बैलेंस शीट — रु. लाखों में

विवरण	30.09.2019 तक (लेखा परीक्षित बिना)	30.09.2018 तक (लेखा परीक्षित बिना)
निधि का स्त्रोत		
शेयर पूंजी	10,000	10,000
रिजर्व व अधिशेष	1,958	88,776
उचित मूल्य परिवर्तन खाता–शेयरधारकों की निधि	2,511	15,635
उचित मूल्य परिवर्तन खाता–पॉलिसीधारक की निधि	135,571	344,407
उधार	89,500	89,500
कुल	**239,540**	**548,318**
निधि का उपयोग		
निवेश–शेयरधारकों की निधि	42,016	106,563
निवेश–पॉलिसीधारकों की निधि	2,268,072	2,346,778
ऋण	3,891	4,174
निश्चित संपत्ति	35,344	33,754
वर्तमान संपत्ति		
नकद और बैंक शेष	68,587	74,684
अग्रिम और अन्य संपत्तियां	813,489	833,421
उप कुल (क)	**882,076**	**908,105**
वर्तमान देनदारियां	2,574,042	2,319,687
प्रावधान	504,136	531,369
उप कुल (ख)	**3,078,178**	**2,851,056**
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियों/(देयता)(ग)=(क–ख)	**–2,196,102**	**–1,942,951**
विविध खर्च (जिस हद तक लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)	–	–
लाभ व हानि खाता में डेबिट बैलेंस	86,319	–
कुल	**239,540**	**548,318**

लाभ एवं हानि लेखा खाता — रु. लाखों में

विवरण	समाप्त अर्द्ध वार्षिक हेतु 30.09.2019 (अपरीक्षित)	समाप्त अर्द्ध वार्षिक हेतु 30.09.2018 (अपरीक्षित)
संचालन लाभ/(हानि)	–89,539	–102,623
(क) अग्नि बीमा	–407	20,936
(ख) मरीन बीमा	1,759	–3,999
(ख) विविध बीमा	–90,891	–119,560
निवेश से आय	1,000	11,595
(क) ब्याज, लाभांश और किराया–सकल	770	6,469
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	230	5,126
हानिः निवेश की बिक्री पर लाभ	–	–
अन्य आय	721	6,937
अन्य सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	–	–
विविध आय	620	6,807
विनिमय लाभ	101	130
कुल (क)	–87,818	–84,091
प्रावधान (कराधान के अलावा)	34	–14
(क) निवेश के मूल्य में कमी हेतु	34	–14
(ख) संदिग्ध ऋण हेतु	–	–
(ग) अन्य	–	–
अन्य खर्चे	3,760	4,348
(क) बीमा कारोबार से संबंधित खर्चों के अलावा अन्य खर्च	1	51
(ख) निवेश पर प्रीमियम का अमूर्तकरण	7	75
(ग) अवमूल्यन निवेश के संबंध में लिखित राशि	–	–
(घ) लिखित संपत्ति	0	0
(च) संपत्ति के बिक्री पर नुकसान	3	12
(छ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	1	460
(ज) डिबेंचरों पर ब्याज	3,747	3,747
(झ) डिबेंचर संबंधित व्यय	1	3
कुल (ख)	3,794	4,334
कर पूर्व लाभ (क–ख)	–91,612	–88,425
कराधान हेतु प्रावधान	–	–
पिछले वर्षों से संबंधित कराधान	–	–
कर पश्चात लाभ	–91,612	–88,425
विनियोग		
(क) वर्ष के दौरान भुगतान अंतरिम लाभांश	–	–
(ख) प्रस्तावित लाभांश	–	–
(ग) लाभांश वितरण कर	–	–
(घ) अप्रत्याशित जोखिम के लिए सामान्य रिजर्व/आकस्मिक रिजर्व हेतु स्थानांतरण	–5,655	–88,817
(च) दावारहित पॉलिसीधारकों की निधि हेतु स्थानांतरण	362	392
लाभ/हानि का संतुलन पिछले वर्ष से अग्रेषित किया गया	–	–
बैलेंस शीट से अग्रेषित शेष राशि	–86,319	–

मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात

दिनांकित 5 अक्टूबर, 2012 के आईआरडीए परिपत्र संख्या- IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 और दिनांक 3 जुलाई, 2013 के शुद्धिपत्र संदर्भ संख्या-IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 में दिए गए परिभाषाओं के अनुसार

क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 (अपरीक्षित)	30.09.2018 (अपरीक्षित)	31.03.2019 (परीक्षित)
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (%)	5.97	–13.82	–6.55
2	शुद्ध संपत्ति अनुपात (टाइम्स) हेतु सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	–9.97	8.23	96.97
3	शुद्ध संपत्ति की वृद्धि दर (%)	–187.48	–78.48	–91.11
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	62.13	67.68	62.54
5	शुद्ध कमीशन दर (%)	7.42	4.75	8.47
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%) में प्रबंधन का खर्च	25.16	24.74	24.02
7	शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात (%) में प्रबंधन का व्यय	39.71	36.25	37.78
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम (%) से शुद्ध व्यय दावा	100.32	113.15	109.94
9	संयुक्त अनुपात (%)	137.71	144.68	145.41
10	शुद्ध प्रीमियम अनुपात (टाइम्स) हेतु तकनीकी रिजर्व	4.39	4.17	2.14
11	अंडरराइटिंग बैलेंस अनुपात (टाइम्स)	–0.37	–0.42	–0.43
12	संचालन लाभ अनुपात (%)	–17.09	–19.01	–17.05
13	देयता अनुपात हेतु लिक्विड संपत्ति (टाइम्स)	0.16	0.11	0.13
14	शुद्ध आय अनुपात (%)	–19.00	–18.04	–17.58
15	शुद्ध संपत्ति अनुपात पर रिटर्न (%)	–	–101.35	–1083.44
16	आवश्यक सॉल्वैसी मार्जिन अनुपात के लिए उपलब्ध सॉल्वैसी मार्जिन (टाइम्स) as per IRDA forbearance	0.42	1.21	1.04
17	एनपीए अनुपात (%)			
	सकल एनपीए अनुपात (%)	1.34	1.82	1.36
	शुद्ध एनपीए अनुपात (%)	0.72	0.54	0.99

नोट :
1. उपरोक्त अपरीक्षित परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 21 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
2. यह प्रकटीकरण दिनांकित 28 जनवरी, 2010 के आईआरडीए परिपत्र संख्या- IRDA/F&I/CIR/F&A/12/01/2010 (अनुलग्नक III) में दी गई परिभाषाओं के अनुसार बनाया गया है तथा उसके अनुसार है।
3. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़े समायोजित किए गए हैं, जहां भी आवश्यक हो।

30 सितंबर 2019 को समाप्त हुए अर्द्ध वार्षिक अपरीक्षित वित्तीय परिणाम
[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमन 52(4) के साथ विनियमन 52(8) के अनुसरण में]
(रुपए हजार में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त अर्द्ध वार्षिक 30.09.2019 अपरीक्षित	समाप्त अर्द्ध वार्षिक 30.09.2018 अपरीक्षित	समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2019 लेखा परीक्षित
1	संचालन से कुल आय	493,38,502	530,89,276	10,40,02,258
2	अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, विशेष और/या असाधारण मदों से पूर्व#)	–91,61,174	–88,42,461	–1,69,62,855
3	कर पूर्व अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के पश्चात#)	–91,61,174	–88,42,461	–1,69,62,855
4	कर के पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ /(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के पश्चात#)	–91,61,174	–88,42,461	–1,69,61,224
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के दौरान (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाभ/हानि का आकलन]	–91,61,174	–88,42,461	–1,69,61,224
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	10,00,000	10,00,000	10,00,000
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	1,95,760	88,77,555	7,26,932
8	शुद्ध परिसंपत्ति	–76,31,914	87,24,594	15,65,503
9	चुकता ऋण पूंजी/बकाया पूंजी	89,50,000	89,50,000	89,50,000
10	बकाया रिडीम करने योग्य अधिमान शेयर*	NIL	NIL	NIL
11	ऋण इक्विटी अनुपात*	–1.17	1.03	5.72
12	प्रति शेयर आय (रुपये 10/– प्रत्येक) (निरंतर और बंद संचालन के लिए)			
	1. मूलः	–91.61	–88.42	–169.61
	2. मिश्रितः	–91.61	–88.42	–169.61
13	पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व*	NIL	NIL	NIL
14	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व*	NIL	NIL	NIL
15	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात*	–23.45	–22.60	–21.70
16	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात*	–22.32	–21.49	–20.53

नोट :
a) उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक दिनांक 21 मार्च, 2020 में इसे मंजूरी दी गई है।
b) सेबा (LODR) विनियमन, 2015 के अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने असुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए हैं और यह IRDAI द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय इकाई है।

कृते निदेशक मंडल
एसडी/–
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 मार्च, 2020

AD UIN NO. 040a/19-20

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	31.1 डि.से.	31.1 डि.से.	30.7 डि.से.	31.0 डि.से.
न्यूनतम	15.7 डि.से.	15.7 डि.से.	15.4 डि.से.	16.0 डि.से.

कोरोना का सन्नाटा

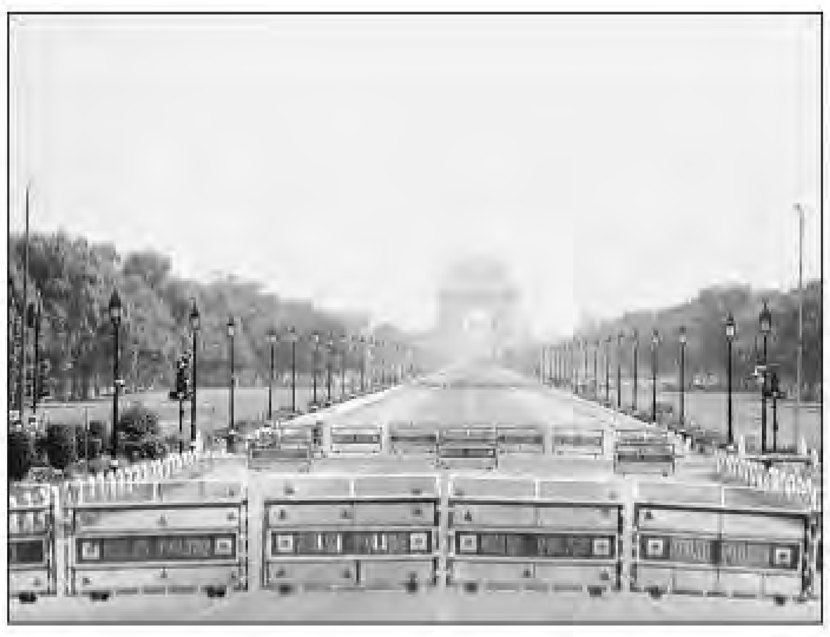
इंडिया गेट दिखा सूना।

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बाहर सन्नाटे के बीच यात्री।

रेलवे स्टेशन का हाल।

पुरानी दिल्ली कुछ यों दिखी।

सभी फोटो : अरुष चोपड़ा

नोएडा में कुल मरीज हुए आठ और ग्रेटर नोएडा में पहला मामला

तीन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 मार्च।

शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को तीन और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दो लोग मां और बेटे हैं, जबकि तीसरा मरीज ग्रेटर नोएडा का है जो दुबई से लौटा है। स्वास्थ्य विभाग ने मां और बेटे को जिम्स में तथा तीसरे व्यक्ति को कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इन मामलों को मिलाकर नोएडा में कोरोना से संक्रमित

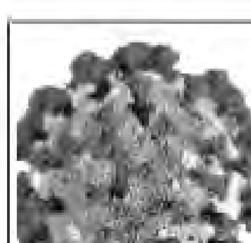

दो लोग मां और बेटे हैं, जबकि तीसरा मरीज ग्रेटर नोएडा का है जो दुबई से लौटा है

मरीजों की संख्या 8 पहुंच गई है। ग्रेटर नोएडा में यह पहला मामला है।

सीएमओ डॉ अनुराग भार्गव के मुताबिक, नोएडा में 37 साल का युवक कुछ दिन पहले डेनमार्क गया हुआ था। 15 मार्च को वह डेनमार्क से लौटा है। लौटने के बाद युवक में कोरोना के लक्षण पाये गए , जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 19 मार्च को युवक के नमूने लिए। साथ ही अगले दिन युवक के मां में भी कोरोना के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग नमूना लिया। रविवार को दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। साथ ही परिवार के 10 अन्य सदस्यों को क्वारंटाइन (पृथक) में रखा गया है। वहीं, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा-1 में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। संक्रमित व्यक्ति बीते सप्ताह दुबई की यात्रा करके लौटा था।

तहरीर लेने में भी डर रही पुलिस

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 मार्च।

कोरोना वायरस को लेकर नोएडा पुलिस लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। लेकिन थाने में बैठे पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस का खौफ घर कर गया है। पुलिसकर्मी थाने पहुंच रहे फरियादियों की तहरीर लेने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोरोना वायरस तहरीर के जरिए उन्हें न जकड़ ले। चोरी, गुमशुदगी या दूसरी घटनाओं की तहरीर लेकर आने वाले फरियादियों को पुलिस तीन दिन बाद आने को कह रही है। फरियादियों का कहना है कि पुलिस दूर से ही तहरीर को पढ़ रही है। तहरीर को हाथ लगाने से भी बच रही। एक थाने में तैनात मुंशी ने बताया कि थाने में हर प्रकार के लोग आते हैं। किसका स्वास्थ्य कैसा है इसका पता हमें नहीं चलता। थाने में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस से बचना मुश्किल है।

भीड़भाड़ वाला नोएडा भी दिखा सूना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 मार्च।

जनता कर्फ्यू की अपील का ग्रेटर नोएडा वासियों ने पूरा समर्थन किया। लोग परिवार के साथ घरों में कैद रहे। सेक्टर की गलियों व मार्केट से लेकर चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। सड़क पर दूर- दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। शहर के अल्फा, बीटा,गामा व डेल्टा सहित सभी सेक्टरों की आरडब्लूए (रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा जनता कर्फ्यू के समर्थन में सेक्टर का मेन गेट ही खोला,बाकी सभी गेटों को लॉक कर दिया गया था। ताकि कोई हर तरफ से आ जा न सके। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष खुद ही सेक्टरों के गेट पर मास्क व दस्ताने पहनकर बैठ गए। उन्होंने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। पूरे शहर में गिने चुने वाहन ही आते जाते दिखाई दिए। दादरी, दनकौर, जेवर, रबूपुरा आदि कस्बों के अलावा गांवों में भी काफी हद तक सन्नाटा ही पसरा रहा। शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली मार्केट जगत फार्म व रामपुर मार्केट में मेडिकल स्टोर के अलावा एक भी दुकान नहीं खुली थी।

ड्यूटी पर मुस्तैद रहे पुलिसकर्मी

जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में पुलिसकर्मियों ने काफी अहम भूमिका निभाई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने लोगों को जनता कर्फ्यू के बारे में अवगत कराया और बचाव के बारे में भी बताया।

सभी सोसाइटी गूंज उठी

शाम पौने पांच बजे से ही शहर के लोग अपने घरों के छज्जों में आ गए। लोगों ने हाथों से ताली बजाकर उन लोगों का अभिवादन किया जो संक्रमण की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे है और निरंतर उनका कार्य जारी है। पांच मिनट तक अभिवादन किया जाना था लेकिन यहा तो आधा घंटे तक लोग मिलकर तालियां, घंटी, शंख, ढोल बजाते रहे। शहर में सेक्टर-12,22,24,39,25,29,27,19,56,55 के अलावा गांवों व सोसायटी में लोग पौने पांच बजे अपनी बालकनियों में आ गए। यही नहीं, सड़कों पर खड़े पुलिसकर्मी, अस्पतालों में चिकित्सक व शहर को सेनेटाइज करने में सफाई कर्मियों ने अभिवादन स्वीकार किया साथ ही लोगों के लिए तालियां बजाई।

जनता कर्फ्यू का असर

मोरना बस अड्डा पर कम लोग

आम दिनों में यहां हजारों की संख्या में लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों का प्रयोग करते है। यहा से सिकंद्राबाद, आगरा, बुलंदशहर, मेरठ , मुजफ्फरनगर के लिए बसें चलती है। जनता कर्फ्यू का समर्थन के दौरान यहा एक दो लोग ही नजर आए। बसों का संचालन पहले ही बंद था। बसों को सेनेटाइज किया जा रहा था।

नहीं मिला जरूरत का सामान

निर्देश थे कि जरूरत के सामान के लिए दुकानें व मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। शहर के सभी बाजारों मे दोपहर बाद कुछ एक को छोड़ दे तो अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। दूध, सब्जियों की दुकानें भी बंद रहीं। बताया गया कि इन लोगों ने समर्थन में स्वेछा से अपनी दुकाने बंद की है।

सेक्टरों के गेट तक पहुंचा दूध

सुबह 5 से 6 बजे तक सेक्टरों के गेट पर दूध पहुंचा। नोएडा के विभिन्न सेक्टरों की गेट पर ही डिलीवरी देने के आदेश जारी किए गए थे। यही कारण है कि रविवार की सुबह सेक्टरों के गेट पर सुबह पांच बजे ही भीड़ जुटने लगी। गेटों पर तैनात सुरक्षाकर्मी समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। कई सेक्टरों में गेट पर ही अखबार की भी डिलीवरी हुई।

डायल 112 ने युवक को पहुंचाया घर

गाजियाबाद में फंसे ग्रेटर नोएडा के एक युवक को पीआरवी ने उसके घर तक पहुंचाया। युवक के परिजनों ने बताया कि सुबह युवक गाजियाबाद स्टेशन पर उतरा था लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था जिसकी मदद से वह घर पहुंचे। युवक ने मदद के लिए 112 नंबर डायल किया और मदद मांगी।

फरीदाबाद में लोगों ने जनता कर्फ्यू का किया समर्थन

फरीदाबाद, 22 मार्च (जनसत्ता)।

आम लोगों ने खुद आगे आकर जनता कर्फ्यू को सफल बताया। सेना और पुलिस के दबाव के बिना ही लोग अपने घरों में सिमटे रहे और पांच बजने का बेकरारी से इंतजार करते रहे। पांच बजने से पहले ही लोग अपने घरों से बाहर बालकनी और सड़कों पर आ गए। लोगों के हाथों में थालियां, घंटी और शंख थे। लोगों ने करीब दस मिनट तक तालियां और घंटी बजाईं। दो से चौदह साल के बच्चों समेत सभी युवा उत्साहित दिखे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जनता कर्फ्यू के लिए अपील की थी। पलवल ,बल्लभगढ़, एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद समेत गांव में व्यापक समर्थन मिला। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व में स्थित क्षेत्र में लोग नहीं दिखे। सेक्टरों के बाजार बंद रही।

कोरोना : 25 मार्च तक नोएडा बंद

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 मार्च।

कोविड-19 का संक्रमण को रोकने के लिए नोएडा को 25 मार्च तक बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान जरूरी सामानों जैसे मेडिकल स्टोर व खाने पीने, सब्जियों की दुकान खोली जा सकती है। वहीं, मेट्रो सेवाओं के अलावा सिटी बस सर्विस का संचालन 25 मार्च के बाद भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।

जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार को विभिन्न प्रमुख मार्गों, मेट्रो स्टेशन, व्यावसायिक स्थल, आवासीय परिसर, गांवों इत्यादि में सेनेटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण ने कुल 32 टीमें बनाकर सोडियम हाईपोक्लोराईड एवं एल्कोहल बेस में आईसोप्रोपाईल को जल टैंकर में मिलाकर छिड़काव करते हुए डिसइफेक्टेड किया जा रहा है। यह कार्य 31 मार्च तक जारी रहेगा। प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी व एनएमआरसी की निदेशिका रितु माहेश्वरी ने बताया कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 31 तक शहर में प्रतिदिन साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी रहेगा।

मेट्रो व सिटी बस सेवा भी बंद

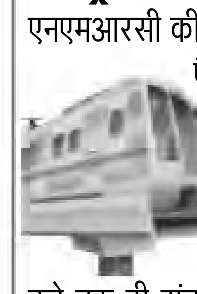

एनएमआरसी की निदेशिका ने बताया कि संक्रमण के फैलावा को रोकने के लिए एनएमआरसी की एक्वा मेट्रो व सिटी बस सर्विस का संचालन 31 मार्च तक रोक दिया गया है। इससे पहले सोमवार को रात्रि आठ बजे तक ही संचालन की बात कहीं गई थी। लेकिन एहतियात के तौर पर इसे टाल दिया गया।

इन स्थानों को किया सेनेटाइज

- सेक्टर-94,124,125,126,127 रायपुर
- 128,129,130,132,
- 135, वाजिदपुर, 168, 150,151,152, कुडंली, गढ़ी।
- सदरपुर,सुल्तानपुर, फेज-2, नंगला, ककराला, खोड़ा, 88 होशियारपुर, 105,108
- 90,85,137,78,79,80,81

सवारी वाहन नहीं चलेंगे

25 मार्च तक सवारी वाहनों का संचालन भी पूर्णता बंद रहेगा। ऐसे में लोग घरों से नहीं निकले। इसमे ऑटो टैंपो, ई-रिक्शा के अलावा पैदल रिक्शा भी शामिल है। तो वहीं, अस्पतालों की ओपीडी को पहले ही 2 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।

अस्पतालों में कोरोना से निपटने का पूर्वाभ्यास

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 मार्च।

कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू के दौरान जहां सड़कें सूनी रहीं वहीं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), एलएनजेपी, आरएमएल, सफदरजंग सहित केंद्र और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कोरोना विषाणु की संभावित आपदा से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ को कैसे संभालना है और कैसे इलाज करना है इसको लेकर तैयारी की गई। एम्स में इस दौरान निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया मौजूद रहे। उन्होंने इसका जायजा लिया व हालातों की समीक्षा भी की।

प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। एम्स निदेशक ने कहा कि संपर्क विक्षेद करना संक्रमण रोकने का बेहतरीन व कारगर कदम होता है। उन्होंने बताया कि कोई आपदा आने की सूरत में अगर मरीज बड़ी संख्या में आए तो उनको कैसे संभालना है। इसीलिए हमने कोरोना का सेंटर झज्झर में स्थित एम्स के कैंसर सेंटर पर बनाया है। जहां करीब 20 संदिग्ध मरीज रखे गए हैं। कर्मचारियों का हौसला बढ़ाए रखना जरूरी है। इसलिए हर वक्त उपलब्ध रहने की जरूरत होती है फोन पर हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। जरूरत पड़ी तो कम से कम 100 मरीजों को एम्स में रखकर उनका इलाज कर सकेंगे। उसके लिए सभी तरह के जरूरी उपकरण व तमाम अन्य संसाधनों को भी तैयार कर लिया गया है। जरूरत पड़ी से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कैंसर सेंटर में जगह ही जगह है। जांच की प्रयोगशाला भी अत्याधुनिक है।

एम्स निदेशक ने भी जनता कर्फ्यू का पालन किया

सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना पसंद करने वाले डॉ गुलेरिया रविवार को भी जल्दी उठ गए। योगाभ्यास किया। उन्होंने बताया कि वे नाश्ता वगैरह करने के बाद आमतौर आठ बजे दफ्तर निकल जाते हैं लेकिन आज लंबे समय बाद पूरे परिवार के साथ नाश्ता किया। उन्होंने कहा कि परिवार का साथ मिल बैठना कम ही हो पाता है क्योंकि परिवार के सभी सदस्य चिकित्सा पेशे से जुड़ें हैं, जिसमें पत्नी व बहू महिला रोग विशेषज्ञ व बेटा न्यूरोसाइंस के चिकित्सक हैं। सभी की मरीजों को लेकर व्यस्तता रहती है तो साथ होना नहीं हो पाता। रविवार को कुछ मनपसंद पढ़ा।

अभियान लड़खड़ाया

कोरोना को लेकर विश्वव्यापी डर के माहौल में पिछले कई महीनों से स्वच्छता की बेहतरीन मुहिम चला रहे नोएडा की स्थिति लड़खड़ाने के आसार बन गए हैं। शहर में कचरा घर खत्म करने और घर-घर से कूड़ा उठाने की कई महीनों पहले शुरू हुई महत्वाकांक्षी मुहिम के बीच अब लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है।

माना जा रहा है कि अधिकांश बीमारियों की बड़ी वजह गंदगी होती है लेकिन कोविड-19 संक्रमण फैलने के मामले में गंदगी कोई बड़ी वजह नहीं बताई गई है। ऐसे में घर से कूड़ा उठाने वाली निजी एजंसी के कर्मचारियों के नहीं आने का सिलसिला शुरू होने के बाद लोगों के पास घरेलू कचरे को बाहर डालने का कोई विकल्प नहीं रहा है। वहीं, इसकी शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के चलते अधिकांश सरकारी कर्मचारी इस बीमारी के प्रबंधन में लगे हैं और स्वच्छता जैसे मुद्दे इन दिनों खास प्रभावी नहीं रह गए हैं।

आधी रात कोरोना

कई बार कोई वाक्या तनावपूर्ण माहौल में भी चेहरे पर मुस्कान ला देता है। ऐसा ही हुआ बीते दिनों हाई कोर्ट में। जब तनावपूर्ण माहौल में निर्भया के कसूरवारों के लिए देर रात अंतिम जिरह चल रही थी। बीच मामले में 'कोरोना' आ टपका। सुनवाई शुरू होते ही जज ने जब दोषियों के वकील एपी सिंह से पूछा कि बिना शपथपत्र के और अधूरे कागजात के साथ आपने कैसे याचिका डाल दी। इस पर वकील ने कहा कि कोरोना समस्या के कारण कहीं फोटो कॉपी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। क्षण भर के लिए लोग एक-दूसरे को देखने लगे। कहना न होगा कि यह क्षण भर के लिए ही सही तनावपूर्ण माहौल हल्का होता नजर आया।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू की दिखी सफलता

हर तरफ गूंजी थाली-ताली व घंटियां

जनसत्ता संवाददाता
22 मार्च, नई दिल्ली।

जनता कर्फ्यू रविवार को सफल दिखा। दिल्ली वालों ने दिनभर के मौन को ठीक पांच बजे थालियां, तालियां, घंटिया, शंख बजाकर तोड़ा और कोरोना की वजह से दिन रात सेवा में जुटे आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों का अभिवादन किया। लोग पांच बजे ही अपने घरों की छतों पर निकल आए और तालियां व थालियां बजाना शुरू कर दिया। कहीं-कहीं आतिशबाजी हुई और भारत माता जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली के सभी बाजारों व कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। जो इक्का-दुक्का लोग सड़क पर आ भी रहे थे उन्हें खुद लोग ही घर पर रहने की सलाह देते नजर आए।

दिल्ली के मयूर विहार फेज वन इलाके में पांच बजने से कुछ मिनट पहले तेज सायरन की आवाज हुई। देखते ही देखते तमाम घरों के लोग छज्जों व छतों पर और अपने दरवाजे के बाहर जमा हो गए। और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ठीक पांच बजे से तालियां बजाने लगे। बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस में शामिल थे। कोई थाली बजा रहा था तो कोई प्लेट। कहीं कहीं लोग कोरोना संबंधी गीत बना कर वो भी गा रहे थे तो कहीं कोरोना को हराने संबंधी नारे लगा रहे थे।

यह माहौल करीब करीब हर मोहल्ले में था। एलएनजेपी,आरएमएल, सफदरजंग सहित तमाम अस्पतालों में भी लोगों ने तालियां बजा कर डॉक्टरों व दूसरे चिकित्सा कर्मियों का अभिवादन किया। मरीजों के तीमारदार भी इसमें शामिल थे। दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने कहा कि जब हम घरों में बैठ कर अपने प्रियजनों के ठीक होने की दुआ कर रहे

हैं ऐसे में वे डॉक्टर नर्स व दूसरे स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना उनके इलाज में लगे हैं। इसलिए हम उनका आभार जता रहे हैं।

www.readwhere.com

एक हफ्ते पहले ही लागू हो जाना चाहिए था 'जनता कर्फ्यू' : राउत

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

देश में रविवार को 'जनता कर्फ्यू' के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए ऐसा बंद एक सप्ताह पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। क्षेत्रीय समाचार चैनल से बातचीत में राउत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर 'गहरा असर' होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घातक विषाणु को फैलने से रोकने में मदद के तौर पर 'जनता कर्फ्यू' की अपील के चलते रविवार को देश में लोग घरों में रहे, सड़कों पर वीरानी रही और बमुश्किल ही वाहन सड़कों पर दौड़े। राउत ने कहा, 'कर्फ्यू एक हफ्ते पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। सरकार की अलग राय हो सकती है लेकिन यह मेरी निजी राय है कि बंद करने का फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था।' उन्होंने कहा, 'लोगों के साथ नरमी से संवाद करने का वक्त नहीं है। चीन की सरकार की तरह काम करने की जरूरत है जहां उन्होंने अपने फैसलों को सख्ती से लागू किया और कोविड-19 के प्रसार को और फैलने से रोका।'

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि गोमांस खाने पर लोगों को मारने और 'भारत माता की जय' जैसे नारे लगाने के बजाय यह एक-दूसरे की मदद करके और लोगों को जीवित बचाकर देश की सेवा करने का सही समय है। उन्होंने कहा, 'हमारा देश पहले भी ऐसे हालात से निपटा है। हमें अपनी खपत घटाने की जरूरत है ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सकें।' राउत ने कहा कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर 'गहरा असर' पड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा, 'अगले कुछ वर्षों तक भी इसका असर महसूस किया जाएगा। हमें सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीति कर सकते हैं और एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'यह राजनीति करने का वक्त नहीं है।'

इस बीच, एक स्थानीय एनजीओ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की कि मुंबई में सभी हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों को अपने सदस्यों के स्वास्थ्य पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाए। हार्मोनी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अब्राहम मथई ने पत्र में कहा कि अगर हाउसिंग सोसायटी में पदाधिकारी कोरोना वायरस के मामले दर्ज कराने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने बातचीत में कहा, 'अगर हम उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति चीन या इटली जैसी हो सकती है। सोसायटी के पदाधिकारियों की ओर से चूक को विशेष कानून लाकर आज के दौर में अपराध माना जाना चाहिए।'

शिक्षक 31 मार्च तक घर से काम करें : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

केंद्र सरकार ने कोरोना विषाणु के प्रकोप को देखते हुए शिक्षकों, शोधार्थियों और गैर शिक्षण कर्मियों को 31 मार्च तक घर से काम करने का सुझाव देते हुए रविवार को कहा कि इस अवधि में उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि स्कूलों/संगठनों के शिक्षकों, शोधार्थियों और गैर शिक्षण स्टाफ को 31 मार्च तक घर से काम करने की अनुमति और सलाह दी जाती है। सभी शिक्षकों, शोधार्थियों और गैर शिक्षण स्टाफ को इस अवधि में घर से काम करने की स्थिति में ड्यूटी पर माना जाएगा। मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह व्यवस्था अस्थायी और अनुबंध आधारित शिक्षकों पर भी लागू होती है, अगर उनका अनुबंध 31 मार्च 2020 तक वैध हो। कोरोना विषाणु के मद्देनजर यह ऐहतियातन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जो छात्र अभी भी छात्रावासों में हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय छात्र, उन्हें वहां रहने की अनुमति दी जाती है। हालांकि उन्हें कोरोना विषाणु संक्रमण को लेकर सभी जरूरी ऐहतियाती सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि घर में समय को उत्पादक बनाने के लिए शिक्षकों को आने वाले अकादमिक वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने, ऑनलाइन शिक्षण समग्री तैयार करने, शोध करने, लेख या ब्लॉग लिखने का सुझाव दिया जाता है। सभी शिक्षण कर्मियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, गैर शिक्षण कर्मियों से अपने संस्थान को मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी देने को कहा गया है ताकि आपातस्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। इससे एक दिन पहले ही मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी राज्यों समेत यूजीसी, एआइसीटीई, एनआइओएस, एनसीटीई, आइआइटी, आइआइएम, एनआइटी और आइआइआइटी प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा था कि कोराना विषाणु से बचाव के लिए सभी शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद हैं, इसलिए घर बैठे छात्रों को तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं की मदद लेनी होगी।

वहीं, यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार की परीक्षा, मूल्यांकन और शोधकार्य, थीसिस जमा करने का काम 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

अभिनेता प्रभास ने विदेश से लौटने के बाद खुद को पृथक किया

हैदराबाद, 22 मार्च (भाषा)।

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है।

फिल्म बाहुबली' के अभिनेता प्रभास ने शनिवार को ट्वीट किया, 'विदेश में शूटिंग पूरी करके सुरक्षित लौटने पर कोविड-19 के बढ़ते खतरे के मद्देनजर मैंने अपने आप को पृथक रखने का फैसला किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक एहतियात बरत रहे होंगे।' अनुपम खेर और शबाना आजमी समेत कई भारतीय हस्तियों ने विदेश से लौटने के बाद अपने आप को पृथक कर लिया है।

'कोरोना वायरस के खतरे से बेघर लोगों को बचाना बड़ी चुनौती'

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बेघर लोगों की आबादी पर भी मंडरा रहा है और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक डा. सुजीत कुमार सिंह का मानना है कि अगर यह वायरस झुग्गी झोपड़ी इलाके में पहुंच गया तो इसे नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि ब्रिटेन में बेघर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। भारत में भी बेघरों की बड़ी आबादी को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए? सिंह ने कहा, बेघर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से अलग नहीं रखा जा सकता। अन्य लोगों के साथ बेघरों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। हालांकि इन लोगों को इस खतरे से बाहर लाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह नीतिगत फैसले से जुड़ा मामला है, मैं इस बारे में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं।

बेघरों के अलावा दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में सघन बसावट वाले झुग्गी झोपड़ी इलाकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने की चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, के बारे में उन्होंने कहा कि अगर यह वायरस झुग्गी झोपड़ी इलाके में पहुंच गया तो इसे नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इस खतरे को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इन इलाकों में बहुत छोटे छोटे घरों में कई कई लोग रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को घर में ही पृथक करना काफी बड़ी चुनौती होगी।

उनसे पूछा गया कि केंद्र की ओर से 'जनता कर्फ्यू' की पहल के साथ ही राज्य सरकारों ने 'लॉक डाउन' की स्थिति को लागू किया है। यह कितना कारगर हो सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण इलाकों के सामान्य क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से 'जनता कर्फ्यू' और 'लॉक डाउन' एक कारगर पहल है। मगर बेघर लोगों और झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वालों के बारे में जरा सोचिए कि ये उपाय क्या कारगर हो सकेंगे? इन इलाकों में अगर 'लॉक डाउन' करेंगे और संक्रमण यदि पहले से ही मौजूद है तो यह और ज्यादा फैल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर समय पर 'लॉक डाउन' को कारगर तरीके से लागू नहीं किया गया तो इस वायरस का असर और भी ज्यादा हो सकता है।

कोरोना वायरस के खतरे के दायरे में बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ज्यादा हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इस धारणा ने युवाओं को कोरोना के खतरे के प्रति निश्चिंत बना दिया। यह धारणा कितनी सही है? इस पर सिंह ने कहा कि संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए यह मानना गलत होगा कि युवा कोरोना वायरस के खतरे से बाहर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि युवाओं को भी यह वायरस न सिर्फ अस्पताल तक पहुंचा सकता है बल्कि उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए युवाओं को भी सभी जरूरी एहतियात बरतने की उतनी ही जरूरत है, जितनी अन्य लोगों को है।

भारत अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे चरण में है। मौजूदा हालात के मद्देनजर इसके, सामुदायिक संक्रमण के खतरे से जुड़े तीसरे चरण में पहुंचने की आशंका किस हद तक है, इस पर उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियों में पूरे देश के बारे में एकदम से कुछ भी कहना उचित नहीं होता है। एक चरण से दूसरे चरण में जाने की स्थिति, रातों रात पैदा नहीं हो जाती है, खासकर जब हम बहुत बड़ी आबादी वाले देश के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में एक संक्रमण काल (ट्रांजीशनल फेस) भी आता है, जिसमें कुछ संकेत मिलते हैं और इन संकेतों के मुताबिक ही हमें आगे की रणनीति के लिए फैसले करने पड़ते हैं। कोरोना वायरस के जिस सामुदायिक संक्रमण (लोकल एरिया ट्रांसमिशन) की आशंका के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह स्थिति किसी राज्य या पूरे देश में अचानक नहीं आती है।

पटना में कोरोना के मरीज की मौत पर नीतीश ने जताया शोक

पटना, 22 मार्च (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एम्स में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुमान्य सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया है।

गत 16 मार्च को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के निकटतम संबंधी को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट काफी गंभीर है और बचाव के लिए सभी नागरिकों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा 'बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक व आपसी दूरी बनाना) सबसे बेहतर तरीका है। लोग यथासंभव अपने घरों में ही रहें।' मुख्यमंत्री ने अपील की कि कोई भी व्यक्ति बीमारी के लक्षण व भ्रमण इतिहास नहीं छुपाए और लक्षण आने पर तुरंत इलाज के लिए सूचित करे। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पटना स्थित एम्स में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की कल शनिवार की सुबह करीब दस बजे मौत हो गई थी। एम्स में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमित एक अन्य मरीज को पृथक रखा गया है।

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules (1993).
In the matter of
O.A No 955/2019
ICICI BANK LTD. Vs Sh Sakthivel & Anr.
Applicant **Defendants**
D-1 Sh. Sakthivel S/o Sh. Rangaswamy R/o H. No. 100, 3rd Floor, Block G, Pocket 4, Sector-11, Rohini, Delhi-110085.
Also at M/s Sri Balamurugan Transport, A-50, Ambay Garden, Libaspur Village, Delhi-110042.
Also at B-6/107, 1st Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085
Also at R/o B 8/84, 2nd Floor, Sector-11, Rajapur Kalan, Rohini, Delhi-110085
D-2 Sh. R. Rajendran S/o Sh. R. Rangaswamy R/o B8/84, 2nd Floor, Sector-11, Rajapur Kalan, Rohini, Delhi-110085.
Also at :- R/o H. No. 100, 3rd Floor, Block G Pocket 4 Sector-11, Rohini, Delhi-110085.
Also at:- G-253, G Block, Shakurpur JJ Colony, New Delhi-110035
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **23.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 09th day of Jan. 2020.
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar
DRT -III, New Delhi

Publication Notice
Before Debts Recovery Tribunal -III, Delhi
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi-01
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules (1993).
In the matter of
O.A No 805/2019
ICICI BANK LTD Vs Vinil Gupta & Anr.
Applicant **Defendants**
D-1 Vinil Gupta S/o Sh. Radhey Shyam Gupta H. No. A-15, First Floor, Bhatia Mor, New Panchwati Colony, Near Lohapur Masjid, Ghaziabad-201001
Vinil Gupta S/o Sh. Radhey Shyam Gupta Proprietor, Mohan Namkeens, A-122, New Panchwati Colony, Bhatia Mor, Near Lohapur Masjid, Ghaziabad-201001
D-2 Santosh Gupta W/o Sh. Radhey Shyam Gupta H. No. A-15, First Floor, Bhatia Mor, New Panchwati Colony, Near Lohapur Masjid, Ghaziabad-201001
Santosh Gupta W/o Sh. Radhey Shyam Gupta Proprietor Mohan Namkeens, A-122, New Panchwati Colony, Bhatia Mor, Near Lohapur Masjid, Ghaziabad-201001
Sunil Kumar S/o Sh. Charan Singh R/o F-502 Pearls Gateway, Sector-44, Noida-201301
Also at: Sh. Sunil Kumar S/o Charan Singh Village Rajapur, Mahunama, Bulandshahr, Uttar Pradesh-202398.
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been has been shown to the satisfaction of the Tribunal that is not possible to serve you in ordinary way. Therefore this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **26.03.2020 at 10:30 A.M.** Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal the 15th day of Jan. 2020.
By Order of the Tribunal -Assistant Registrar
DRT -III, New Delhi

नियुक्तियां

UNIVERSITY OF ALLAHABAD
PRAYAGRAJ- 211002, U.P. (INDIA)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज- 211 002, उ.प्र. (भारत)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक- राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता सम्पन्न विश्वविद्यालय/ सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों से आवेदन- पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अध्यापक सुसंगत प्रमाण-पत्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन-वृत्त (बायोडाटा) एक आवेदन पत्र के साथ उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड/ स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित करें। जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10.04.2020 तक प्राप्त हो जाये। अन्य विस्तृत विवरण एवं अर्हताएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.allduniv.ac.in** से प्राप्त करें।

कुलसचिव

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT)

RO JEWELS LIMITED

(CIN: U74999GJ2018PLC105540)

Our Company was originally incorporated RO Jewels Private Limited under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation dated December 11, 2018 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, Manesar. Subsequently, Our Company was converted in to a public company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on September 20, 2019 and consequently name was changed to "RO Jewels Limited" (ROJL) vide fresh certificate of incorporation dated October 01, 2019 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Our Company has acquired the entire business of Proprietorship Concern of one of our Promoter- Mr. Bharat Rasiklal Shah viz. M/s Ravi Ornaments through the Business Succession Agreement dated December 18, 2019 which is effective from May 31, 2019. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, please refer to the chapter titled 'History and Certain Corporate Matters' beginning on page no. 87 of the Prospectus.

Registered Office: 202, Shri Virkala Complex, M.G. Haveli R, Manekchowk Co. Op Bank, Manekchowk, Ahmedabad, Gujarat, India, 380001;
Tel. No.: +91 79 22144429/ 22153329; **Email:** complianceerojewels@gmail.com; **Website:** www.rojewels.in;
Contact Person: Ms. Pooja S. Jadiya, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. BHARAT RASIKLAL SHAH, MRS. PRAVINABEN SHAH AND MR. SHUBHAM BHARATBHAI SHAH

PUBLIC ISSUE OF 13,65,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RO JEWELS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹ 36/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 26/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 491.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 69,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 36/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 24.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 12,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 36.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 466.56 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 48.20 % AND 45.76 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 165 OF THE PROSPECTUS.

As per Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price issue 'the Allocation' is the net issue to the public category shall be made as follows:

a. Minimum fifty percent (50%) To Retail Individual Investors; and
b. Remaining to:
(i) Individual applicants other than retail individual investors; and
(ii) Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for
c. The unsubscribed portion in either of the categories specified in (a) or (b) above may be allocated to the applicants in the other category.

If the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, accordingly the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10 EACH AND THE ISSUE PRICE OF RS. 36 IS 3.6 TIMES OF THE FACE VALUE
ISSUE OPENED ON MARCH 12, 2020 AND CLOSED ON MARCH 17, 2020
PROPOSED LISTING: WEDNESDAY, MARCH 25, 2020*

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated January 31, 2020 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. The trading is proposed to be commenced on or about WEDNESDAY, MARCH 25, 2020*.

Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.

All Applicants were allowed to participate in the Issue through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the **"SCSBs"**). Further, for Retail Individual Investors (individual Investors biding for amount upto Rs. 2 Lacs) use of UPI Id in Application Form is mandatory while applying for equity IPOs through Designated Intermediaries (Syndicate members, Registered Stock Brokers, Registrar and Transfer agent and Depository Participants). All Other Category of Investors shall mandatorily use only Application Supported by Blocked Amount **(ASBA)** facility for making payments

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue has received 134 applications for 1,494,000 Equity Shares resulting in 1.0945 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the applications received in the issue (before technical rejections) are as follows:

Detail of the Applications Received (Before Technical Rejection):

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	% TO TOTAL	NUMBER OF EQUITY SHARES	% TO TOTAL	SUBSCRIPTION TIMES	SHARES AS PER PROSPECTUS
Market Makers	1	0.75	69,000	4.62	1.0000	69,000
Other than Retail Individual Investors	40	29.85	11,46,000	76.71	1.7685	6,48,000
Retail Individual Investors	93	69.40	2,79,000	18.67	0.4306	6,48,000
Total	**134**	**100.00**	**14,94,000**	**100.00**	**1.0945**	**13,65,000**

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawal) are detailed below:

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES
Market Makers	0	0
Retail Individual Investors	1	3,000
Other than Retail Individual Investors	0	0
Total	**1**	**3,000**

After eliminating technically rejected applications, the following tables give us category wise net valid applications:

Category	Number of Applications	% to Total	Issue Size (as per Prospectus)	Proportionate Issue Size (After rounding off)	No. of Valid Shares applied	% of Total Applied	Subscription (Times)	Revised Subscription (Times)
Market Maker	1	0.75	69,000	69,000	69,000	4.63	1.0000	1.0000
Other than Retail Individual Investor's	40	30.08	6,48,000	10,20,000	11,46,000	76.86	1.7685	1.1235
Retail Individual Investor's	92	69.17	6,48,000	2,76,000	2,76,000	18.51	0.4259	1.0000
Total	**133**	**100.00**	**13,65,000**	**13,65,000**	**14,91,000**	**100.00**	**1.0923**	**1.0923**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on Friday, March 20, 2020.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 36 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 69,000 Equity shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 36 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 0.4259 times i.e. for 276,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 276,000 Equity Shares to 92 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this category	% to total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicant Ratio 1	Ratio of Allottees to the Applicant Ratio 2	Number of Successful applicants (after rounding off)	Total No. of Equity Shares allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
3,000	92	100.00	276,000	100.00	648,000	7,043.48	3,000	1	1	92	276,000	(372,000)*

*unsubscribed portion of 372,000 equity shares spilled over to Other than Retail Individual Investor category.

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 36 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.1235 times i.e. for 1,146,000 shares. The total number of shares allotted in this category is 1,020,000 Equity Shares to 40 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this category	% to total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 1	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 2	Number of Successful applicants (after rounding off)	Total No. of Equity Shares allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
6,000	9	22.50	54,000	4.71	48,063	5,340.31	3,000	1	1	9	27,000	(21,063)
							3,000	7	9	7	21,000	21,000
9,000	1	2.50	9,000	0.79	8,010	8,010.47	9,000	1	1	1	9,000	990
12,000	4	10.00	48,000	4.19	42,723	10,680.63	9,000	1	1	4	36,000	(6,723)
							3,000	1	2	2	6,000	6,000
15,000	14	35.00	2,10,000	18.32	1,86,911	13,350.79	12,000	1	1	14	1,68,000	(18,911)
							3,000	3	7	6	18,000	18,000
18,000	1	2.50	18,000	1.57	16,021	16,020.94	18,000	1	1	1	18,000	1,979
24,000	2	5.00	48,000	4.19	42,723	21,361.26	21,000	1	1	2	42,000	(723)
27,000	1	2.50	27,000	2.36	24,031	24,031.41	24,000	1	1	1	24,000	(31)
30,000	1	2.50	30,000	2.62	26,702	26,701.57	27,000	1	1	1	27,000	298
48,000	1	2.50	48,000	4.19	42,723	42,722.51	42,000	1	1	1	42,000	(723)
60,000	1	2.50	60,000	5.24	53,403	53,403.14	54,000	1	1	1	54,000	597
1,05,000	1	2.50	1,05,000	9.16	93,455	93,455.50	93,000	1	1	1	93,000	(455)
1,08,000	1	2.50	1,08,000	9.42	96,126	96,125.65	96,000	1	1	1	96,000	(126)
1,11,000	1	2.50	1,11,000	9.69	98,796	98,795.81	99,000	1	1	1	99,000	204
1,35,000	2	5.00	2,70,000	23.56	2,40,314	1,20,157.07	1,20,000	1	1	2	2,40,000	(314)
TOTAL	**40**	**100.00**	**11,46,000**	**100.00**	**10,20,000**					**40**	**10,20,000 ***	**(0)**

3,000 additional shares are allotted to Category 6,000, Category 12000 & Category 15000 in the ratio of 7:9, 1:2 & 3:7 respectively.
* includes spillover of 372,000 Equity Shares from Retail Category

The Board of Directors of the Company at its meeting held on March 20, 2020 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the transfer of the Equity Shares to various successful applicants.

The Refund/allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about March 23, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to March 23, 2020. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time line, investors may contact at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated March 04, 2020 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue KFIN Technologies Private Limited at www.kfintech.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032;
Tel. No.: +91 40 6716 2222; **Fax No.:** +91 40 2343 1551; **E-mail:** einward.ris@kfintech.com;
Investor Grievance Email: rojewels.ipo@karvy.com; **Website:** www.kfintech.com;
Contact Person: Mr. M Murali Krishna; **SEBI Registration No.:** INR000000221

For RO Jewels Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Shubham Bharatbhai Shah
Managing Director

Place: Ahmedabad
Date: March 21, 2020

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF RO JEWELS LIMITED.

Sanjeet Comm.

www.readwhere.com

जनसत्ता

गहराता संकट

भारत में कोरोना के मामले अब जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वे हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा बचा होगा जहां से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने की खबर न आ रही हो। कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल और असम तक में कोरोना संक्रमित मरीजों का बढ़ता ग्राफ चिंता पैदा करता है। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र में है जहां संक्रमित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सरकार लोगों जागरूक कर रही है, मीडिया के माध्यम से जानकारियां दे रही है, हाथ धोने से लेकर मास्क पहनने जैसी अपील कर रही है, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसका सीधा असर यह हो रहा है कि महामारी को फैलने से रोकने के जरूरी कदम बेकार साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि जो लोग या जिनके परिजन विदेश से लौटे हैं, वे इस बात को छिपा रहे हैं, ताकि उन्हें पकड़ न लिया जाए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन जब बचाव के उपाय नहीं किए जाएंगे और लापरवाही बरती जाएगी तो यह वायरस दूसरे लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा, यह समझने की जरूरत है। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर ने जिस तरह लंदन से लखनऊ लौटने की जानकारी छिपाई और इसके बाद वह लगातार कार्यक्रम देती रहीं, उसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण के संदेह के घेरे में आ गए। कनिका की इस लापरवाही से कितने लोगों तक यह संक्रमण पहुंचा होगा, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। कनिका के कार्यक्रमों में पहुंचने वाले सांसदों के जरिए इस वायरस के संसद तक पहुंच का खतरा पैदा हो गया। कनिका लंदन से मुंबई आने के बाद अगले दिन 11 मार्च को लखनऊ लौटी थीं, पर हवाई अड्डे पर उनकी जांच नहीं हुई और फिर उन्होंने निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन भी नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में एक महिला अधिकारी विदेश से लौटे अपने बेटे को सचिवालय ले गईं और वह लड़का कुछ दिन पार्टियां भी करता रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक दंपति ने विदेश से लौटने की अपनी जानकारी दबाए रखी। सवाल है कि जो लोग समझदार हैं और जान रहे हैं कि बीमारी फैलने का कारण लोगों का एक दूसरे के संपर्क में आना है, वे भी इसके प्रति घोर लापरवाही बरत रहे हैं। यह बड़ा सामाजिक अपराध है।

कोरोना की जब तक कोई इलाज नहीं खोज लिया जाता, तब तक बचाव के तरीके ही इससे हमें बचा सकते हैं। भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऐसे लोगों की पहचान करना है जो पिछले दो महीनों में दूसरे देशों खासतौर से कोरोना प्रभावित देशों से लौटे हैं। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पर्यटकों के जरिए ही यह बीमारी फैली। विदेशी पर्यटक जितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, वे भी एक तरह से संदिग्ध ही हैं और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सरकार देर से चेती। चीन में जब कोरोना का विस्फोट हुआ था, तभी से अगर देश में आने वाले हर विदेशी या भारतीय की जांच होती तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता था। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए जहां लोगों का जमावड़ा हो और इसमें शामिल होने वाले लोगों को भी यह सोचना होगा।

संजीदगी का अभाव

पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति हिंसा और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अब बलात्कार के बाद हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इसे लेकर सरकारें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के संकल्प दोहराती रहती हैं। मगर हकीकत यह है कि इस मोर्चे पर वे प्रायः उदासीन ही दिखाई देती हैं। इसी का नतीजा है कि केंद्र द्वारा निर्भया कोष से जारी धन का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर पातीं। निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई, इस पर स्वाभाविक ही संतोष जताया गया। पर ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जिस तरह का वातावरण बनना चाहिए और सुरक्षा के जैसे इंतजाम होने चाहिए, वह जुटाने में सरकारें विफल दिखाई देती हैं। निर्भया कांड के बाद यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने के मकसद से निर्भया कोष बनाया था। इसमें से राज्य सरकारों को विभिन्न मदों में धन मुहैया कराया जाता है। मगर देखा गया है कि वे राज्य सरकारें भी उस धन का समुचित उपयोग नहीं कर पाईं, जहां बलात्कार और महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं अधिक दर्ज होती हैं। स्थिति यह है कि निर्भया कोष का पच्चीस फीसद से भी कम पैसा खर्च हो पाया है।

निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा पुलिस वालंटियर योजना भी चलाई गई। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर कोई महिला संकट में है और मदद की गुहार लगाती है, तो उसे तुरंत उसी स्थान पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उसे संकट से उबारा और दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके। तब उम्मीद की गई थी कि इस चौकसी से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में कुछ भय पैदा होगा और ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। मगर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन योजनाओं के लिए अबंटित धन का करीब चौबीस फीसद ही उपयोग हो पाया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को सबसे अधिक राशि आबंटित की गई। पर कर्नाटक ने इस निधि का केवल सात फीसद इस्तेमाल किया। दिल्ली ने पांच फीसद और तमिलनाडु केवल तीन फीसद उपयोग कर पाया। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और दमन-दीव ने प्राप्त निधि में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया। केवल उत्तराखंड और मिजोरम ने पचास फीसद रकम खर्च की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने में कितनी मदद मिली है।

जब भी बलात्कार, हिंसा और हत्या की कोई घटना होती है, सरकारें बढ़-चढ़ कर महिलाओं की सुरक्षा के दावे पेश करती हैं। दिल्ली सरकार सड़कों, यहां तक कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बसों में सुरक्षाकर्मी तैनात करने का दम भरती रही है, मगर इनमें से कोई भी वादा वह पूरा नहीं कर पाई, जबकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के दावे तो खूब करती है, पर महिलाएं वहां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा वहां से जब-तब आने वाली हत्या और बलात्कार की खबरों से लगाया जा सकता है। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक भी इसमें पीछे नहीं हैं। यों तो सरकारें कोई योजना चलाने में धन की कमी का रोना रोती रहती हैं, पर विचित्र है कि जिन योजनाओं में उन्हें धन उपलब्ध होता है, उसे वे उपयोग नहीं कर पातीं। यह उनकी संजीदगी का अभाव नहीं तो और क्या है!

कल्पमेधा

सत्य की ओर ले जाने वाला प्रथम प्रशस्त मार्ग कठिनाइयां हैं।
- बायरन

कोरोना : तैयारी और यथार्थ

खुशबू गुप्ता

कोरोना संक्रमण जिस तरह का भयावह रूप धारण कर गया, उसके पीछे सरकारों की असफलता तो बड़ा कारण है ही, आमजन की लापरवाही ने भी इसे बढ़ाया है। इससे बचने का उपाय चिकित्सकीय से ज्यादा सामाजिक एवं व्यावहारिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए स्वैच्छिक संगठन लोगों को इस महामारी के खौफ से निकाल सकते हैं। लोगों को पर्याप्त और सही सूचनाएं, जानकारियां दी जानी जरूरी हैं।

कोरोना वायरस (कोविड19) आपदा संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बन कर उभरी है। इस संकट की भयावहता और इससे उत्पन्न चिंताओं को महसूस कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। संक्रमण के घातक प्रकोप, भयावह स्थिति और सबसे निराशाजनक उसके प्रति चौंकाने वाली लोगों की अकर्मण्यता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'यदि सभी देश अपने नागरिकों की जांच, उपचार, पृथक्करण कर लोगों को जागरूक और सक्रिय करें तो वे इस वैश्विक महामारी का रुख मोड़ सकते हैं।' विश्व के कई देशों ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ बड़े और कठोर फैसले किए हैं, जिसमें नागरिकों की भूमिका अहम रही है। भारत विकास के लिए प्रयत्नशील देश है और हमारे लिए यह संकट सामान्य बात नहीं है।

इसमें कोई संशय नहीं कि बिना नागरिकों के सहयोग के इस महामारी का मुकाबला कर पाना मुश्किल है। इसलिए देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी सभी परामर्शों और दिशा-निर्देशों का पालन करें। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर अमल कर सहयोग करें। यह कोरोना से निपटने में यह जन भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से एकदम बचा जाए। लेकिन अभी यह देखने में आ रहा है कि लोग इस तरह के संकल्प और संयम को महत्त्व नहीं दे रहे। देश में कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं जिनमें लोगों ने जरूरी जानकारियां छिपाईं और उनकी यह लापरवाही दूसरों के लिए संकट का बड़ा कारण बन गई।

कोरोना जैसी महामारी के संकट से निपटने में सामाजिक संगठनों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। समाज के समझदार जागरूकता लाने के काम में बड़ी मदद कर सकते हैं। इस महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। सामाजिक संगठनों को इसे 'व्यावहारिक परिवर्तन' के कार्यक्रमों में शामिल कर इसके बारे में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हालांकि भारत में स्वच्छता अभियान के लिए प्रयास कम नहीं हुए हैं, लेकिन साफ-सफाई के प्रति लोगों में आज भी सजगता का अभाव देखने को मिलता है और वह भी बड़े पैमाने पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है। कोरोना संक्रमण जिस तरह का भयावह रूप धारण कर गया, उसके पीछे सरकारों की असफलता तो बड़ा कारण है ही, आमजन की लापरवाही ने भी इसे बढ़ाया है। इससे बचने का उपाय चिकित्सकीय से ज्यादा सामाजिक एवं व्यावहारिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए स्वैच्छिक संगठन लोगों को इस महामारी के खौफ से निकाल सकते हैं। लोगों को पर्याप्त और सही सूचनाएं, जानकारियां दी जानी जरूरी हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की भागीदारी और उनको प्रेरित करने की सामर्थ्य कितनी ज्यादा है। इन संस्थाओं के द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना, निर्धनों की मदद, उन्हें जागरूक करना, चिकित्सा राहत एवं सामान्य जन उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन किया जाना चाहिए। जब इतने व्यापक स्तर पर लोग महामारी से पीड़ित हों तो चिकित्सकीय प्रणाली पर पूर्ण निर्भरता असफल होती है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है जितनी कि चिकित्सकीय सेवा की। इस तरह के वास्तविक प्रयासों से पीड़ितों की सहायता करने के अलावा उनके बच्चों, परिवार और अन्य आश्रित लोगों की सहायता की जा सकती है जो एकाकीपन और सामाजिक भेदभाव के शिकार हो जाते हैं।

महामारी से के दुश्चक्र से निकलने में बचाव कार्यक्रम भी काफी अहम हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव द्वारा बनाई गई ग्लोबल हेल्थ सिक्युरिटी (जीएचएस) रिपोर्ट में यह बताया गया कि संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मौलिक रूप से बहुत कमजोर है। कोई भी देश वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और सभी देशों में यह कोरोना वायरस महामारी गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है। भारत के संदर्भ में देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों को इस संक्रमण से लड़ने के लिए ठोस और कारगर उपायों के बारे में सोचने की जरूरत है। समस्या अभी यह है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इसकी दवा या टीका कब तक तैयार होगा, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसे में बचाव के उपाय ही कारगर हो सकते हैं।

महामारी के फैलाव को रोकने और इस पर काबू पाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, उनको जागरूक तथा शिक्षित करने की आवश्यक है। जनभागीदारी और जनसर्थन से कई प्रभावी कदम भी केंद्र और राज्य सरकारें उठा रही हैं। इसके प्रमुख उपाय के रूप में सामाजिक दूरी का उपाय बहुत कारगर है। वायरस की प्रकृति और उसके फैलने के तरीकों का जो अध्ययन किया गया है, उससे यह सामने आया है कि दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी जरूरी है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी शिकायतें हैं, उनमें इसके लक्षण होने की संभावना हो सकती है। इसलिए छींकते, खांसते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है,ताकि सामने वाले तक वायरस न पहुंच पाए। हालांकि प्रचार माध्यमों के जरिए इस बारे में लोगों को तरह-तरह से संदेश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो बड़े खतरे की ओर इशारा करती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि राज्यों को जो कानूनी शक्तियां दी गई हैं, चाहे वह महामारी एक्ट हो या आपदा प्रबंधन कानून हो, सीआरपीसी के तहत उनके द्वारा निर्णायक कदम सबकी सहमति से समाज को साथ लेकर उठाए जाएं। साथ ही साथ बाजारों के समय को नियंत्रित किया जाए, सार्वजनिक यातायात के संसाधनों में कमी की जाए। ये कुछ ऐसे जरूरी कदम हैं जो संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी हैं और सबसे ज्यादा जरूरत इनका पालन सुनिश्चित कराना है। यह काम समाज, सरकार और अन्य सभी वर्गों के समर्थन से ही संभव है।

कोविड 19 के व्यापक प्रसार की स्थिति ने विश्व के सभी देशों को ऐसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने, स्वास्थ्य और आपातकालीन बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया है। विश्व के ज्यादातर देशों को स्कैंडिनेवियाई देशों जिनमें डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन प्रमुख हैं, की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा योजना, पेंशन, नागरिकों की जीवन प्रत्याशा आदि शामिल हैं। विश्व के शक्तिशाली देशों को हथियार और परमाणु शक्ति संपन्न बनने के बजाय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बल देना चाहिए, जिससे देश के नागरिकों का जीवन खुशहाल बनेगा।

बहरहाल अभी भारत की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास विकसित देशों की तरह संसाधन नहीं हैं। कोरोना की जांच में इस्तेमाल होने वाले किट की भारी कमी की वजह से ही संक्रमण ग्रस्त मरीजों का पता लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया जैसा छोटा-सा देश लाखों लोगों की जांच कर चुका, जबकि भारत में इस तरह के सबसे जरूरी कदम का अभाव देखने को मिला। ऐसी सूरत में देश के नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देशवासी इस भयावह प्रकोप से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे बचाव संबंधी कदमों और उपायों की उपेक्षा नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी जनभागीदारी है।

इंसाफ की मंजिल

भावना मासीवाल

बीस मार्च को शायद आने वाले दिनों में भारत की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। दरअसल, इस दिन का इंतजार महिलाएं पिछले सात सालों से करती आ रही थीं। इस दौरान न जाने कितनी लड़कियां यौन हिंसा में जिंदा जला दी गई तो कितनी दूसरे तरीकों से मार डाली गईं। न्याय में हो रही देरी से अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए। मगर निर्भया के दोषियों को आखिर फांसी दे दी गई। कानूनी प्रक्रिया के हर स्तर को पूरा करने के बाद उन्हें उनके जघन्य अपराध की सजा मिली। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बलात्कार के अपराधियों की यह सजा उन अपराधियों के हौसलों को कम करेगी, जिनकी नजर में महिलाएं इंसान नहीं होती हैं। इस फैसले का असर इस रूप में भी सामने आएगा कि इस अपराध की पीड़ित जो महिलाएं निराशा के भंवर में अपने दिन गुजारती हैं, उनके भीतर न्याय की उम्मीद फिर से जगेगी। ऐसे में निर्भया के दोषियों के फांसी के दिन यानी बीस मार्च को कुछ महिलाओं की ओर से 'बलात्कार रोकथाम दिवस' का दर्जा देने की मांग सामने आई है तो उसका आधार है। प्रतीक रूप में अगर यह दिवस स्थापित होता है तो इसके जरिए बलात्कार की बढ़ती घटनाओं और उसके पीछे के सामाजिक कारणों को समझने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त करने की दिशा में ठोस कदम आगे की ओर बढ़ सकेंगे।

दुनिया मेरे आगे

मैंने ऐसे मामलों के अध्ययन के दौरान अक्सर पाया है कि बलात्कार की घटनाओं के बाद समाज और कई बार खुद अपना परिवार भी पीड़िता को अकेला छोड़ देता है। ऐसा व्यवहार कई बार पीड़ित महिलाओं को आत्महत्या तक के रास्ते पर धकेल देता है। ऐसे में जरूरी है कि इस मनोस्थिति से गुजर रही महिलाओं के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उन्हें फिर जिंदगी से प्यार करना सिखाया जाए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके सुरक्षित जीने के अधिकार को भी संरक्षित किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बलात्कार की घटनाओं के मामले में भारत विश्व के शीर्ष पांच देशों में स्थान रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2018 में 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' की श्रेणी में 3,78,277 मामले दर्ज किए गए जो 2017 के 3,59,849 दर्ज अपराध के मामलों से काफी अधिक थे।

विडंबना यह है कि महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं का क्रम लगातार बढ़ ही रहा है। मुझे इस पर हैरानी इसलिए होती है कि साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के प्रयास भी कई स्तरों पर चल रहे हैं। फिर भी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मानसिकता में कमी नहीं आ रही है। सवाल है कि हमारी कोशिशों में नुक्स आखिर कहां है? मुझे लगता है कि इसका सबसे प्रमुख कारण हमारी कमजोर न्यायिक प्रक्रिया और न्याय में देरी है। कानूनी दांवपेच के जरिए अपराधी अपने मानवाधिकार, परिवार आदि की दुहाई देकर अपने पक्ष को मजबूत करके अपराध से मुक्त होने का कानूनी खेल-खेलते हैं और कभी-कभी सफल भी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में पीड़ित पक्ष फिर से पीड़ित बना दिया जाता है और यह सब होता है हमारी ढुलमुल न्यायिक प्रणाली की वजह से।

यौन हिंसा और बलात्कार की वीभत्सता इतनी अधिक और क्रूर होती है कि एक संवेदनशील मनुष्य अपने मनुष्य होने पर शर्मसार हो जाए। ऐसे में इन अपराधियों द्वारा मानवाधिकार की बात करना मानवाधिकार का उल्लंघन करने जैसा लगने लगता है। 'स्टेटिक्स ऑन रेप इन इंडिया एंड सम वेल-नोन केसेज' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में 2017 के अंत तक न्यायिक प्रक्रिया में 1,28,000 मुकदमे अब तक लंबित थे। ऐसे में सात सालों से लंबित निर्भया केस के दोषियों को फांसी की सजा देने के निर्णय के बाद तीन बार उस निर्णय को रुकवाना और अपराधियों का अपने मानवाधिकार का हवाला देना, सच को जानने के बाद भी उनके परिवार की महिलाओं का उनका साथ देना और उनकी ढाल बनना अपराध की मानसिकता को बढ़ावा देता है।

अपराध को बढ़ाने में जहां न्यायिक प्रक्रिया का अधिक लचीला होना कारण है तो वहीं बलात्कार के अपराधियों के प्रति समाज और परिवार का संयोगात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार भी अपराध की मनोवृत्ति को बढ़ाने में सहयोग करता है। सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को घर में बंद करके, समय और समाज का डर दिखा कर, उनके कपड़ों पर आरोप लगा कर उन्हें ही डराने और उन्हें असुरक्षा का कारण बताने का प्रयास परिवार और समाज करता रहा है। लेकिन समाज कभी अपने भीतर के वहशीपन को नहीं पहचानता, बेटों या लड़कों को सभ्य और इंसान बनाने की कोशिश नहीं करता, जो ऐसे अपराधों की जड़ है। बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के बाद उसे छिपाने और बचाने की कोशिश में अनगिनत लड़कियों के साथ होते बलात्कार का मूकदर्शक बन कर ऐसे अपराध को और बढ़ावा देता है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार, समाज, न्यायपालिका एक साथ मिल कर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सहयोगात्मक कदम बढ़ाए, ताकि, महिलाओं के लिए एक संवेदनशील, सुरक्षित और न्यायप्रिय समाज का निर्माण किया जा सके।

कैसे रुके हैवानियत

कितने राष्ट्रीय शर्म और क्षोभ का विषय है कि एक तरफ तो हम लोग विश्व में अपने को कथित आध्यात्मिक गुरु और कथित विश्व गुरु होने का छद्म नाटक करते हैं और दूसरी ओर हम अपनी नन्ही-मुन्नी बेटियों की सुरक्षा भी नहीं कर पाते। मानव के भेस में हैवानियत की सारी हदों को पार कर जाने वाले दानव कभी निकट संबंधी तो कभी पड़ोसी, तो कभी कोई अन्य रिश्तेदार बन कर घर-परिवार की बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। यह विडंबना ही है कि हमारा देश और समाज पश्चिमी उन्नतशील देशों जैसे खुला और ईमानदार समाज नहीं है। हम कभी भी किसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ्य बहस ही नहीं करते, न उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कथित धर्म खतरे में पड़ जाता है!

वास्तविकता और कटु सत्य यह है कि हम पर्दे के पीछे धर्म की आड़ में, धर्म का लबादा ओढ़ कर पश्चिमी देशों के खुले समाज से भी ज्यादा अधर्म, कुकृत्य और घिनौने काम करते हैं। उदाहरणार्थ, हमारे कथित प्रातःस्मरणीय और पूज्यनीय तथाकथित संत, बापू, बाबा, गुरु महिलाओं और बच्चियों के साथ कुकृत्यों की वजह से आज जेल की हवा खा रहे हैं। सबसे दुःखद और क्षोभ का विषय यह भी है कि कोर्ट द्वारा इन पापी बाबाओं और गुरुओं के दोषी सिद्ध हो जाने के बाद भी बाकायदा जेल की सजा भुगते जाने के बावजूद ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है। इनके जेल में रहने पर भी इनके आश्रमों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2016 में पॉक्सो ऐक्ट के तहत बच्चियों से बलात्कार के चौंसठ हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, जिनमें केवल तीन प्रतिशत मामलों में ही अपराधियों पर उनका दोष सिद्ध हो पाया, बाकी 97 प्रतिशत आरोपी कानूनी पेचगीदियों का फायदा उठा कर बरी हो गए! पिछले साल साल 30 जून तक केवल छह महीनों में छोटे बच्चों से कुकृत्यों से सम्बंधित अब तक 24212 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें मात्र चार प्रतिशत मामलों में ही अदालतों द्वारा उन्हें सजा दी जा सकी है! इस दुखद स्थिति से क्षुब्ध सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न्याय मित्र से इसके समाधान हेतु राय मांगी थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि न्याय मित्र ने बताया कि वर्तमान पॉक्सो एक्ट के अनुसार लगभग सभी राज्य सरकारें अपराधियों को उचित सजा देने में नाकारा साबित हुई हैं।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सजा और सवाल

कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। निर्भया मामले में आखिरकार चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। भारत की न्याय प्रक्रिया बहुत ही लचीली है, जिसकी वजह से दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त लगा। हालांकि फांसी की सजा तो त्वरित अधालत ने सात साल पहले ही सुना दी थी, किंतु दोषियों के वकील की याचिका पर फांसी हर बार टल जाती थी। देश में बलात्कार की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह चिंताजनक है। दो माह की बच्ची से लेकर अस्सी साल तक की वृद्धा के साथ बलात्कार की घटनाएं समाज को झकझोर देने वाली हैं। डर के कारण अपराधी बलात्कार के बाद हत्या जैसा कदम उठाने में भी नहीं हिचकते। निर्भया कांड के दोषियों को सजा मिलने में जितना लंबा वक्त लगा, उसे देखते हुए उच्चतम न्यायालय को इस तरह के मामलों की शीघ्र सुनवाई पर विचार करना चाहिए। इससे भविष्य में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कम हो सकते हैं। अपराधियों के दिल में खौफ भी पैदा होगा।

● *हर्षवर्धन सिंह, रायबरेली*

कोरोना की मार

कोरोना के असर से सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि भारतीय बाजार भी बेहाल हैं। वैसे तो शेयर बाजार में आए दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में देश को कमजोर आर्थिक हालात का सामना करना पड़ सकता है। औद्योगिक संस्थानों के सर्वे के दौरान पता चला है कि तिरपन फीसद भारतीय कारोबार कोरोना के चपेट से प्रभावित है। इस सर्वे की पुष्टि करते हुए औद्योगिक संगठन फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष मांग में कमी बड़ी आई है। इस महामारी ने अपना काफी प्रभाव नगदी प्रवाह पर भी डाला है। साठ फीसद से अधिक कंपनियों का यह भी मानना है कि कोरोना के कारण उनकी आपूर्ति और उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस के फैलते डर की वजह से कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया गया है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में करीब पांच से छह महीनों के समय का अनुमान लगाया गया है। लोगों के मन में यह सवाल घर कर गया है कि क्या आने वाले समय में भारत इस समस्या से उबर पाएगा या नहीं?

● *निशा कश्यप, औरंगाबाद (बिहार)*

अंधविश्वास का दौर

नएपन का उत्सव मनाया जा रहा है। सकारात्मक अर्जित करने पर सबको नया लगता है। पर जब अभूतपूर्व कहा जा रहा हो, तो उसमें व्यंग्य लगता है। उसके पीछे यही है कि दूसरे को नीचे दिखाने का व्यंग्य छिपा होता है। उसमें अपने से पहले को नीचा दिखाने, संगठित करने की कुटिल, क्रूर आकांक्षा शामिल रहती है। साहित्य, संस्कृति, ज्वलंत राजनीति आदि में 'नयावाद' का जब भी शोर मचाया जाए तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं तो कोरोना वायरस का सामना करना पड़ता है। सारी व्यवस्था ठप पड़ जाती है। संपूर्ण देश में यह संदेश देना पड़ता है कि पचास से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा न हो। केवल पूजा पाठ और यज्ञ के स्थलों पर हजार भी चले जाएं तो कोई रोक नहीं। जब यही द्वंद्व रहेगा तो कोरोना का भूत पीछा करेगा ही। रूढ़ियों, अंधविश्वासों और बर्बरता की वापसी का नया दौर चल निकला है।

● *रामानुज चौधरी, तेयाय, बेगूसराय*

www.readwhere.com

रविवार को सुनसान पड़ा कोलकाता का हावड़ा पुल

जल्द बढ़ेंगी जांच प्रयोगशालाएं

विषाणु की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या फौरन बढ़ाने का फैसला किया गया है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की जाएगी, भले ही उनमें लक्षण दिखाई दें या नहीं।
-येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री कर्नाटक

गूंजे शंख, बजी थालियां, एकजुट हुए लोग

लखनऊ, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील का उत्तर प्रदेश में जबर्दस्त असर देखा गया। इस दौरान सड़कों पर अभूतपूर्व सन्नाटा पसरा रहा और शाम पांच बजे लोगों ने अपने घरों की बाल्कनी और दहलीज पर थाली, शंख और ताली बजाकर संकट की इस घड़ी में राष्ट्रसेवा कर रहे लोगों के प्रति सम्मान जाहिर किया।

गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घंटी बजाकर राष्ट्र रक्षकों के प्रति सम्मान जाहिर किया।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच अपने फर्ज को अंजाम दे रहे चिकित्साकर्मियों, पुलिसकर्मियों, सैनिकों तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े अन्य लोगों के सम्मान में अपने घरों की बाल्कनी और दहलीज पर खड़े होकर थाली, शंख, घंटी और तालियां बजाईं। गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घंटी बजाकर राष्ट्र रक्षकों के प्रति सम्मान जाहिर किया।

इससे पहले राजधानी लखनऊ सहित तमाम शहरों में सुबह सात बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हो गया और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लखनऊ में आमतौर पर व्यस्त रहने वाले हजरतगंज, आलमबाग, गोमती नगर, अलीगंज और अमीनाबाद जैसे इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद रहीं और सड़कों पर पुलिस बलों के वाहनों के सिवाय और कोई गाड़ियां वाहन नजर नहीं आईं।

अत्यावश्यक कार्य से निकलने वाले इक्का-दुक्का लोगों को पुलिसकर्मी समझाते नजर आए कि वे घरों में ही बंद रहे और बाहर न निकले। गोरखपुर, रायबरेली, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, कानपुर, बरेली और झांसी सहित तमाम जिलों से मिल रही खबरों के मुताबिक जनता कर्फ्यू का पूरा असर रहा और लोग अपने घरों में ही बंद रहे।

इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानें तथा बाजार पूरी तरह बंद रहे। सिनेमाघर, कैफे, रेस्तरां और बार जैसी जगहों को बंद करने के आदेश सरकार ने पहले ही दे दिए थे।

रविवार को लखनऊ में लोगों ने ताली और थाली बजाकर फर्ज को अंजाम देने वाले नायकों का सम्मान किया।

मध्य प्रदेश : सुबह सैर करने वाले भी घरों से नहीं निकले

भोपाल, 22 मार्च (भाषा)।

'जनता कर्फ्यू' के मद्देनजर मध्य प्रदेश की सड़कें रविवार सुबह से सुनसान रहीं और सार्वजनिक स्थलों पर सन्नाटा रहा। यहां तक कि सुबह टहलने जाने वाले लोग भी समूचे प्रदेश में अपने घरों से बाहर नहीं निकले। पार्क, स्टेडियम और मैदान में भी लोग घूमने, व्यायाम करने और टहलने के लिए नहीं आए। सड़कों के किनारे स्थित दुकानें और भोजनालय भी बंद रहे।

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तरुण भानोत ने बताया कि प्रदेश के सात जिलों जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर को शनिवार से लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सात जिलों में नरसिंहपुर में 14 दिनों तक बंद रहेगा, जबकि बाकी छह जिलों को दो या तीन दिनों तक बंद किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस का पहला मामला आया। इस दिन जबलपुर में चार लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें दुबई से लौटे एक परिवार के तीन सदस्य और जर्मनी से वापस आया एक व्यक्ति शामिल हैं। भनोत ने बताया कि इन चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। इन सभी की हालत स्थिर है।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के सिर्फ चार मामले ही आए हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में कड़ी नजर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के तहत स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, संग्रहालयों, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और मॉल आदि को पहले ही बंद कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र व राजस्थान के बीच चलने वाली बस सेवा को भी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है.इसके अलावा, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में स्थित दो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों ... ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ : सड़कों पर दिखे सिर्फ मास्क लगाए पुलिस वाले

क्लब, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ-मसाज सेंटर तत्काल बंद

रायपुर, 22 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में रविवार को जनता कर्फ्यू का व्यापक असर रहा। राजधानी रायपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों में लोग रविवार घर से बाहर नहीं निकले। छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक असर रहा।

राज्य के अन्य प्रमुख शहरों बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर और अन्य शहरों से मिली जानकारी के अनुसार लोग अपने घरों में ही रहे। दवा की कुछ दुकानों के अलावा लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। राज्य के अधिकतर शहरों में वाहन नहीं चले।

शहरों में मास्क और रूमाल से नाक और मुंह ढंककर पुलिस के जवान तैनात हैं।

छत्तीसगढ़ में अभी तक एक युवती के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के कोरोना पॉजिटिव युवती का इलाज एम्स में किया जा रहा है। वर्तमान में मरीज की स्थिति सामान्य है तथा सिर्फ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

राज्य में शनिवार शाम तक 133 नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी तथा 10 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पॉ-मसाज सेंटरों को आगामी आदेश तक तत्काल बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए पहले ही नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला, तरणताल, वॉटर पार्क और आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाली बसों के परिवहन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

हैदराबाद : 'जनता कर्फ्यू' को मिला लोगों का पुरजोर समर्थन

हैदराबाद, 22 मार्च (भाषा)।

हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में सड़कें रविवार को सूनी पड़ी रहीं और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित 'जनता कर्फ्यू' को पुरजोर समर्थन दिया।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 22 मार्च सुबह छह बजे से 24 घंटे का स्वैच्छिक कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था जिसके बाद रविवार सुबह से शहर और राज्य भर में लोग घरों के भीतर ही रहे।

प्रधानमंत्री के 'जनता कर्फ्यू' के आह्वान का समर्थन करने वाले राव ने तेलंगाना के लोगों से रविवार सुबह छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक घर के अंदर ही रहने की अपील करते हुए कहा कि स्व नियंत्रण के साथ 'जनता कर्फ्यू' लगाने के देश के फैसले में तेलंगाना पूरे देश के लिए आदर्श होना चाहिए। कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आईं जबकि राज्य में दुकानें और भोजनालय बंद रहे। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसें नहीं चलीं और हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा भी बंद रही हालांकि लेकिन किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पांच ट्रेनों की व्यवस्था की गई।

तमिलनाडु : कर्फ्यू की मियाद सोमवार सुबह पांच बजे तक बढ़ी

चेन्नई, 22 मार्च (भाषा)।

देश भर में 'जनता कर्फ्यू' के मद्देनजर तमिलनाडु में रविवार को जनजीवन थम-सा गया। सड़कें, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन सुनसान रहे तथा खुदरा दुकानों के शटर बंद रहे। तमिलनाडु सरकार ने जनता कर्फ्यू की मियाद सोमवार सुबह पांच बजे तक बढ़ाई।

हालांकि राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों पर कुछ वाहन देखे गए लेकिन वे मुख्य रूप से निजी वाहन थे और उनकी संख्या बेहद कम थी। सार्वजनिक एवं निजी बसें, ऑटो एवं टैक्सी राज्य के अधिकतर हिस्सों में सड़कों से नदारद रहीं।

यहां जीएसटी रोड और अन्ना सलाई समेत सभी अहम सड़कें खाली रहीं जिन पर अमूमन भारी यातायात रहता है। सब्जियों, फलों एवं फूलों का कोयाम्बेडु बाजार बंद रहा। कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुराई समेत राज्य के अन्य शहरों एवं कस्बों में भी यही नजारा देखने को मिला।

हालांकि स्थानीय निकाय द्वारा संचालित 'अम्मा कैंटीन' खुली रहीं जो कामगारों के लिए वरदान साबित हुई क्योंकि अन्य भोजनालय रविवार को बंद रहे। दूध का वितरण जैसी आवश्यक सेवाएं एवं अस्पताल खुले रहे।

आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहा बंद

जयपुर, 22 मार्च (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राजधानी जयपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में सुबह सात बजे शुरू हुए जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार को सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की आवाजाही लगभग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की।

गहलोत ने रविवार को ट्वीट किया, 'अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घरों में रहें। लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। हम साथ मिलकर इस महामारी को हराएंगे।' जयपुर की कॉलोनियों में जनता कर्फ्यू से ठीक पहले मास्क लगाए लोग दूध-किराना दुकानों खरीददारी करते दिखाई दिए। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल बाजार, एमआइ रोड पर दुकाने बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।

राजस्थान

अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घरों में रहें। लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। हम साथ मिलकर इस महामारी को हराएंगे...
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

अत्यावश्यक कार्य से निकलने वाले इक्का-दुक्का लोगों को पुलिसकर्मी समझाते नजर आए कि वे घरों में ही बंद रहें और बाहर न निकलें। राज्य के अन्य जिलों उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, झुंझुनूं, भीलवाड़ा में भी जनता कर्फ्यू का पूरा असर दिखा और लोग अपने घरों में ही बंद रहे। दुकानें और बाजार भी पूरी तरह बंद थे। सिनेमाघर, कैफे, रेस्तरां और बार जैसी जगहों को बंद करने के आदेश सरकार ने पहले ही दे दिए थे।

इससे पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के निर्देश दिए थे। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, कारखाने एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रखने को निर्देश दिये थे।

मुंबई में बांद्रा-वरली सी लिंक पुल पर रविवार को वाहनों की आवाजाही न के बराबर रही।

जनता कर्फ्यू सफल, अब घरेलू यात्रियों की भी जांच का फैसला

शहर के लोगों से अगले 15 दिनों तक गांव न जाने की अपील

बंगलुरु, 22 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा समेत सभी परीक्षाएं टाल दी हैं और राज्य की सीमाओं को बंद करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 'जनता कर्फ्यू' का आह्वान किए जाने से राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सड़कों पर वीरानी छाई रही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की 'जनता कर्फ्यू' अपील का समर्थन करने के लिए राज्य के लोगों की प्रशंसा की और उनका आभार जताया।

ग्रामीण इलाकों में इस संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए शहर में लोगों से अगले 15 दिनों तक गांव न जाने की अपील करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि हवाईअड्डों पर अब से सभी घरेलू यात्रियों की जांच करने का भी फैसला किया गया है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, 'हमने राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है, हम इस संबंध में हर किसी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 27 मार्च को होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को टाल दिया गया है हालांकि केवल कल होने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षा होगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण कदमों के बारे में आज सुबह विस्तार से चर्चा की।

कर्नाटक

उन्होंने बताया कि शहर में विक्टोरिया अस्पताल में 1700 बिस्तर की सुविधा को कोविड-19 से संबंधित मामलों के लिए विशेष अस्पताल में तुरंत प्रभाव से बदला जाएगा। उन्होंने कहा, 'सभी चुनावों को टालने का फैसला किया गया है। मैं शहरों में रह रहे लोगों से 15 दिनों के लिए गांवों में न जाने की अपील करता हूं क्योंकि वहां अभी कोई समस्या नहीं है और संक्रमण के मामले शहरों में हैं।' येदियुरप्पा ने कहा कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच की जा रही है और अब से हवाईअड्डों पर सभी घरेलू यात्रियों की जांच करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि शहर में बालबूरी गेस्ट हाउस को 'कोरोना वॉर रूम' में बदला जाएगा और सभी संबंधित कदमों पर नजर रखी जाएगी और उनके नेतृत्व में उन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से डरने या घबराने और खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक सामान की जमाखोरी न करने के लिए कहा।

येदियुरप्पा ने कहा कि विषाणु की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या फौरन बढ़ाने का फैसला किया गया है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की जाएगी, भले ही उनमें लक्षण दिखाई दें या नहीं।

झारखंड : सभी प्रमुख शहरों की सड़कें रहीं वीरान

रांची, 22 मार्च (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में 'जनता कर्फ्यू' का पालन हुआ और गांव हों या शहर, सभी जगह रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, चौक-चौराहे और धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से वीरानी छाई रही।

राज्य की राजधानी रांची में देर रात 12 बजे के बाद से ही लोगों ने स्वयं को घरों में कैद कर लिया और न ही वह स्वयं घरों से बाहर निकल रहे हैं और न ही अपने बच्चों को घरों से बाहर जाने दे रहे हैं। रांची के मेन रोड, कडरू, रेलवे स्टेशन, रिम्स अस्पताल, अरगोड़ा, विधानसभा क्षेत्र, हवाईअड्डा, बरियातू रोड, बूटी मोड़ आदि सभी इलाकों में पूरी तरह वीरानी छाई रही। कहीं भी किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं नजर आ रही है।

बरियातू रोड में सेंट्रल एकेडमी के निदेशक एके तिवारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता कर्फ्यू का आह्वान लोगों के हित में है और जनता पूरी तरह इसका सम्मान कर रही है।' इंटरनेशनल बुद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष हरीश सांकृत्यायन चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान का स्वागत करते हुए कहा कि उनके फाउंडेशन के तहत चलने वाले तमाम शैक्षणिक संस्थानों को उन्होंने न सिर्फ तीन सप्ताह के लिए बंद कर दिया है बल्कि रविवार से तीन दिनों के लिए अन्य गतिविधियां भी रोक दी हैं।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। इस लड़ाई में सभी एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी इस आपदा से निपटने के लिए तमाम प्रबंधनों के साथ दो सौ करोड़ रुपए दिए हैं और स्थिति से निपटने के लिए कहीं भी धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है। झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, दुमका, खूंटी, बोकारो, देवघर, साहिबगंज, चाईबासा, गिरिडीह, पाकुड़, सिंदरी, पलामू आदि जिलों से भी जनता कर्फ्यू का पालन की सूचना है।

असम : घरों में रहे लोग, सड़कों से वाहन भी नदारद

गुवाहाटी, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप असम में करोड़ों लोगों के अपने घरों से नहीं निकलने के साथ ही शहर के बाजार बंद रहे और सड़कों से वाहन नदारद रहे।

यह 14 घंटे का स्वैच्छिक कर्फ्यू सुबह सात बजे से लागू हुआ लेकिन राज्य के लोगों ने शनिवार रात से ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ट्वीट के जरिए कहा, 'मैं जनता कर्फ्यू में शामिल हो रहा हूं और आज घर पर ही रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर हम कोरोना वायरस को हरा सकते है।' स्वैच्छिक कर्फ्यू की प्रधानमंत्री की इस अपील से अत्यावश्यक सेवाओं को छूट है लेकिन राज्य में दवाइयों की कई दुकानों ने भी अपने शटर बंद ही रखे। गुवाहाटी में, लोग घरों के भीतर रहे और सभी बाजार एवं कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे।

www.readwhere.com

कोरोना संकट के बीच विदेश में भारतीय

कहीं राशन, कहीं महरी का संकट तो कहीं अकेलापन बना परेशानी

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

सुपरमार्केट के बाहर लगी लंबी कतार से कोई घबराया हुआ है तो किसी को छोटा बच्चा संभालने के लिए आया नहीं मिल रही और सब कुछ बंद होने के कारण कोई अकेलेपन से परेशान है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच दुनिया भर में जिंदगियां मानों थम सी गई हैं और परदेस में बसे भारतीयों के भी अपने अनुभव है ।

ब्रिटेन स्थित सर्रे में रहने वाली आराधना दुबे और उनके पति अंकित दोनों इन दिनों घर से काम कर रहे हैं। इनकी दो साल की बेटी आर्या को घर पर संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि कोविड-19 फैलने के साथ ही आया ने काम छोड़ दिया। आराधना ने सर्रे से फोन पर बताया, 'हम तो घर से काम कर रहे हैं लेकिन छोटी बच्ची को घर में बांधकर रखना मुश्किल है। आम तौर पर यह क्रेच या नर्सरी में व्यस्त रहती है और इसे खेलने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब तो सब बंद हो गया है और काफी घबराहट है यहां लोगों में।' उन्होंने कहा कि राशन पानी की भी काफी दिक्कत है, क्योंकि सुपरमार्केट के बाहर लोग कतार लगाकर पहले से ही खड़े हो जाते हैं।

ब्रिटेन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 4000 से अधिक मामले आए हैं जबकि 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मास्टर्स कर रही काव्यांजलि कौशिक ने कहा कि अब उतनी घबराहट नहीं है और लोग एक दूसरे का संबल बन रहे हैं।

काव्या ने कहा, 'शुरू में एक दो दिन बहुत घबराहट थी लेकिन फिर लोगों को समझ आ गया कि लड़ाई लंबी है। सुपरमार्केट में एक बार में 15 लोगों को सामान दिया जा रहा है और सरकार सबको आश्वस्त कर रही है कि सामान के लिए भीड़ नहीं लगानी है। पुलिस काफी सख्त है और बिना वजह बाहर निकलने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।' दिल्ली की रहने वाली काव्या ने कहा कि संकट के इस दौर में रोज रात को आठ बजे लोग घर की बालकनी में निकलकर एक दूसरे को उम्मीद बंधाते हैं।

इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस कर रही काव्या ने कहा, 'निश्चित तौर पर परिवार से दूर हूं तो अकेलापन है लेकिन यहां रोज रात को आठ बजे लोग घर से बाहर निकलकर कोरोना संकट से निकालने में जुटे लोगों को धन्यवाद देते हुए तालियां बजाते हैं। इसके बाद नौ बजे मिलकर कुछ देर गाते हैं। इससे अगले दिन से निपटने की ऊर्जा मिल जाती है।' आस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित सर्फ पार्क में अतिथि सेवा विभाग में नियुक्त अनोक्षा सिंह को इसी सप्ताह काम करने का वीजा मिला है और दो महीने पहले ही शुरू हुए स्टार्टअप में कोविड-19 को लेकर निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

अनोक्षा ने कहा, 'हम सभी दफ्तर में सामाजिक दूरी बनाए रखने का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहां वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुपरमार्केट में बेसिक राशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लोग सामान जमा करने में लगे हैं।' उन्होंने कहा, 'यहां भारतीय स्टोर काफी है लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों को दिक्कत आ सकती है लेकिन राहत यह है कि छात्र वीजाधारकों के लिए कामकाज की न्यूनतम सीमा हटा दी गई है और ये छात्र कोल्स या वूलवर्थस जैसे सुपरमार्केट में लगातार काम कर सकते हैं।' यहां भारतीय छात्र फेसबुक के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनाडा के ओंटारियो में अपना सैलून चलाने वाली दिव्या जैन को अप्रैल में माता पिता के पास भारत आना था लेकिन मौजूदा हालात में यह संभव नहीं लगता। उन्होंने कहा, 'मैने अपने बेटे को छुट्टियां लगने के बाद मार्च में ही भेज दिया था और मुझे अप्रैल में आना था लेकिन अब तो यह संभव नहीं दिख रहा। काम भी बंद है और समय काटे नहीं कट रहा है।'

उत्तर प्रदेश के 16 व मध्य प्रदेश के नौ जिले बंद

लखनऊ/भोपाल, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना के खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 16 और मध्य प्रदेश के नौ जिलों को बंद कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी लखनऊ समेत 16 जिलों में अगले तीन दिन के लिए 'लॉक डाउन' घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कहा कि ऐसे 16 जिले जहां कोई भी व्यक्ति कोरोना से प्रभावित है, या उसे पृथक किया गया है, उन जनपदों को 23 से 25 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन किया जाएगा।' उन्होंने बताया कि इन जिलों में आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर शामिल हैं।

योगी ने कहा कि इन जिलों के सभी नागरिकों से अपील है कि वे कहीं बाहर न निकलें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं और सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, क्योंकि हम उस दौर में खड़े हैं, जहां थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। इन जिलों में पूरी तरह पुलिस और प्रशासन की गश्त होगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 से 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही प्रदेश की अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को भी पूरी तरह बंद किया जाएगा। अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश से कोई भी बस किसी भी दूसरे राज्य या नेपाल में नहीं जाएगी।

उधर, मध्य प्रदेश सरकार ने भी एहतियात के तौर पर भोपाल एवं जबलपुर सहित नौ जिलों को लॉक डाउन कर दिया है। इनमें भोपाल व जबलपुर के अलावा सिवनी, बालाघाट, बैतूल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम और नरसिंहपुर को भी लॉकडाउन किया गया है।

कनिका की पार्टी में शामिल लोगों में से 11 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं

कानपुर (उप्र), 22 मार्च (भाषा)।

कानपुर में बालीवुड गायिका कनिका कपूर के मामा समेत कोरोना संक्रमण के 53 संदिग्धों में से 11 की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। बाकी की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की हाउस वार्मिंग पार्टी में शामिल हुए 53 लोगों की जांच की गई है। उनमें से 11 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें कनिका के मामा विपुल टंडन भी शामिल हैं। कनिका ने 13 मार्च को कानपुर के पॉश इलाके विष्णपुरी के कल्पना टॉवर में पार्टी आयोजित की थी। वह पार्टी उनके मामा विपुल के घर पर आयोजित हुई थी, जहां कनिका करीब तीन घंटे रुकी थी। जिला प्रशासन को बताया गया था कि शहर के 68 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, जिनमें से 53 लोग कनिका के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आए थे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक शुक्ला ने बताया कि यह सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार रात 32 लोगों के और शनिवार को 21 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे थे।

शुक्ला के मुताबिक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के अधिकारियों ने बताया है कि उनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनमें कनिका के मामा विपुल टंडन भी शामिल हैं। बाकी 42 लोगों की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

बिहार भी बंद

पेज 1 का बाकी

ने अपने संदेश में रविवार को कहा कि कोरोना विषाणु से पूरी मानव जाति संकट में है। हम सब इस महामारी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं।

आवश्यक सावधनियां भी बरती जा रही हैं लेकिन बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है।

उन्होंने कहा कि निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद किया गया है लेकिन आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद से छूट है।

मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दें

शाहीन बाग धरनास्थल व जामिया के गेट पर फेंके बम

पेज 1 का बाकी

और एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के कई दल बनाए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को शनिवार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। जेसीसी में विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

एक वक्तव्य में जेसीसी ने कहा कि एक शरारती तत्व ने गेट संख्या सात के पास जामिया स्क्वायर पर प्रदर्शन स्थल पर गोली चलाई और बम फेंका। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति डिलीवरी बॉय की वेशभूषा में आया था और उसने हेलमेट पहना था। उसकी मोटरसाइकिल पर तीन बैग रखे थे इसलिए वाहन की नंबर प्लेट नहीं दिखी। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के अनुसार घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे घटी। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति संभवतः शाहीन बाग में ऐसी ही घटना को अंजाम देने के बाद ओखला की ओर से आया था। उसने गेट संख्या सात के पास टेंट पर बोतल फेंकी। टेंट खाली था क्योंकि छात्रों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। अधिकारी ने बताया कि टेंट में आग न लगने पर व्यक्ति ने कथित तौर पर लाइटर से आग लगाने की कोशिश की और कुछ गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा, 'हमने पुलिस को घटना की जानकारी दी और उन्हें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया।' उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद व्यक्ति जुलेना की ओर भाग गया। उधर, दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के इकट्ठा होने के फैसले पर अमल करते हुए शाहीन बाग में धरना स्थल पर केवल पांच बुजुर्ग महिलाएं ही इकट्ठा हुईं। बाकी तख्तों पर जूते और चप्पल रखकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। इससे पहले, शनिवार रात को दिल्ली पुलिस ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर बैठक की थी। पुलिस ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। इंडिया इस्लामिक सेंटर में हुई इस बैठक में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और सेंटर के सदस्यों ने भी कोरोना के मद्देनजर सरकार के फैसले का समर्थन किया। बैठक खत्म कर लोग इलाके में आए कि शनिवार रात प्रदर्शनकारी दो गुटों में बंट गए और जमकर आपस में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में बवाल इस हद तक बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे पर जूते-चप्पल तक फेंकने शुरू कर दिए।

कहर की कड़ी तोड़ने की कामयाब कवायद

पेज 1 का बाकी

शहरों-गांवों-कस्बों में लोगों ने खुद को घरों तक सीमित कर कोरोना विषाणु के खिलाफ जंग में पहली कामयाब कवायद की।

अत्यावश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ कर सभी बाजार और संस्थान दिन भर बंद रहे। देश भर में सड़कें कमोबेश सुनसान रहीं। बमुश्किल कुछ निजी वाहन एवं बसें चलती दिखीं। सड़कों पर फलों-सब्जियों के कोई ठेले नहीं दिखाई दिए और लोगों ने खुद को घरों में कैद रखा। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह कुछ लोग बाहर दिखाई दिए भी तो पुलिसवालों ने उन्हें फूल देकर घर वापस भेज दिया। जगह-जगह पर पुलिस की मुस्तैदी रही।

शाम पांच बजे लोगों ने घरों के बाहर ताली, थाली और शंख बजा कर अत्यधिक जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों का आभार जताया। लोगों ने इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत विभिन्न हस्तियों ने थाली और ताली बजाई। मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन, दीपिका पाडुकोण समेत तमाम हस्तियों ने अपने तरीके से प्रधानमंत्री की इस अपील का पालन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 14 घंटे के 'जनता कर्फ्यू' को कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की शुरुआत बताया और कहा कि देशवासियों ने साबित कर दिया है कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज जनता कर्फ्यू रात नौ बजे खत्म हो सकता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जश्न मनाना शुरू कर दें।' उन्होंने कहा कि खुद से लगाए गए कर्फ्यू को सफलता नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह लंबी लड़ाई की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू लंबी लड़ाई की शुरुआत है। आज देशवासियों ने साबित कर दिया कि वे सक्षम हैं और एक बार जब वे तय कर लेते हैं तो वे किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मोदी ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए देशवासियों का आभार जताते हुए ट्वीट किया, 'ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों (सोशल डिस्टेंसिंग) में बांध लें।

मृतकों की संख्या सात

पेज 1 का बाकी

गया था। इसमें कहा गया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने एक बयान में बताया कि मरीज को पहले से ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में अब तक एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

इन 341 मामलों में महाराष्ट्र के 74 मामले शामिल हैं जहां से तीन विदेशी नागरिकों समेत कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 52 मामले में हैं जिनमें सात विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली में 27 लोग संक्रमित पाए गए हैं जिनमें एक विदेशी शामिल है जबकि उत्तर प्रदेश में एक विदेशी समेत 25 मामले सामने आए। तेलंगाना में 11 विदेशियों समेत संक्रमण के कुल 21 मामले सामने आए हैं जबकि राजस्थान में दो विदेशियों समेत 24 मामले मिले हैं। हरियाणा में 17 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 14 विदेशी हैं। कर्नाटक में 20 लोग विषाणु से संक्रमित पाए गए। पंजाब और लद्दाख में 13-13 लोग संक्रमित हैं। गुजरात में 18 मामले सामने आए जबकि तमिलनाडु में छह मामले दर्ज किए जिनमें दो विदेशी शामिल हैं। चंडीगढ़ में पांच लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में चार-चार लोग संक्रमित हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में तीन-तीन मामले सामने आए जबकि ओड़ीशा तथा हिमाचल प्रदेश में दो-दो मामले सामने आए। पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में एक-एक मामला सामने आया है।

राज्यों से कोरोना के लिए अलग अस्पताल तैयार करने को कहा

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोरोना विषाणु संक्रमण के मरीजों का इलाज करने के लिए अलग अस्परताल तैयार करने के लिए कहा है। राज्यों ने भी ऐसा करने की हामी भरी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि रविवार को कैबिनेट सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें कैबिनेट सचिव की ओर से कोरोना विषाणु संक्रमित लोगों के इलाज के लिए राज्यों से अलग अस्पताल तैयार करने के लिए कहा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि अन्य मरीजों को संक्रमण से बचाया जा सके। भार्गव ने बताया कि राज्य ऐसे अस्पताल तैयार करने के लिए राजी हो गए हैं। भार्गव ने बताया कि दिल्ली -एनसीआर के लिए झज्जर में एम्स के केंद्र को कोरोना विषाणु संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस अस्पताल में 800 बिस्तर की क्षमता है।

झारखंड में बंद

पेज 1 का बाकी

बुला सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा और साइकिल रिक्शा इस दौरान नहीं चलेंगे।

सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं और पूजास्थल बंद रहेंगे।

बैंक, एटीएम, अस्पताल, डाकघर, किराने की दुकान और अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी

राजस्थान में भी बंद

पेज 1 का बाकी

निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक परिवहन बसों (रोडवेज व निजी) से राजस्थान में प्रवेश एवं बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिनेमाघर, कैफे, रेस्तरां और बार जैसी जगहों को बंद करने के आदेश सरकार ने पहले ही दे दिए थे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट में कहा, 'हमें खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घर में रहें। लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। हम साथ मिलकर इस महामारी को हराएंगे।' इस बीच, जयपुर वासियों ने रविवार शाम को घंटी, थाली और ताली बजाकर चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े उन सभी कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जो संकट की इस घड़ी में मानवता के प्रति अपने दायित्व को अंजाम दे रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी रविवार को यहां राजभवन के मुख्य भवन के द्वार पर पांच बजे थाली बजाकर कोरोना वायरस से बचाने में लगे हुए स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य लोगों के प्रति आभार जताया।

पंजाब 31 तक बंद

पेज 1 का बाकी

रहेंगी और दूध, खाद्य सामान, दवाइयां आदि जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानें खुलेगी रहेंगी। सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पाबंदियां तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।' पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के 14 मामले सामने आए हैं। यहां शनिवार को 11 और लोग कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या 14 हो गई।

नगालैंड में अनिश्चितकालीन बंदी

कोहिमा, 22 मार्च (भाषा)।

नगालैंड की सरकार ने कोरोना के खतरे मद्देनजर रविवार की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन लॉकडाउन की घोषणा की है। देश में सुबह सात बजे से 14 घंटे के लिए 'जनता कर्फ्यू' लागू है। मुख्य सचिव टेमजेन टाय ने कहा कि राज्य में अभी तक कोरोना के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन महामारी रोग कानून 1897 के मुताबिक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

टाय ने कहा, 'अगले आदेश तक दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप और किराने की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या दो पहिया टैक्सी जैसे सभी व्यावसायिक यात्री वाहन सड़कों से दूर रहेंगे।' उन्होंने कहा कि आवश्यक पदार्थों को खरीदने या चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने के अलावा लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। टाय ने कहा कि आवश्यक सामान, चिकित्सा उपकरण और आपूर्तियों, सुरक्षा बलों और सामान ढोने वाले वाहनों के राज्य से गुजरने के अलावा नगालैंड में प्रवेश के सभी बिंदु सील रहेंगे।

देश में कोरोना बंदी

पेज 1 का बाकी

भर में 'जनता कर्फ्यू' लगाने का आह्वान किया था। करोड़ों लोग अपने घरों में ही रहे। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने उन 75 जिलों में पूर्ण बंदी का फैसला किया, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए थे।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सिर्फ उन 80 जिलों में जरूरी सेवाओं का ही परिचालन किए जाने का आदेश जारी करने को कहा है जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए या जहां इससे लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें दिल्ली के सभी सात जिले शामिल हैं।

इस आशय का निर्णय रविवार सुबह कैबिनेट सचिव एवं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अंतर राज्यीय बस सेवाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो समेत सभी मेट्रो सेवाओं को भी स्थगित करने का फैसला किया गया है।बैठक में सभी मुख्य सचिवों ने बताया कि प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर जबर्दस्त एवं स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इन लॉक डाउन किए गए जिलों में केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।

केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद रेलवे ने घोषणा की कि वह सभी यात्री ट्रेनों को 22 मार्च की मध्यरात्रि से 31 मार्च के लिए स्थगित कर रहा है और इस अवधि में केवल मालगाड़ियां चलेंगी। रेलवे के मुताबिक उपनगरीय रेल सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। हालांकि जो यात्री रेलगाड़ियां 22 मार्च को तड़के चार बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई रेलगाड़ियां अपनी यात्रा पूरी करेंगी। रेलवे प्रवक्ता ने कहा कि यात्री इस अवधि से 21 जून तक टिकट रद्द कराने पर पूरे पैसे वापसी का दावा कर सकते हैं। रेलवे ने यह अभूतपूर्व कदम तब उठाया, जब तीन घटनाओं (12 कोरोना वायरस संक्रमित) में घर में पृथक रहने का निर्देश के बावजूद लोग यात्रा करते हुए पाए गए। इससे संक्रमण पूरे देश में फैलने का खतरा पैदा हो गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के 75 जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में 31 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है और कहा है कि प्रदर्शन और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। दिल्ली सरकार ने जनता कर्फ्यू के बाद भी लोगों को घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में मध्य, पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली शामिल हैं। 75 जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश का वाराणसी, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, आगरा, लखनऊ शामिल हैं। महाराष्ट्र में अहमद नगर, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, मुंबई उपनगरीय, पुणे, रत्नागिरि, रायगढ़, ठाणे, यवतमाल तथा केरल का अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोट्टायम, मल्लापुरम, तिरुवनंतपुरम, पथानामथिटा, त्रिसूर शामिल हैं।

इसमें कर्नाटक से बंगलुरु, चिकबल्लापुर, मैसूर, कोडागू, कलबुर्गी शामिल है। गुजरात से कच्छ, राजकोट, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, अमदाबाद तथा हरियाणा से फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला, पानीपत, गुरुग्राम और हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा शामिल हैं। पंजाब से होशियारपुर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर तथा राजस्थान से भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तथा तमिलनाडु से चेन्नई, इरोड और कांचीपुरम शामिल है।

संक्रमण के संदेह में एअर इंडिया की उड़ान में देरी

भोपाल, 22 मार्च (भाषा)।

भोपाल के राजाभोज हवाईअड्डे पर दिल्ली से पहुंचे एअर इंडिया के विमान को, एक महिला यात्री को कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते करीब एक घंटे तक रोका गया और इसे पूरी तरह सैनिटाइज करने और यात्रियों की मेडिकल जांच के बाद ही पुणे के लिए आगे की उड़ान भरने की अनुमति मिली।

इस महिला को शहर के जेपी अस्पताल में ले जाया गया है। इस महिला ने सर्दी-जुकाम एवं बलगम की शिकायत की है। इस महिला के अलावा इस विमान से 17 अन्य यात्री भी भोपाल के राजाभोज हवाईअड्डे पर उतरे हैं।

एअर इंडिया के, राजाभोज हवाईअड्डे के लिए कार्यकारी प्रबंधक शमशेर खान ने बताया कि एअर इंडिया के दिल्ली से आए इस विमान को पुणे जाने के लिए भोपाल में संक्षिप्त समय के लिए रुकना था, लेकिन इसे करीब एक घंटे तक रोका गया।

समूचा उत्तराखंड बंद

पेज 1 का बाकी

का ध्यान रखा जाएगा।

इस एलान से पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी तथा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।

इससे पहले, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को आहूत जनता कर्फ्यू बेहद सफल रहा। देहरादून हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देवप्रयाग, कोटद्वार, टिहरी समेत सभी तेरह जिलों में पूर्ण बंद रहा। सब्जी, फलों और पान बीड़ी तक की दुकानों के अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी बंद रहे। रविवार शाम पांच बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस महकमा, चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, मीडिया कर्मियों सभी का जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के अभियान में पूर्ण सहयोग करने पर अपने घर में परिवार सहित थाली बजाकर उत्साहवर्धन और आभार व्यक्त किया।

इससे पहले जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए लोगों को दिए गए धन्यवाद संदेश में मुख्यमंत्री ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए थे कि कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। रावत ने कहा कि किसी भी प्रकार से खाद्यान्न और औषधियों की कमी हम नहीं होने देंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम घर-घर जाकर भी खाद्यान्न व औषधियां पहुंचाएंगे।

उत्तराखंड में अभी तक कोरोना संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं और ये सभी देहरादून में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के प्रशिक्षु वन अधिकारी हैं। ये सभी उन 28 अधिकारियों के दल में शामिल थे जिन्होंने हाल में स्पेन की यात्रा की थी।

जम्मू-कश्मीर 31 मार्च तक बंद

जम्मू, 22 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों के उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि बंदी रविवार, 22 मार्च की शाम आठ बजे से 31 मार्च शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी को रोकने और संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए बंदी जरूरी है।

बंगाल 27 तक बंद

पेज 1 का बाकी

रात 12 बजे तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी रहेगी। केवल आपातकालीन परिस्थिति में अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तक जीवन के लिए अति आवश्यक चीजों को ले जाने की छूट रहेगी। अस्पतालों के अलावा अन्य परिवहन के लिए भी स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने रविवार शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि महामारी कानून 1857 की धारा दो, तीन और चार में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्ण सुरक्षा प्रतिबंध (लॉक डाउन) करने का निर्णय लिया है। विदेशों और दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा तय समय सीमा तक होम क्वारंटाइन होना होगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुलिस, दमकल, बिजली, पानी, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम और खाद्य आपूर्ति सेवाएं जारी रहेंगी।

इसमें सब्जी, फल, मीट, मछली, ब्रेड दूध की आपूर्ति की जाती रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस और तेल वितरित करने वाली एजंसियां व गोदाम भी खुले रखे जा सकते हैं। मीडिया संस्थानों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर कोई उत्पाद कंपनी ऐसा समझती है कि उसके उत्पाद अति जरूरी श्रेणी में आते हैं तो उसे अपने कारखाने को चालू रखने के लिए स्थानीय प्रशासन से आवश्यक दस्तावेज और कारण बताकर अनुमति लेनी होगी।

जिलाधिकारियों निगम आयुक्तों और नगरपालिका के आयुक्तों को संस्थानों को बंद या चालू रखने संबंधी फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं।

www.readwhere.com

35 देशों में बंदी, एक अरब लोग घरों में बंद

मृतकों की संख्या 13,000 से अधिक, चीन व ईरान में हुई कुल मौतों से अधिक लोगों की मौत इटली में

रोम, 22 मार्च (एएफपी)।

भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने लिए रविवार को करीब एक अरब लोग घरों में बंद रहे। वहीं घातक संक्रमण से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13,000 के पार पहुंच गई है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित इटली में कारखाने बंद कर दिए गए हैं। इस महामारी के कारण दुनिया के करीब 35 मुल्कों ने बंद (लॉकडाउन) किया है, जिससे जनजीवन, यात्रा और कारोबार प्रभावित हुए हैं। वहीं सरकारें सीमाएं बंद करने को लेकर जद्दोजहद कर रही हैं और वायरस की वजह से आर्थिक मंदी से बचने के लिए आपातकालीन उपायों में अरब डॉलर लगा रही हैं।

दुनिया में तीन लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमित में होने की पुष्टि हुई है। इटली में स्थिति गंभीर है जहां 4,800 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो दुनिया में भर में इस संक्रमण से मरने वालों का एक तिहाई है।

प्रधानमंत्री जिएसेपे कॉन्टे ने शनिवार देर रात टीवी के जरिए अपने संबोधन में गैर जरूरी कारखानों को बंद करने का ऐलान किया। छह करोड़ की आबादी वाला इटली पिछले साल चीन में सामने आई बीमारी का नया केंद्र बन गया है।

इटली में कोरोना वायरस से हुई मौतों का

अल्बीनिया में रविवार को पूर्ण बंदी के कारण वीरान पड़ा नामचीन स्कैंडेबर्ग स्क्वायर।

आंकड़ा चीन और ईरान में हुई मौतें को जोड़ने के बाद भी कहीं ज्यादा है। इटली में कोविड-19 के पुष्ट मामलों में मृत्यु दर 8.6 प्रतिशत है जो कई देशों की तुलना में खासी अधिक है।

इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिलिस के लोग अलग अलग चरणों में बंद का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के अन्य राज्यों के भी प्रतिबंध लगाने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ''यह साझा राष्ट्रीय बलिदान का समय है, लेकिन यह अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने का भी वक्त है।' उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी जीत होगी।

वैश्विक नेताओं के महामारी से लड़ने का संकल्प लेने की बीच, मौतों और संक्रमणों की संख्या में इजाफा जारी है, खासकर यूरोप में।

उधर, फ्रांस में घातक संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों को घर से नहीं निकलने देने की सरकार की कोशिश को अमल में लाने के लिए हे लीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं।

कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अभूतपूर्व उपायों ने अंतरराष्ट्रीय खेल कैलेंडर पर असर डाला है और ओलंपिक के आयोजकों पर तोक्यो में होने वाले 2020 ओलंपिक को टालने का दबाव बढ़ रहा है।

इस महामारी ने दुनियाभर के शेयर बाजारों को हिला दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बाजार में आपातकाल उपाय के तहत बड़ा पैकेज देने पर विचार कर रहा है। चीन में चार दिन बाद कोरोना वायरस से संक्रमित होने का स्थायी मामला सामने आया है। चीन में इस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है और यूरोप जैसे अन्य प्रभावित स्थानों से मामले आने की आशंका है।

फ्रांस, इटली, स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों ने लोगों को घर पर रहने का आदेश दिया है और कुछ मामलों में जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को नागरिकों को घरेलू यात्राओं को रद्द करने को कहा। ब्रिटेन ने पब, रेस्तरां और थिएटर बंद करने को कहा और लोगों से दहशत में आकर सामान नहीं खदरीने को चेताया। कोरोनो वायरस ने अफ्रीका में 1,000 से अधिक को संक्रमित किया है।

भारतीय छात्रों के समूह ने ब्रिटेन में उच्चायोग परिसर में शरण ली

लंदन, 22 मार्च (भाषा)।

भारतीय छात्रों के समूह ने शनिवार रात को लंदन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में शरण मांगी। उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर यात्रा पाबंदियों के बावजूद विमान से भारत भेजे जाने की मांग की है। भारतीय सामुदायिक समूहों की मदद से रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश को 19 छात्रों के इस समूह ने ठुकरा दिया। इनमें से ज्यादातर छात्र तेलंगाना के हैं। दरअसल भारत ने ब्रिटेन और यूरोप के यात्रियों पर इस महीने के अंत तक प्रतिबंध लगा रखा है।

फंसे हुए छात्रों के लिए व्यवस्था करने पर काम कर रहे समुदाय के नेता ने कहा, 'भारतीय समुदाय ने उनकी मदद करने की कोशिश की और शुरुआत में यह 59 छात्रों का समूह था जिनमें से 40 को वैकल्पिक आवास की सुविधा आबंटित की गई लेकिन बाकी के 19 ने वहां जाने से इनकार कर दिया।' इनमें से कई ने इस महीने भारत के लिए विमान की टिकट बुक कराई थी। हालांकि भारत ने इस सप्ताह यात्रा परामर्श जारी कर कहा कि 18 मार्च को आधी रात के बाद से 31 मार्च तक भारत में किसी भी यात्री को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, 'कोई विमान नहीं है और हम इस मौके पर उनकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्हें उच्चायोग की इमारत में प्रवेश करने दिया गया और भोजन, पानी व अस्थायी आवास मुहैया कराया गया लेकिन वे अपने बैग और सामान के साथ बाहर रह रहे हैं।' आखिरी मिनट में विमान की टिकटें रद्द होने से कई छात्रों ने भारतीय उच्चायोग से सोशल मीडिया पर सहायता मांगी थी। भारतीय मिशन ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की और भारतीय समुदाय के समूहों के लिए संर्पक की सूचना साझा की।

एक छात्र ने उच्चायोग से अपील की, 'मैं भारतीय नागरिक हूं और अभी छात्र वीजा पर ब्रिटेन के न्यूकैसल में हूं। मेरी वीजा की अवधि 24 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई। मुझे 23 मार्च, 2020 को भारत की यात्रा करनी थी और भारतीय नियम के अनुसार कोविड-19 के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। मुझे क्या करना चाहिए।' ऐसे छात्रों को ब्रिटेन के गृह विभाग की कोरोना वायरस आव्रजन हेल्पलाइन से सहायता मांगने की सलाह दी जा रही है।

इस बीच गृह विभाग ने कहा कि मौजूदा हालात असाधारण हैं और उन छात्रों या कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुपालन संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कोरोना वायरस के कारण अपनी पढ़ाई या काम नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके ने छात्रों को न घबराने, एक-दूसरे की मदद करने और सुरक्षित रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है।

चीन को घेरा कोरोना वायरस पर वाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

ब्रिटेन में 15 लाख लोग अधिक संवेदनशील, कम से कम 12 हफ्ते घर में रहने की हिदायत

लंदन, 22 मार्च (भाषा)।

ब्रिटेन ने करीब 15 लाख लोगों की कोरोना वायरस महामारी के लिहाज से अधिक संवेदनशील होने की पहचान की है और उन्हें कम से कम 12 हफ्तों के लिए घरों में रहने को कहा है।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हड्डियों या खून के कैंसर के मरीजों, फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टिक फाइब्रोसिस या अंग प्रतिरोपण कराने वाले मरीजों को घरों में रहने की सलाह दी है।

ब्रिटेन के सामुदायिक मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने एक बयान में कहा, 'लोगों को घरों में रहना चाहिए।' ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 177 लोगों की मौत हो चुकी है।

चिली में 83 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। यह देश में मौत का पहला मामला है।

चिली के स्वास्थ्य मंत्री जैम मनालिच ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 500 पर पहुंच गई है। सरकार ने लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी है हालांकि पृथक करने संबंधी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

गाजा में अधिकारियों ने संक्रमण के दो मामलों की रविवार को पुष्टि की। फिलस्तीन के इन लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और वापसी पर उन्हें पृथक कर दिया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'दो नागरिकों में पाकिस्तान से लौटने के बाद कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।' ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने नागरिकों को रविवार को देश के भीतर किसी भी यात्रा को रद्द करने के लिए कहा।

मॉरिसन ने कहा कि सरकार गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह देती है। उन्होंने यह बात तब कही जब देश में कोरोना वायरस के मामले 1,000 तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, 'और सख्त कदम उठाए जाएंगे।' रवांडा ने भी घर से बाहर अनावश्यक आवाजाही और सीमा पार यात्रा पर रोक लगा दी है।

सरकार ने शनिवार देर रात एक बयान में कहा, 'अनावश्यक आवाजाही और घर से बाहर निकलने को अनुमति नहीं दी जाएगी।' बयान में कहा गया है कि सभी सीमाएं बंद हैं। केवल मालवाहक वाहनों और विदेशों से लौटने वाले रवांडा के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

रवांडा में शनिवार को कोरोना वायरस के 17 मामले दर्ज किए गए जो पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या है। वहीं, बोलिविया के उच्च चुनाव अधिकरण ने शनिवार को घोषणा की कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण मई में होने वाले आम चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर रहा है।

बोलिविया में कोरोना वायरस के 19 मामले सामने आए हैं।

चीन ने कोरोना की जानकारी को रहस्य की तरह छिपाए रखा : ट्रंप

वाशिंगटन, 22 मार्च (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस प्रकोप पर जानकारी साझा करने के बजाए उसे 'रहस्य की तरफ छिपा कर रखने' के लिए चीन की निंदा की है। अगर बेजिंग ने इस आसन्न खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी होती तो अमेरिका और पूरा विश्व इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होता।

ट्रंप ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में उन खबरों से इनकार कर दिया कि जनवरी और फरवरी में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में आगामी महामारी के बारे में आगाह किया गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तब तक इस प्रकोप की जानकारी नहीं थी जब तक यह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, 'आप इसे समझिए, चीन यहां फायदे में नहीं रहा है। चीन में करोड़ों लोग हैं। चीन को इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा है। मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। मैं बस यह सोचता हूं कि काश उन्होंने हमें यह पहले बताया होता। उन्हें पता था कि उनके यहां पहले से समस्या थी। काश उन्होंने यह बता दिया होता।' ट्रंप एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से रोजाना वाइट हाउस के संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं और प्रत्येक सम्मेलन एक घंटे से ज्यादा वक्त का हो रहा है।

उन्होंने बताया, 'चीन ने कोरोना वायरस को रहस्य की तरह रखा। उन्होंने बहुत छिपाया और यह दुर्भाग्यपूर्ण है।' पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक ट्वीट में कहा कि चीन ने भंडाफोड़ करने वालों को चुप करा दिया, पत्रकारों को निकाल दिया, नमूने बर्बाद किए और मौत व संक्रमित लोगों की संख्या छिपाई। उन्होंने कहा कि दरअसल बड़े पैमाने पर पर्दा डाला गया और चीन जिम्मेदार है। बोल्टन ने मांग की, 'दुनिया को उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए।' इस बीच, अमेरिका में घातक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 26,686 पर पहुंचने के बाद ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से 'घर पर रहने और जान बचाने का' आह्वान किया है। अमेरिका में एक दिन में संक्रमण के मामलों में 7,000 से अधिक का इजाफा हुआ है। देश में अब तक 340 लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

राज्य और स्थानीय सरकारों की ओर से घर पर रहने के आदेश जारी करने के साथ ही कैलिफोर्निया, इलिनोइस, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में 7.5 करोड़ लोगों को पृथक रहने का निर्देश दिया गया है। कनेक्टिकट ने तो यहां तक कहा कि वह उल्लंघन करने पर लोगों पर जुर्माना लगाएगा। संघीय सरकार की ओर से ऐसी अधिसूचना नहीं जारी की गई है लेकिन ट्रंप ने स्वयं साथी नागरिकों से घरों के भीतर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा, 'हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। हम जल्द ही बड़ी जीत का जश्न मनाएंगे।' कोरोना से लड़ने में शामिल होते हुए अमेरिका के लगभग सभी मंदिरों और गुरुद्वारों ने घोषणा की है कि वहां प्रार्थनाएं नहीं होंगी। पूरे अमेरिका में होने जा रहे भारतीय-अमेरिका समुदाय के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

कोरोना की नई जांच को मंजूरी, 45 मिनट में मिलेंगे नतीजे

न्यूयॉर्क, 22 मार्च (एपी)।

अमेरिका के खाद्य व औषधि प्रशासन ने शनिवार को कोरोना वायरस की उस जांच को मंजूरी दी जिसके नतीजे 45 मिनट में ही मिल सकते हैं। ऐसी जांच को मंजूरी देने से संक्रमित व्यक्ति की तेजी से पहचान होगी और उसका फौरन इलाज शुरू किया जा सकेगा और उसे पृथक किया जा सकेगा। कैलिफोर्निया स्थित सेफिड ने इस जांच पद्धति को विकसित किया है।

इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कहा कि उनका प्रशासन अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए संभावित स्थानों की तलाश कर रहा है।

न्यूयॉर्क में हवाई यातायात नियंत्रण के एक कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से शहर आने वाली उड़ानों को आंशिक रूप से रोका गया था।

न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और शनिवार देर रात तक इस बीमारी ने 60 लोगों की जान ले ली।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग के प्रमुख ने जल्द ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने को लेकर आगाह किया है। कुओमो ने कहा कि राज्य के

फ्रांस के लीसेस में रविवार को प्रयोगशाला में कोरोना संक्रमण की जांच में व्यस्त तकनीशियन।

अस्पतालों की क्षमता को मौजूदा करीब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का लक्ष्य है। अब तक करीब 16,000 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है।

गवर्नर ने कहा कि राज्य उन संभावित स्थानों की तलाश कर रहा है, जहां अस्थायी अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इन अस्पतालों का निर्माण 'आर्मी कोर ऑफ इंजीनियरिंग' करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी किया जा सकता है, वह सब कुछ किया जा रहा है।

कुओमो ने कहा कि राज्य अस्पतालों में मास्कों की आपूर्ति भी कर रहा है। इसके अलावा राज्य को वेंटिलेटर की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि छह हजार वेंटिलेटर खरीद कर अधिक प्रभावित इलाकों में भेजे जा रहे हैं। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि क्या एक वेंटिलेटर, कई मरीजों को लगाया जा सकता है?

प्रतिबंधों के कारण संघर्ष, श्रीलंका में दो कैदियों की मौत

कोलंबो, 22 मार्च (एपी)।

श्रीलंका में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए नए सख्त प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यहां की जेल में बंद कैदियों की गार्ड के साथ हाथापाई हुई और कुछ ने जेल से भागने की कोशिश की। पुलिस ने रविवार को बताया कि दो कैदियों की मौत हो गई और छह घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि अनुराधापुरा जेल में शनिवार शाम उस वक्त तनाव उत्पन्न हो गया जब गार्ड ने उपद्रव रोकने की कोशिश की। इस उपद्रव में गार्ड ने कैदियों को फरार होने से रोकने के लिए गोलीबारी की। अनुराधापुरा कोलंबो से 200 किलोमीटर उत्तर में है।

कैदी वायरस को रोकने के लिए आगंतुकों को मिलने की इजाजत नहीं देने के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। श्रीलंका में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 77 होने के बाद देशभर में शुक्रवार से तीन दिन का देशव्यापी कर्फ्यू लागू है।

रविवार को पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दो कैदियों की मौत हो गई और छह अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोई कैदी फरार नहीं हुआ और जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने समुचित कदम उठाए हैं।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित नहीं पाए गए

वाशिंगटन, 22 मार्च (भाषा)।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी कारेन पेंस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं। वाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पेंस और उनकी पत्नी ने कोरोना वायरस की जांच तब कराई जब उपराष्ट्रपति की टीम का एक सदस्य संक्रमित पाया गया। हालांकि संक्रमित व्यक्ति पेंस या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सीधे संपर्क में कभी नहीं आया। पेंस की प्रेस सचिव कैटी मिलर ने शनिवार को ट्वीट किया, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी कारेन पेंस जांच में संक्रमित नहीं पाए गए हैं।'

ऑस्ट्रेलिया ने 40 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की

सिडनी, 22 मार्च (एएफपी)।

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को हो रहे आर्थिक नुकसान को सीमित करने के लिए 38 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। वायरस के फैलने की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों से घरेलू यात्रा योजना रद्द करने की अपील की गई है।

वित्त मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 66 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या 38 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा रविवार को की गई है। उन्होंने कैनबरा में संवाददाताओं से कहा, 'असाधारण समय के लिए असाधारण उपायों की जरूरत होती है और हम ऐसी वैश्विक चुनौती का सामना कर रहे हैं, जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। आज की घोषणा से लाखों आस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऐसे समय उम्मीद और समर्थन प्राप्त होगा जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। छोटे कारोबारियों और मुनाफा कमाने के लिए कारोबार नहीं करने वाली इकाइयों को एक लाख आस्ट्रेलियाई डालर की नकद सब्सिडी दी जाएगी। बेरोजगारी भुगतान को अस्थायी तौर पर दोगुना कर दिया जाएगा और पेंशन भोगियों को 750 आस्ट्रेलियाई डालर नकद दिए जाएंगे।' कोरोना की वजह से जिन कर्मचारियों की आय 20 फीसद से ज्यादा घटी है, उन्हें सेवानिवृत्ति कोष से राशि लेने की सुविधा दी जाएगी। जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दो साल के दौरान 20 हजार डालर तक निकासी की सुविधा होगी।

पाक में पूर्ण बंदी से इमरान का इनकार

- 25 फीसद से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी
- हम पूर्ण बंद नहीं झेल सकते क्योंकि इससे व्यापक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी
- पूर्ण बंदी का मतलब कर्फ्यू लगाना है, लोगों को घर के अंदर बंद कर देना है
- पाकिस्तान में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 646 लोग संक्रमित हुए हैं

इस्लामाबाद, 22 मार्च (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को यह कहते हुए देश में पूर्ण बंदी से इनकार किया कि इससे अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए खुद को पृथक कर लेने की अपील की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के चलते अब तक चार लोगों की मौत हो गई है जबकि 646 लोग उससे संक्रमित हुए।

देशभर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए खान ने दोहराया कि बंदी से अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि 25 फीसद से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति में अभी बंदी की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा, 'पहले आपको मैं बताऊं कि पूर्ण बंदी है क्या। इसका मतलब कर्फ्यू लगाना है और लोगों को घरों के अंदर बंद कर देना है।' खान ने कहा, 'हम पूर्ण बंद नहीं झेल सकते क्योंकि इससे व्यापक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्थिति इटली या फ्रांस जितनी बुरी नहीं है। उन्होंने कहा, 'यदि स्थिति इटली जैसी होती तो मैं बंदी लगा देता।' प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद को पृथक कर लेने और घरों के अंदर ही रहने की अपील की। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और उसके हिसाब से सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार ने कोराना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शनिवार को सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी और ट्रेन सेवाएं सीमित कर दी थीं।

www.readwhere.com

फार्म न. NCLT.3A
समक्ष राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बैंच
CP (CAA) No. 8/Chd/Hry/2020
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
एवं
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामले में r.w. कम्पनीज (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) रूल 2016
एवं
शिरोकि ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरर कम्पनी) के साथ शिरोकि टेक्निको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरी कम्पनी) एवं उनके संबंधित अंशधारक के मध्य समामेलन की योजना के मामले में

एवं मामले में
शिरोकि ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 108, प्रथम तल, सनसिटी सक्सेस टावर, सैक्टर 65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम -122002, हरियाणा में स्थित है। CIN : U35923HR2017PTC071355, PAN : AACCO5929P
... आवेदक कंपनी 1/ ट्रांसफरर कंपनी
एवं
शिरोकि टेक्निको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 108, प्रथम तल, सनसिटी सक्सेस टावर, सैक्टर 65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम -122002, हरियाणा में स्थित है। CIN : U35122HR2014PTC056763, PAN : AAFCT0104J
... आवेदक कंपनी 2/ ट्रांसफरी कंपनी

याचिका की सूचना

एक संयुक्त याचिका कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत शिरोकि ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरर कम्पनी) के साथ शिरोकि टेक्निको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरी कम्पनी) एवं उनके संबंधित अंशधारक के मध्य समामेलन की योजना को आवेदक कम्पनीयों द्वारा दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत की गई एवं उक्त याचिका राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2020 को नियत की गई है। कोई व्यक्ति उक्त याचिका/आवेदन/संदर्भ का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो तो अपने इस आशय की सूचना अपने हस्ताक्षर से या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर से नाम और पते सहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के नाम व पते पर भेजे ताकि वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिये नियत तारीख से कम से कम 2 दिन पूर्व पहुंच जाये। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है तो ऐसी सूचना के साथ विरोध करने के आधार या शपथपत्र दिया जाना चाहिये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रति उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को उसके लिये निहित प्रभार का संदाय करने पर दी जायेगी।

दिनांक : 23.03.2020 (हस्ता./-)

धृतिमान भट्टाचार्या/ दीप्ति ओझा, अधिवक्ता
607, सैक्टर - 18बी, चंडीगढ़ में स्थित और यहां पर भी : **यूनिटी लीगल**, एस - 369, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 deeti.ojha@unitylegal.com

कोरोना से जारी संक्रमण का बाजार पर बना रहेगा दबाव

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके रोकथाम के उपायों का असर इस सप्ताह भी बाजार पर हावी रहेगा। विश्लेषकों के अनुसार अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ सकने वाले असर का दबाव बाजार पर बने रहने का अनुमान है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार का ध्यान इस बात पर लगा रहेगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण और बढ़ता है या फिर कुछ धीमा पड़ता है। इसके साथ ही निवेशकों की निगाहें राहत पैकेज के साथ रिजर्व बैंक और सरकार के समन्वित प्रयासों पर भी लगी रहेंगी।

पिछले सप्ताह उठापटक के बाद सूचकांक में 4,187.52 अंक और निफ्टी में 1,209.75 अंक की गिरावट दर्ज की गई। पूरे सप्ताह गिरावट में रहने के बाद शुक्रवार को बाजार में कुछ राहत देखने को मिली। शुक्रवार को सूचकांक 1,627.73 अंक की तेजी के साथ 29,915.96 अंक पर बंद हुआ।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा– इस सप्ताह फिर से भारतीय शेयर सूचकांकों में तेज गिरावट रही। आलोच्य सप्ताह के दौरान अक्तूबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली। भारत और पूरे विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि का असर बाजार पर जारी रहने का अनुमान है। ट्रेडिंगबेल्स के वरिष्ठ विश्लेषक संतोष मीणा ने कहा कि अभी बाजार की आगे की गति आने वाले समय में अमेरिका, यूरोप और भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की स्थिति पर पूरी तरह से निर्भर है।

मारुति, होंडा व महिंद्रा ने बंद किए संयंत्र

हीरो मोटोकॉर्प, फिएट ने इस महीने के अंत तक के लिए बंद किया उत्पादन

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मारुति सुजुकी (एमएसआइ), महिंद्रा एंड महिंद्रा और होंडा कार्स सहित देश की कई प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनियों ने देशभर में कारखानों में अगले आदेश तक के लिए उत्पादन कार्य रोक दिया है।

दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने से बचाव के लिए लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा जा रहा है। भारत में भी सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया ने गुरुगांव और मानेसर कारखानों में तुरंत प्रभाव से उत्पादन कार्य रोक दिया। वहीं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआइएल) ने भी 31 मार्च तक देश में स्थित दो कारखानों में गतिविधियां बंद रखने की घोषणा की है। इसी प्रकार महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) ने भी महाराष्ट्र में अपने सभी विनिर्माण गतिविधियों को अगले आदेश तक निलंबित रखने की घोषणा की है। फिएट ने भी देश में अपने कारखानों में कामकाज को इस माह के अंत तक बंद रखने की घोषणा की है। दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटो कार्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआइ) ने अपने सभी विनिर्माण कारखानों में कामकाज निलंबित कर दिया है।

मारुति सुजूकी ने रविवार को जारी वक्तव्य में कहा कि उसके हरियाणा के रोहतक स्थित शोध और विकास केंद्र भी बंद रहेगा। कामकाज बंद रखने की यह अवधि सरकार की नीति पर निर्भर करेगी।

इसी प्रकार एचसीआइएल ने कहा कि उसके ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और तापुकारा, राजस्थान स्थिति कारखानों में उत्पादन कार्य 23 से 31 मार्च तक निलंबित रहेगा। कंपनी ने कहा कि उसकी एक अप्रैल से कारखाना चालू करने की इच्छा है लेकिन यह सब सरकार की तरफ से मिलने वाले निर्देशों पर निर्भर करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कहा कि उसने अपने नागपुर कारखाने में विनिर्माण गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। उसके चकन (पुणे) और कांडीवली (मुंबई) के कारखानों में भी सोमवार से उत्पादन कार्य बंद रहेगा। कंपनी के देशभर में स्थित दफ्तरों में घर से काम कराया जा रहा है। रविवार को कंपनी के किसी भी कारखाने में कामकाज नहीं होता है।

वाहन विनिर्माता कंपनी एफसीए की संयुक्त उद्यम कंपनी फिएट इंडिया आटोमोबाइल प्रा. लिमिटेड की रंजनगांव स्थित कारखाने में भी कामकाज अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। एमजी मोटर इंडिया ने कहा है कि उसके हलोल (गुजरात) कारखाने में उत्पादन कार्य 25 मार्च तक बंद रहेगा। दुपहिया वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकार्प ने कहा है कि उसने उत्पादन कार्य 31 मार्च तक के लिये रोका है। कंपनी के दुनियाभर के अन्य देशों भारत के अलावा कोलंबिया और बांग्लादेश में भी 31 मार्च तक के लिए गतिविधियां रोक दी गई हैं। इसके अलावा नीमराणा स्थिति वैश्विक कलपुर्जे केंद्र में भी कामकाज 31 मार्च, 2020 तक के लिए रोक दिया गया है।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

शाखा कार्यालय : सेक्टर-21सी, डीएसएस-45,-46, सेक्टर 21सी, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फरीदाबाद (हरियाणा), ई-मेल : br.8299@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक (शाखा : सेक्टर-21सी, डीएसएस-45,-46, सेक्टर 21सी, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फरीदाबाद) के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के कर्जदार(रों)/जमानती(यों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 20 मार्च, 2020 को कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक (शाखा : सेक्टर-21सी, डीएसएस-45,-46, सेक्टर 21सी, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फरीदाबाद) के अभियोग का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/जमानती का नाम तथा पता	चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि	माँग सूचना की तिथि
कर्जदार : मैसर्स पीयूष डोर्स एण्ड फर्नीचर्स इसके प्रोपराइटर श्री अजीत सिंह पुत्र श्री केहर सिंह द्वारा प्रतिनिधानित जमानती : श्री केहर सिंह	प्राथमिक : स्टॉक एवं डेटर्स का दृष्टिबन्धक। समपार्श्विक : दुकान नं. 1, होली चौक, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, सेक्टर-25, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 का यूआरईएम, श्री केहर सिंह पुत्र श्री पारस राम के नाम पर। सम्पत्ति की सीमाएं : उत्तर : डागर का मकान, दक्षिण : 20 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व : अजीत सिंह की दुकान, पश्चिम : हाजी इदरीस का मकान।	30.06.2019 तक रु. 26,09,644.00 (रुपये छब्बीस लाख नौ हजार छः सौ चौवालीस मात्र) तथा 01.07.2019 से भावी ब्याज एवं बैंक द्वारा किया गया व्यय।	19.07.2019 कब्जा सूचना की तिथि 20.03.2020

तिथि : 23.03.2020 स्थान : फरीदाबाद अधिकृत प्राधिकारी, सिण्डीकेट बैंक

एलआइसी ने प्रीमियम भुगतान में राहत का एलान किया

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआइसी ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो पॉलिसीधारक प्रीमियम भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए इसकी समय सीमा 15 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर देश में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए एलआइसी ने अपने पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान में 15 अप्रैल 2020 तक राहत दी है। यह फैसला उन सभी ग्राहकों के लिए किया गया है कि जो किसी वजह से प्रीमियम भुगतान में असमर्थ रहे हैं।

विमानन ईंधन के दाम 12 फीसद गिरे, डीजल और पेट्रोल स्थिर

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

देश में विमानन ईंधन के दाम में रविवार को 12 फीसद की कटौती की गई। हालांकि, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार सातवें दिन स्थिर बने रहे। सरकार द्वारा इन ईंधनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए जाने की वजह से फिलहाल इनके दाम स्थिर बने हुए हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आ रही गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए विमानन ईंधन के दाम में पखवाड़े के हिसाब से संशोधन करने की पुनः शुरुआत की है। पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क की दर में हुई वृद्धि को समायोजित करने के कारण इनके दाम में कुछ दिनों से कमी नहीं हो पा रही है। तेल विपणन कंपनियों ने एक अधिसूचना में बताया कि विमानन ईंधन के दाम में 6,687.75 रुपए प्रति किलोलीटर यानी 11.76 फीसद की कटौती की गई है।

नई कीमत 50,171.26 रुपए प्रति किलोलीटर है, जो सितंबर 2017 के बाद सबसे कम है। इस साल फरवरी के बाद से यह विमानन ईंधन के दाम में लगातार तीसरी कटौती है। तब से अब तक इनके दाम 14,152.5 रुपए प्रति किलोलीटर यानी 22 फीसद कम हो चुके हैं। विमानन कंपनी की कुल लागत में विमान ईंधन की लगभग 40 फीसद हिस्सेदारी होती है। विमानन ईंधन के दाम देश में पहले ही पेट्रोल-डीजल से कम थे। अब यह बिना सबसिडी वाले किरोसिन से भी सस्ता हो गया है। बिना सबसिडी वाले किरोसिन की कीमत अभी 58,818.07 रुपए प्रति किलोलीटर है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार सातवें दिन क्रम से 69.59 और 62.29 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 13 मार्च को उत्पाद शुल्क तीन रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया था।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

शाखा कार्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा-121004
दूरभाष नं. : 0129-2300991, 2211710,
ई-मेल : br.8220@syndicatebank.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री।

एतद्वारा जनसामान्य को विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि सिंडीकेट बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे उल्लिखित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहले ही भौतिक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री भावी ब्याज, प्रभारों तथा लागतों आदि सहित नीचे वर्णित प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित कर्जदारों तथा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार ''जहाँ है जैसे है, जो कुछ है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर 25.04.2020 को की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि निम्नलिखित के अनुसार होगी :

कर्जदारों तथा जमानतियों का नाम तथा पता तिथि सहित बकाया राशि	बन्धककृत अचल/चल आस्तियों का विवरण एवं स्वामी/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने हेतु खाता संख्या एवं आईएफएस कोड
कर्जदार : मैसर्स ए.के. गुड अर्थ प्रा.लि. वर्तमान पता/इकाई पता 718, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 18.03.2020 तक **रु. 2,01,49,912.74** (रुपये दो करोड़ एक लाख उनचास हजार नौ सौ बारह एवं चौहत्तर पैसे मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज एवं लागतें।	प्लॉट सं. 2678, ब्लॉक-ए, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा के बेसमेंट सहित भूतल पर फ्लैट, क्षेत्रफल 445 वर्ग गज	रु. 1,36,00,000/- रु. 13,60,000/- 23-04-2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप.	खाता सं. 82203020000017 सिंडीकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोड SYNB0008220
कर्जदारः मैसर्स विजय नाफको आगरा प्रा.लि. वर्तमान पता/इकाई पता प्लॉट सं. 1/6, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, कोसी कोटवान, जिला मथुरा (उ.प्र.) 18.03.2020 तक **रु. 2,32,16,764.32** (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार सात सौ चौंसठ एवं बत्तीस पैसे मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज एवं व्यय।	औद्योगिक प्लॉट सं. ब्लॉक-1, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटवान, निकट कोसीकलाँ, जिला मथुरा (उ.प्र.), क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज, साइट पर मशीनरी।	रु. 24,00,000/- रु. 2,40,000/- 23-04-2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप.	खाता सं. 82203020000017 सिंडीकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोड SYNB0008220

ई-नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है :

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : **25.04.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.**
ई-नीलामी वेबसाइट पता : **https://syndicatebank.auctiontiger.net**
संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : **24.04.2020 को 4.00 बजे अप.**
न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि : **रु. 20,000/- के गुणक में**
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.syndicatebank.in में प्रावधानित लिंक देखें।

तिथि : 22.03.2020 **स्थान** : बल्लभगढ़ अधिकृत प्राधिकारी, सिंडीकेट बैंक

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

www.allahabadbank.com
शाखा संसद मार्ग, 17-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूति अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्त्तन (इसके पश्चात 'कथित अधिनियम' सन्दर्भित) के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.10.2019 जारी कर ऋणधारकों/प्रबन्ध निदेशक/प्रमोटर/निदेशक/स्वतन्त्र निदेशक/प्रोफेशनल निदेशक/जमानती : (1) मैसर्स मौरिया उद्योग लिमिटेड इसके निदेशकों श्री नवनीत कुमार सुरेखा (निदेशक), श्री रणवीर सिंह रिषि (निदेशक), श्रीमती सुजाता कुमार (निदेशक), वी.के. सुरेखा (चेयरमैन/प्रबन्धक निदेशक), मैसर्स दीपक होटल्स प्रा.लि. इसके निदेशक अखिल कुमार सुलेखा के माध्यम से, श्री विष्णु कुमार सुरेखा, नवनीत कुमार सुरेखा, कॉर्पोरेट कार्यालय का पता : निकट गाउची आक्ट्री पोस्ट, सोहना रोड, सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा-121004, पंजीकृत कार्यालय : रूम नं. 107, प्रथम तल, आनन्द ज्योति बिल्डिंग, 41, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता, मुख्य कार्यालय : 602, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित 28.10.2019 तक ब्याज सहित राशि रु. 89,55,17,834/- (रुपये नवासी करोड़ पचपन लाख सत्रह हजार आठ सौ चौंतीस मात्र) तथा लागत, प्रभारों तथा व्ययों को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/प्रबन्ध निदेशक/प्रमोटर/निदेशक/स्वतन्त्र निदेशक/प्रोफेशनल निदेशक/जमानती इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/प्रबन्ध निदेशक/प्रमोटर/निदेशक/स्वतन्त्र निदेशक/प्रोफेशनल निदेशक/जमानती तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 20 मार्च, 2020 को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/प्रबन्ध निदेशक/प्रमोटर/निदेशक/स्वतन्त्र निदेशक/प्रोफेशनल निदेशक/जमानती तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 28.10.2019 तक ब्याज सहित राशि रु. 89,55,17,834/- (रुपये नवासी करोड़ पचपन लाख सत्रह हजार आठ सौ चौंतीस मात्र) तथा लागत, प्रभारों तथा व्ययों के लिए इलाहाबाद बैंक, संसद मार्ग, भूतल, 17-संसद मार्ग, नई दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निम्नलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग :
(1) भूमि माप 22 बीघा 19 बिस्वा, मुतैल सं. 32, किला सं. 15/1/2(1-12), 16/1(2-09), 25/1(2-09), 17/1(0-1), मुस्तैल सं. 33, किला सं. 20(4-16), 11(3-06), 19(2-09),21(5-17); तथा
(2) भूमि माप 2 बीघा 10 बिस्वा, मुस्तैल सं. 37, किला सं. 5/1/1 (2-10) का 1/4 भाग, सभी राजस्व सम्पदा गाँव समालखा, तहसील वसन्त विहार, नई दिल्ली-110037 पर स्थित।

तिथि : 20.03.2020 स्थान : दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, इलाहाबाद बैंक

शीर्ष आठ कंपनियों की बाजार हैसियत 3.63 लाख करोड़ घटी

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह सम्मिलित तौर पर 3,63,884.03 करोड़ रुपए कम हो गया। एचडीएफसी बैंक को इसमें सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा।

आलोच्य सप्ताह के दौरान सूचकांक में 4,187.52 अंक यानी 12.27 फीसद की गिरावट आई। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर और आइटीसी ही दो ऐसी कंपनियां रहीं, जिनका बाजार पूंजीकरण बढ़ा है। इस दौरान एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक 1,03,470.28 करोड़ रुपए गिरकर 4,83,720.15 करोड़ रुपए पर आ गया। आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 65,853.55 करोड़ रुपए कम होकर 2,23,753.14 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 54,961.45 करोड़ रुपए लुढ़ककर 6,46,732.07 करोड़ रुपए रह गया।

एचडीएफसी का 54,479.15 करोड़ रुपए उतरकर 3,03,722.13 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का 39,626.31 करोड़ रुपए टूटकर 2,41,611.45 करोड़ रुपए रह गया। इन्फोसिस का 24,382.12 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 2,49,123.50 करोड़ रुपए, भारती एअरटेल का 17,621.45 करोड़ रुपए फिसलकर 2,51,992.19 करोड़ रुपए और टीसीएस का 3,489.72 करोड़ रुपए कम होकर 6,74,678.77 करोड़ रुपए पर आ गया।

इनसे उलट आइटीसी का बाजार पूंजीकरण 16,367.12 करोड़ रुपए बढ़कर 2,15,790.12 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 4,178.1 करोड़ रुपए चढ़कर 4,44,329.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आइटीसी पिछले ही सप्ताह सूचकांक की शीर्ष 10 कंपनियों में शामिल हुई है।

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टीसीएस पुनः शीर्ष पर पहुंच गई। इसके बाद क्रम से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, भारती एअरटेल, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और आइटीसी का स्थान रहा। टीसीएस ने पिछले सप्ताह बुधवार को बाजार पूंजीकरण के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़कर एक बार फिर से पहला स्थान कब्जा लिया।

शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय : 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)
मुख्य कार्यालय : दूसरी मंजिल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वेयर, सेक्टर 126, नोएडा

परिशिष्ट IV[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सरफाएशी अधिनियम'') तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अर्थों में शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बैंकिंग कम्पनी, पंजीकृत पता 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.) तथा मुख्य कार्यालय दूसरी मंजिल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वेयर, सेक्टर 126, नोएडा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार/रों/पक्षों से कथित माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी।

निम्नलिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

नीचे उल्लिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों आदि सहित शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा राशि कब्जा करने की तिथि एवं खाता सं.
1. श्री प्रदीप कुमार (कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री विद्या सागर निवासी : म.नं. 72, निकट दुर्गा मन्दिर एवं खुशी कम्प्यूटर्स, ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा, जी.बी. नगर-201301, 2. श्रीमती इन्दु (सह-कर्जदार) पत्नी श्री प्रदीप कुमार निवासी : म.नं. 72, निकट, निकट दुर्गा मन्दिर एवं खुशी कम्प्यूटर्स, ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा, जी.बी. नगर-201301, 3. श्री भोले सिंह (जमानती) पुत्र श्री जय सिंह निवासी म.नं. 82, टैंक नं. 12, शिव शक्ति दुर्गा लेन, ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा, जी.बी. नगर-201392 तथा 4. श्री भूपिन्दर सिंह (जमानती) पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी म.नं. 97, ग्राम गिझोर, मदन मोहन स्कूल लेन, सामने टॉवर नं. 12, सेक्टर-53, नोएडा, जी.बी. नगर-201301.	आवासीय मकान माप क्षेत्रफल 45.14 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 630, ग्राम रोजा जलालपुर, परगना एवं तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. पर स्थित, अचल आस्ति/याँ/सम्पत्ति सीमाएँ : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : 16 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 16 फीट चौड़ी सड़क। मापित सम्पत्ति का स्वामित्व : श्री प्रदीप कुमार।	माँग सूचना की तिथि : 01.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 20.03.2020 बकाया राशि : रु. 4,20,250.12 (रुपये चार लाख बीस हजार दो सौ पचास एवं बारह पैसे मात्र)
1. श्रीमती धर्मवती (कर्जदार) पत्नी श्री वेदपाल निवासी : ग्राम लखनावली सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306, 2. श्री वेदपाल (सह-कर्जदार) पुत्र श्री तेजावीर निवासी ग्राम लखनावली सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306 3. श्रीमती प्रकाशी देवी (जमानती एवं बंधककर्ता) पत्नी श्री तेजावीर निवासी ग्राम लखनावली सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306, 4. सुश्री राजवती (बन्धककर्ता एवं जमानती) पुत्री श्री गिरिराज सिंह निवासी ग्राम लखनावली सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306, 5. श्री ब्रह्म सिंह (जमानती) पुत्र गिरिराज सिंह निवासी ग्राम लखनावली सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306	खसरा नं. 417, ग्राम लखवाली, जिला-गौतम बुद्ध नगर पर स्थित आवासीय प्लॉट माप 504 वर्ग गज से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। अचल आस्ति/सम्पत्ति। सीमाएँ : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : जय सिंह का प्लॉट, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क। मापित सम्पत्ति का स्वामित्व : श्रीमती प्रकाशी देवी एवं सुश्री राजवती।	माँग सूचना की तिथि : 16.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 21.03.2020 बकाया राशि : रु. 7,39,871.54/- (रुपये सात लाख उनतालीस हजार आठ सौ इकहत्तर एवं चौवन पैसे मात्र) खाता सं. 101941007365 तथा रु. 10,26,349.04/- (रुपये दस लाख छब्बीस हजार तीन सौ उनचास एवं चार पैसे मात्र) खाता सं. 101941007407]
1. श्री ओंकार सिंह (कर्जदार एवं बन्धककर्ता) पुत्र श्री हरिकान्त चौधरी निवासी : डी-24, महेन्द्र एन्कलेव, राजपुर, गाजियाबाद-201002, 2. श्रीमती विनोद देवी (सह-कर्जदार) निवासी : डी-24, महेन्द्र एन्कलेव, राजपुर, गाजियाबाद-201002, 3. महेन्द्र सिंह (जमानती) पुत्र श्री इमरता निवासी मकान नं. 83, ग्राम भटजन, तहसील मोदी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201201	खसरा नं. 2035, प्लॉट सं. 24, महेन्द्र एन्कलेव, ग्राम-राजपुर, परगना-डासना, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. पर स्थित आवासीय मकान माप क्षेत्रफल 53.64 वर्ग मीटर से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। अचल आस्ति/सम्पत्ति सीमाएं : पूर्व : प्लॉट सं. 25, पश्चिम : प्लॉट सं. 24ए, उत्तर : 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति। मापित सम्पत्ति के स्वामी : श्री ओंकार सिंह	माँग सूचना की तिथि : 09.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 20.03.2020 बकाया राशि : रु. 16,83,504.64/- (रुपये सोलह लाख तिरासी हजार पाँच सौ चार एवं चौंसठ पैसे मात्र)
2. श्री मो. खालिद (कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री मो. फारूख निवासी : म.नं. 213, नई आबादी, ग्राम दादरी, जी.बी. नगर-201306, 2. श्रीमती आशिया रहमान (सह-कर्जदार) पत्नी मो. खालिद निवासी म.नं. 213, नई आबादी, ग्राम दादरी, जी.बी. नगर-201306 तथा 3. श्री अतीकुर रहमान (जमानती) पुत्र मो. फारूख रहमान निवासी : म.नं. 213, नई आबादी, ग्राम दादरी, जी.बी. नगर-201306	खसरा नं. 25, वार्ड सं. 25, नई आबादी, कस्बा-दादरी, परगना एवं तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर पर स्थित आवासीय मकान क्षेत्रफल 21.73 वर्ग मीटर से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। अचल आस्ति/सम्पत्ति। सीमाएँ : पूर्व : अतीकुर रहमान का मकान, पश्चिम : विक्रेता का मकान, उत्तर : 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : फामिदा का मकान। मापित सम्पत्ति के स्वामी : मो. खालिद	माँग सूचना की तिथि : 01.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 20.03.2020 बकाया राशि : रु. 12,15,406.20/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार चार सौ छः एवं बीस पैसे मात्र)

दिनाक : 23.03.2020 स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. कृते शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अधिकृत प्राधिकारी

अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74900DL1983PLC014972
दूरभाषः +91-11-22373437, **वेबसाइटः www:apollotricoat.com;**
ई-मेलः info@apollotricoat.com

पोस्टल बैलट एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार कम्पनी ने पोस्टल बैलट की सूचना दिनांक 16 मार्च, 2020, जिसे कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत सभी सदस्यों के पतों पर तथा साथ ही ई-मेल आईडी पर भेजा चुका है, में उल्लिखित व्यापारिक लेन-देन के लिए पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा एक स्व-पता लिखित प्रीपेड व्यापारिक प्रत्युत्तर लिफाफे सहित पोस्टल बैलट सूचना भेजने का कार्य पूरा कर लिया है।

कम्पनी (प्रबन्धन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग प्रेषिती के माध्यम से सूचना में निर्धारित के अनुसार समस्त प्रस्तावों हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने की सुविधा हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करायेगी। इस प्रकार जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 13 मार्च, 2020 तक भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर है वे अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।

एतद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. सभी शेयरधारकों, जिनके पास ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 23 मार्च, 2020 को 09:00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 21 अप्रैल, 2020 को 5:00 बजे अप. समाप्त होगी। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जायेगा। कथित समय एवं तिथि के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 13 मार्च, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलेखित हैं केवल उसे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी।
3. यह सूचना उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके नाम 13 मार्च, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर/ डिपॉजिटरी के रिकार्ड में अंकित हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है वह तदनुसार पोस्टल बैलट सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझे।
4. कम्पनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पूर्ण पोस्टल बैलट प्रक्रिया संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में लाठ दीपक एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव के श्री दीपक कुमार लाठ को नियुक्त किया है। विचारार्थ पात्र होने के लिए पूर्ण रूप से भरे पोस्टल बैलट प्रपत्र संवीक्षक के पास अधिकतम मंगलवार, 21 अप्रैल, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक पहुँच जाने चाहिए जिसमें असफल रहने पर कड़ाई से यह माना जायेगा कि सदस्यों से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।
5. जिस किसी सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र नहीं प्राप्त हुआ है वे कम्पनी से infb@apollotricoat.com पर आवेदन कर सकते हैं।
6. सदस्त मतदान का केवल एक ही विकल्प अर्थात या तो भौतिक बैलट या ई-वोटिंग माध्यम का चयन कर सकते हैं। किन्तु जिन सदस्यों ने भौतिक बैलट तथा ई-वोटिंग दोनों से अपना मतदान किया है, तो ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किये गये मतदान को वरीयता दी जायेगी और भौतिक बैलट द्वारा किये गये मतदान को अवैध माना जायेगा।
7. सदस्य उपर्युक्त बैठक की सूचना निम्नलिखित लिंकः www.apollotricoat.com तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com से प्राप्त कर सकते हैं।
8. पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग के परिणाम 23 अप्रैल, 2020 को या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक के प्रतिवेदन सहित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे और जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं उस स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किये जायेंगे।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत की स्थिति में सदस्य, सदस्यों के लिए 'Frequently Asked Questions' (FAQ's) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट के 'Downloads' खण्ड में सदस्यों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं अथवा श्री जिबू जॉन, सहायक महाप्रबन्धक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दूरभाषः +91-2262638261, ई-मेलः jibu@bigshareonline.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

आरटीए का पताः बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
302, कुशल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड
ह./-
सुरभि अरोड़ा
कम्पनी सचिव

दिनांकः 22.03.2020
स्थानः नोएडा

एसबीआइ ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित किया

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराएगा। बड़े कार्यालयों में थर्मल स्कैनर का इंतजाम किया जाएगा। बैंक ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जिसे चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा चलाया जाएगा। इसमें तनाव और बेचैनी से संबंधित समस्याओं के बारे में भी सलाह दी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि बैंक के मुंबई मुख्यालय स्थित मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक कार्ययोजना तैयार की है ताकि बैंक का काम सुचारु ढंग से चलता रहे और कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों की सुरक्षा भी हो सके। सूत्रों ने बताया कि इस कार्ययोजना के तहत बैंक के कॉरपोरेट सेंटर, स्थानीय मुख्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया गया है। यह कार्रवाई दल योजनाओं के अमल और उभरती स्थितियों के संदर्भ में उपयुक्त पहल करेगा। त्वरित कार्यबल, संबंधित स्थानीय प्रधान कार्यालयों के प्रशासनिक विभागों को दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट देगा। उन्होंने सुरक्षा उपायों का विवरण देते हुए कहा कि मुंबई के कारपोरेट सेंटर में एक महाप्रबंधक की अगुआई में बना त्वरित कार्रवाई दल देश की विभिन्न राजधानियों के त्वरित कार्रवाई दल के साथ समन्वय का काम करेगा।

सूत्रों ने कहा कि बड़े कार्यालयों में थर्मो स्कैनर लगाए जाएंगे और कर्मचारियों व ग्राहकों को सर्जिकल मास्क,सैनीटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक के आधे कर्मचारी हर दूसरे दिन काम पर आएंगे जबकि शेष आधे कर्मचारी घरों से ऑनलाइन काम करेंगे। उन्होंने कहा– मार्च का महीना क्लोजिंग का होता है। इस समय आमतौर पर काम ज्यादा रहता है। लेकिन बैंक कर संग्रह से लेकर कोष स्थानांतरण तक, सभी चुनौतियों के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि बैंककर्मियों के मानसिक दबाव, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए संजीवनी हेल्पलाइन काम करेगी, जहां समस्याग्रस्त कर्मचारियों को चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सलाह देंगे। सूत्रों ने बताया कि बैंक शाखाओं में ग्राहकों के लिए हाथ धोने की सुविधाएं (साबुन, पानी, सैनीटाइजर इत्यादि) उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्राहकों को मोबाइल सेवा के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं कि पैसे निकालने के लिए जहां तक हो सके, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें। नकदी के लिए एटीएम का उपयोग करें और बैंक में भीड़ न लगाएं। बैंक ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की है। एसबीआइ के कर्मचारियों की संख्या करीब तीन लाख है और उसकी 23,000 से अधिक शाखाएं हैं।

इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न में 25 फीसद गिरावट

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों का रिटर्न पिछले एक महीने में 25 फीसद गिरा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदी की आशंका से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है।

आइफास्ट फाइनेंशियल इंडिया में वरिष्ठ शोध विश्लेषक कृष्णा करवा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर से देश की प्रमुख 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां भी बच नहीं सकी हैं। बाजार में अस्थिरता के कारण छोटी से मध्यम अवधि के दौरान छोटी और मिडकैप इक्विटी योजनाएं दबाव में रहेंगी। मॉर्निंगस्टार इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इक्विटी योजना श्रेणी में सभी इक्विटी आधारित बचत योजनाओं (ईएलएसएस), स्मॉल कैप, मिडकैप और लार्ज-कैप योजनाओं ने 19 फरवरी से 18 मार्च, 2020 के बीच 25-26 फीसद के बीच नकारात्मक प्रतिफल दिया है। इसी अवधि के दौरान बंबई शेयर बाजार का सूचकांक लगभग 30 फीसद गिर गया।

कैदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए कसी कमर

खुद बना रहे हैं मास्क और साबुन

प्रयागराज, 22 मार्च (भाषा)।

नोवल कोरोना वायरस से खुद की और साथी बंदियों की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश की विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों के कैदी साबुन और मास्क तैयार कर रहे हैं और यह सामान खुद इस्तेमाल करने के साथ ही दूसरी जेलों में भी भेज रहे हैं।

डीआइजी (जेल) बीआर वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वर्तमान में वाराणसी की केंद्रीय जेल और जिला जेल, सोनभद्र जेल, जौनपुर जेल, कौशांबी जेल, नैनी सेंट्रल जेल, प्रतापगढ़ जेल, फतेहपुर जेल, हमीरपुर जेल में कैदी मास्क तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मास्क के अलावा, नैनी, आगरा और बरेली की जेलों में कैदियों द्वारा साबुन तैयार कर अन्य जेलों को भेजा जा रहा है। जेल प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियातन सभी उपाय किए हैं।

वर्मा ने बताया कि नैनी केंद्रीय जेल में कुछ दिन पहले ही मास्क बनाने का काम शुरू हुआ है जिसके लिए 10 मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। नैनी जेल में मास्क बनाने के काम में 20 से अधिक कैदी लगाए गए हैं और प्रतिदिन 600-700 मास्क तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नैनी जेल में सुबह 8 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक मास्क विनिर्माण का कार्य चल रहा है और सर्दी-जुकाम से ग्रस्त सभी कैदियों को मास्क बांटे जा रहे हैं। वहीं साबुन की मांग 30 जेलों से आ रही है जिन्हें साबुन की आपूर्ति की जा रही है।

> “कोरोना वायरस से बचाव के लिए वर्तमान में वाराणसी की केंद्रीय जेल और जिला जेल, सोनभद्र जेल, जौनपुर जेल, कौशांबी जेल, नैनी सेंट्रल जेल, प्रतापगढ़ जेल, फतेहपुर जेल, हमीरपुर जेल में कैदी मास्क तैयार कर रहे हैं। मास्क के अलावा, नैनी, आगरा और बरेली की जेलों में कैदियों द्वारा साबुन तैयार कर अन्य जेलों को भेजा जा रहा है। – बीआर वर्मा ,डीआइजी (जेल)

वर्मा ने बताया कि जेल के कैदी बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए मुलाकातियों की संख्या तीन से घटाकर एक कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि हालांकि कैदियों से मुलाकात करने आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं होने से जेल प्रशासन थोड़ा चिंतित जरूर है। नैनी केंद्रीय जेल के जेलर बीके त्रिवेदी ने बताया कि बाजार से थर्मल स्कैनिंग का उपकरण नहीं मिल पाने से मुलाकातियों की थर्मल स्कैनिंग नहीं हो पा रही है। नैनी केंद्रीय जेल में वर्तमान में 4,203 कैदी बंद हैं।

कोरोना के फैलने का संबंध हो सकता है देशों की अक्षांश स्थिति से : अध्ययन

चेन्नई, 22 मार्च (भाषा)।

> *केंद्र* के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संगठन गणितीय विज्ञान संस्थान का अध्ययन

चेन्नई के प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा किए गए महामारी विज्ञान अध्ययन में पता चला है कि जिस तेजी से कोरोना वायरस दुनियाभर में फैल रहा है तो इसका देशों की अक्षांश स्थिति से संबंध हो सकता है। केंद्र के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संगठन गणितीय विज्ञान संस्थान (आइएमएससी) के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत में आने वाले बुधवार तक कोविड-19 के मरीज करीब 400 तक हो सकते हैं और खराब स्थिति में यह संख्या 900 तक पहुंच सकती है।

सौम्या ईश्वरन के साथ अध्ययन करने वाले प्रोफेसर सीताभ्रा सिन्हा ने कहा कि मामले बढ़ेंगे या घटेंगे, यह निजी स्तर पर लोगों की प्रतिक्रिया और इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहयोग जैसी बातों पर निर्भर करेगा। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए संस्थान की दो सदस्यीय टीम ने कोरोना वायरस के प्रसार का संबंध अक्षांश स्थिति से बताया। सिन्हा ने साक्षात्कार में कहा, ‘सामान्य तौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में इस महामारी के फैलने की वृद्धि दर अधिक है।’ अध्ययन में मौसम परिस्थितियों और वायरस फैलने की दर के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।

शोधकर्ता ने कहा कि देशों की अक्षांश स्थिति और रोगाणुओं के छितराव की दर के बीच संबंध आगे के अध्ययन में और पुख्ता होगा जो अभी चल रहा है। चीन और भारत समेत अन्य एशियाई देशों, में कोरोना के प्रसार पर आंकड़ों के बारे में बताते हुए सिन्हा ने कहा कि उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि क्या विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित लोगों की संख्या की वृद्धि दर का संबंध कुछ घटकों से हो सकता है।

जनता कर्फ्यू : गुजरात की सड़कें रहीं सूनी-सूनी

अमदाबाद, 22 मार्च (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील को रविवार को गुजरात में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। समूचे राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद को घरों में बंद कर लिया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानें बंद रहीं।

राज्य के चार प्रमुख शहरों – अमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट– में सड़कों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर रविवार सुबह सन्नाटा छाया रहा। अमदाबाद में लोग अपने घरों में ही रहे और आवासीय सोसाइटी से मुश्किल से ही किसी को निकलते देखा गया।

एसजी राजमार्ग और एसपी रिंग रोड जैसी अमदाबाद की सभी प्रमुख सड़कें सुनसान रहीं। यही हाल कालूपुर फल बाजार का भी था, जहां आमतौर पर सुबह में भीड़ होती है। राज्य में सरकारी बसों की सेवा बंद रही। अमदाबाद मेट्रो की सेवा को भी बंद किया गया है।

punjab national bank

शा.का. : पंजाबी बाग, 39-40 सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
(दूरभाष नं. 011- 47020413, ई-मेल आईडी : bo1501@pnb.co.in)

कब्जा सूचना
परिशिष्ट-IV
(अचल सम्पत्ति हेतु)
नियम 8(1)

श्री अवनीश कुमार झा, ए 201, दूसरी मंजिल, अहिंसा खण्ड, एंजेल मर्करी इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सूचना में उल्लिखित 17.12.2019 तक कुल राशि रु. 59,22,000/- (रुपये उनसठ लाख बाईस हजार मात्र) तथा इस पर 02.12.2019 से भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर(रों) पर लगे ब्याज/अवसूलीकृत ब्याज, आकस्मिक ब्ययों, लागतों एवं प्रभारों आदि का पुनर्भुगतान कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए कर्जदार श्री अवनीश कुमार झा के पास 17.12.2019 को एक माँग सूचनी निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानती के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर 16 मार्च, 2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 17.12.2019 तक कुल राशि रु. 59,22,000/- (रुपये उनसठ लाख बाईस हजार मात्र) तथा इस पर 02.12.2019 से भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर(रों) पर लगे ब्याज/अवसूलीकृत ब्याज, आकस्मिक ब्ययों, लागतों एवं प्रभारों आदि के लिए पंजाब नैशनल बैंक, 39-40 सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
ए-2204, 22वीं मंजिल, एंजेल मर्करी अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.

दिनांक : 16.03.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली — पंजाब नैशनल बैंक

जनता कर्फ्यू ने रोकी मायानगरी की चाल

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

कभी न सोने और कभी न रुकने के लिए जानी जाने वाली मायानगरी मुंबई की सड़कें रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित ‘जनता कर्फ्यू’ के मद्देनजर सुनसान रहीं और सार्वजिक स्थलों पर सन्नाटा रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के तहत सामाजिक दूरी बनाने के लिए लोगों से रविवार को सुबह सात से रात नौ बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ का हिस्सा बनने की अपील की है।

पश्चिमी और पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्गों और शहर की अन्य सड़कों पर आमतौर पर भारी यातायात देखने को मिलता है लेकिन कर्फ्यू को समर्थन देने क लिए लोग आज अपने घरों में ही रहे। रेलवे स्टेशनों पर भी इसी प्रकार की स्थिति थी जहां क्षमता से अधिक भीड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए अमूमन हजारों यात्री मौजूद रहते हैं।

राज्य सरकार प्राधिकारियों ने लोगों को शनिवार को सूचित किया था कि केवल आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को ही लोकल ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति भी पहचान संबंधी पत्र देखने के बाद ही मिलेगी।

शहर में रविवार को सार्वजनिक परिवहन सुविधा में कटौती की गई है। लोकल ट्रेन समेत रेल सेवाओं में कटौती की गई है। शहर में रविवार को मुंबई मेट्रो और मुंबई मोनोरेल का परिचालन निलंबित है।

महाराष्ट्र : सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। राज्य में कोविड-19 से दो मरीजों की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से राज्य के शहरी क्षेत्रों में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन और निजी बस सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि किराने का सामान, सब्जी विक्रेता, बैंक और प्रमुख वित्तीय सेवाएं जैसी आवश्यक सेवाएं संचालित होती रहेंगी।

केरल : लोगों ने जनता कर्फ्यू का किया पालन

तिरुवनंतपुरम, 22 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित जनता कर्फ्यू का रविवार को केरल में लोगों ने पालन किया। केरल में पूरी तरह आवाजाही बंद दिखाई दी और राज्य की राजधानी समेत अन्य स्थानों पर सड़कें बिल्कुल खाली नजर आईं।

प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्तावित ‘स्वैच्छिक कर्फ्यू’ का राज्य की वाम सरकार ने भी स्वागत किया। कुछ वाहनों को छोड़कर तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जैसे बड़े शहरों में सड़कें खाली रहीं। राज्य संचालित बसें भी सड़कों पर नहीं उतरीं और कोच्चि मेट्रो रेल निगम ने भी सेवाएं रोक दीं। निजी बसों समेत ऑटो रिक्शा वालों ने भी जनता कर्फ्यू का पालन किया।

गोवा : सुनसान रहे समुद्र किनारे, सड़कें रहीं खाली

पणजी, 22 मार्च (भाषा)।

> *अत्यावश्यक* सेवाओं को छोड़कर बस सेवाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, बाजार और उपासना स्थल समेत तमाम अन्य स्थान बंद रहे।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों के मद्देनजर देश भर में लगाए गए 14 घंटे के ‘जनता कर्फ्यू’ को देखते हुए गोवा की सड़कें और बीच रविवार सुबह खाली पड़े रहे। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बस सेवाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, बाजार और उपासना स्थल समेत तमाम अन्य स्थान बंद रहे और लोग घरों के भीतर रहे। गोवा चर्च ने भीड़भाड़ जुटने से रोकने के लिए पूरे तटीय राज्य में रविवार की प्रार्थना सभाएं रद्द कर दीं।

मंगुएशी मंदिर, मरडोल में महलसा नारायणी मंदिर और उत्तरी गोवा जिले में कामाक्षी मंदिर समेत अन्य सभी प्रमुख मंदिर बंद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नेताओं ने पार्टी राजनीति से अलग हटकर ‘जनता कर्फ्यू’ को समर्थन दिया है।

गोवा में कोरोना वायरस का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। शनिवार तक, केवल एक मरीज अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए 31 मार्च तक सड़क किनारे के भोजनालयों को बंद करने और सरकारी एवं निजी दफ्तरों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने समेत कई अन्य उपायों की शनिवार को घोषणा की थी।

गिरती जा रही है पेंशन पाने वाले कलाकारों की संख्या

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

> *संसद* के बजट सत्र में पेश की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कलाकार पेंशन योजना और कल्याण निधि के लाभार्थियों की संख्या 2018-19 में 4120 से घटकर 2019-20 में 3133 रह गई है। वहीं, कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2014-15 में 3882 से घटकर 2018-19 में महज 93 रह गई।

कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर का डंका बजाने वाले कलाकारों को लुभाने में सरकार की ‘कलाकार पेंशन योजना और कल्याण निधि’ नाकाम साबित हो रही है। संस्कृति मंत्रालय की विभाग संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन योजनाओं के लाभार्थियों की साल दर साल कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है।

राज्यसभा सदस्य टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना और कल्याण निधि के लाभार्थियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है।

सरकार ने 2014 में कला के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले कलाकारों को वृद्धावस्था के दौरान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता देने के लिए दो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। पेंशन योजना के लिए बजट आबंटन के मुताबिक लाभार्थियों को लगभग चार हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

संसद के बजट सत्र में पेश की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कलाकार पेंशन योजना और कल्याण निधि के लाभार्थियों की संख्या 2018-19 में 4120 से घटकर 2019-20 में 3133 रह गई है। वहीं, कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2014-15 में 3882 से घटकर 2018-19 में महज 93 रह गई।

रिपोर्ट में मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर चौंकाने वाली बात यह भी उजागर हुई है कि एक तरफ पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना में 2014-15 में सभी 28 राज्यों के लाभार्थी शामिल हुए जबकि 2017-18 में 17 राज्यों और 2018-19 में सिर्फ आठ राज्यों के ही लाभार्थी ही इस योजना में शामिल हो सके।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
क्रेयोन्स एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	क्रेयोन्स एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03.07.1986
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U52109DL1986PTC024711
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	एनएसआईसी कॉम्प्लेक्स, माँ आनंदमयी मार्ग ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस- III नई दिल्ली - 110020, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**आदेश की तारीख** : 19.03.2020 **आदेश की प्राप्ति की तारीख** : 21.03.2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14.09.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**प्रणव कुमार** **पंजीकरण सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00263/2017-18/10776
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	3एफ सीएस-70, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद-201010, यू.पी., भारत **ईमेल** : pranavcs@outlook.com **मो.** : 9810793994
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	3एफ सीएस-70, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद-201010, यू.पी., भारत **ईमेल** : pranavcs@outlook.com **मो.** : 9810793994
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	03.04.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	परिचालन और वित्तीय लेनदार
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री संतोष शर्मा** (**पंजी.सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00898/2019-20/12842) **2. श्री अवनीश श्रीवास्तव** (**पंजी.सं.**: IBBI/IPA-001/IP-P01845/2019-2020/12869) **3. श्रीमती शालिनी अग्रवाल** (**पंजी.सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00601/2018-2019/11887)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) कॉलम नंबर 10 पर उल्लिखित पते पर

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **19 मार्च 2020** को **क्रेयोन्स एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

क्रेयोन्स एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **03 अप्रैल 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में वित्तीय लेनदार श्रेणी में निर्धारित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
प्रणव कुमार
दिनांक : 23 मार्च 2020 — क्रेयोन्स एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
स्थान : गाजियाबाद — **पंजीकरण सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00263/2017-18/10776

प्रपत्र-‘जी’
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन
प्रासंगिक विवरण

1	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**एम के एस आयल प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06/04/2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U23201DL2013PTC250459
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** मकान नंबर 323 और 324, पहली मंजिल ब्लॉक बी-4, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली- 110085 **वर्कशः** ग्राम खानपुर कोलियान, जीटी रोड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भन की तिथि	09/12/2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	23/03/2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	विवरण irp.rp.amittal@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
9.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	वेबसाइट IBBI (ibbi.gov.in) पर उपलब्ध है या irp.rp.amittal@gmail.com पर ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	06/04/2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	08/04/2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13/04/2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	15/04/2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	13/04/2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	1. यह ईमेल और शॉर्टलिस्ट किए गए रिज़ॉल्यूशन आवेदकों को सूचित किया जाएगा। 2. संपर्क करें अतुल मित्तल, समाधान प्रोफेशनल एम के एस आयल प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल पर: a.mittalmc@gmail.com, irp.ip.amittal@gmail.com
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13/05/2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	अ) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप द्वारा अतुल मित्तल समाधान प्रोफेशनल की एम के एस ऑयल प्राइवेट लिमिटेड **पताः** 174, बालको अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092 ब) संकल्प योजना की ईमेल द्वारा सूचना- a.mittalmc@gmail.com, irp.rp.amittal@gmail.com पर
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	22/05/2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नामः अतुल मित्तल** **पंजीकरण सं.**:IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**अतुल मित्तल** **पताः** 174, बालको अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज, दिल्ली - 110092 ईमेल: a.mittalmc@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पताः** 163, बालको अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज, दिल्ली - 110092 ईमेल: irp.rp.amittal@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	a.mittalmc@gmail.com, irp.ip.amittal@gmail.com पर ईमेल करके और जानकारी मांगी जा सकती है
23.	प्रपत्र ‘जी’ के प्रकाशन की तिथि	**23/03/2020**

हस्ता/-
अतुल मित्तल
एम के एस आयल प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशनल
तिथि : 23.03.2020 — 174, बालको अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
स्थान : नई दिल्ली — **पंजीकरण संख्या** : IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालय : ‘‘राधिका’’, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 शाखा कार्यालय : भवन सं. 59, प्रथम एवं तृतीय तल, पंचकुइयाँ रोड, निकट आर.के. आश्रम मेट्रो, नई दिल्ली-110001

सरफाएसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत माँग सूचना

आप अधोलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय सुविधाएँ ग्रहण कीं और उनके पुनर्भुगतान में चूक की। आपकी चूक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सूचना निर्गत की है।

कर्जदारों, सह-कर्जदारों, ऋण खाता सं., ऋण की राशि, धारा 13(2) के तहत माँग सूचना, तिथि, सूचना में दावाकृत राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : आदित्य लैण्ड्स प्रा.लि. (उसके निदेशकों के माध्यम से), 67, न्यू म्युनिसिपल डबल स्टोरी मार्केट, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003, साथ ही : एच1ए/16 सेक्टर 63, नोएडा-201301, वार्तिक कपूर, दीपक कपूर, प्राण नाथ कपूर, अजय कपूर, अदित्य कपूर, 10/75 पंजाबी बाग वेस्ट, सामने गुरुहर पब्लिक स्कूल, दिल्ली-110026, मकान नं. 10, रोड नं. 75 पंजाबी बाग वेस्ट, दिल्ली-110026, प्रेमसन्स साउथएन्ड, ए-12, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 01, नई दिल्ली-110049, आदित्य लैण्ड्स प्रा.लि., सम्पत्ति सं. 16BLOCKH-1 सेक्टर-63, नोएडा-201301, खाता सं. : 916842; ऋण राशि : रु. 50000000/- (रुपये पांच करोड़ मात्र), मांग सूचना की तिथि : 29.01.2020 दावाकृत राशि : 22 जनवरी, 2020 तक रु. 45,844,818.00 (रुपये चार करोड़ अट्ठावन लाख चार हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए तिथि : 14.09.2019; प्रतिभूति का विवरण : सम्पत्ति सं. 16, ब्लॉक एच-1ए, सेक्टर 63, नोएडा-201301, माप : 200 वर्ग मीटर तथा अभिलेखित नाम मैसर्स आदित्य लैण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक दीपक कपूर के माध्यम से। पंजीकरण दस्तावेज : बुक सं. 1, वॉल्यूम सं. 1161, पृष्ठ सं. 169 से 186, क्रम सं. 5216-5217, तिथि 29.07.2003, कार्यालय उपरजिस्ट्रार-नोएडा के साथ। सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : खुला, उत्तर : प्लॉट सं. एच1/ए/5, दक्षिण : प्लॉट सं. एच1/ए/7.
2.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : अमित कपूर एवं चैनी कपूर, निवासी ए-2/9, भूतल, राणा प्रताप बाग, मलकागंज, नई दिल्ली, साथ ही : मकान नं. 9, ब्लॉक ए, श्री नगर कॉलोनी, भारत नगर, नई दिल्ली-110052, खाता सं. 1015301; ऋण की राशि : रु. 12000000/- (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र), माँग सूचना की तिथि : 29.01.2020 दावाकृत राशि : 29 जनवरी, 2020 तक रु. 11048177.68 (रुपये एक करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार एक सौ सतहत्तर एवं अड़सठ पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए की तिथि : 03.09.2019; प्रतिभूति का विवरण : सम्पत्ति सं. मकान नं. 9, ब्लॉक ए, श्री नगर कॉलोनी, भारत नगर, नई दिल्ली-110052, माप : 150 वर्ग मीटर तथा अमित कपूर एवं चैनी कपूर के नाम से अभिलेखित : पुस्तक सं. 1, वॉल्यूम सं. 5455, पृष्ठ सं. 141 से 149, क्रम सं. 7691, दिनांक 27.08.2014, कार्यालयय उपरजिस्ट्रार-दिल्ली के साथ। सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : लेन, पश्चिम : नाला, उत्तर : लेन, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति।
3.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : कैसोपिया कंसल्टैन्ट्स प्रा.लि., सी-6 एवं 7/6112, भूतल वसन्त कुंज, दिल्ली-110070, राकेश हाण्डा एचयूएफ, इसके कर्ता राकेश हाण्डा के माध्यम से, इन्दु हाण्डा, 756, सेक्टर-ए, पॉकेट-सी, वसन्त कुंज, दिल्ली-110070, रामा मुथुस्वामी अय्यर, पी.पी. कृष्णन, ए-266, छतरपुर एन्कलेव पार्ट-II, दिल्ली-110068, खाता सं. 147699; ऋण की राशि : रु. 11096411 (रुपये एक करोड़ दस लाख छियानबे हजार चार सौ ग्यारह मात्र), माँग सूचना की तिथि : 28.01.2020 दावाकृत राशि : 28 जनवरी, 2020 तक रु. 4,321459.48 (रुपये तैंतालीस लाख इक्कीस हजार चार सौ उनसठ एवं अड़तालीस पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए की तिथि : 03.09.2019; प्रतिभूति का विवरण : फ्लैट सं. 6112, भूतल एवं प्रथम तल, पॉकेट-सी-6 एवं 7, एसएफएस श्रेणी-III, वसन्त कुंज, दिल्ली-110070 का सम्पूर्ण भाग, माप : 1300 वर्ग फीट लगभग, राकेश हाण्डा (एचयूएफ) तथा इंदु हाण्डा के नाम से अभिलेखित : क्रम सं. 4736 एवं 4737, दिनांक 17.07.2003, कार्यालयय उपरजिस्ट्रार-नई दिल्ली के साथ। सम्पत्ति की सीमाएँ : स्वामित्व विलेख के अनुसार।
4.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : अनिल अग्रवाल, जयश्री अग्रवाल, निवासी बी-110, दूसरी मंजिल, विवेक विहार, फेज-I, नई दिल्ली-110092, खाता सं. 236521,580682 तथा 896830 जो यूनिक आईडी 207223 से लिंक्ड है; ऋण की राशि : रु. 22439530/- (रुपये दो करोड़ चौबीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ तीस मात्र), माँग सूचना की तिथि : 04.01.2020 दावाकृत राशि : 4 जनवरी, 2020 तक रु. 16271899.28 (रुपये एक करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार आठ सौ निन्यानबे एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए की तिथि : 04.05.2019; प्रतिभूति का विवरण : 1. मकान नं. बी-110, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-बी, विवेक विहार, जी.टी. रोड, रेलवे लाइन, निकट आईटीआई शाहदरा, नई दिल्ली-110092 का सम्पूर्ण भाग, माप 134.66 वर्ग गज, 2. फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति, माप 68.75 वर्ग मीटर, सम्पत्ति सं. सी-1/47, अन्तिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित साइट के अनुसार, लेआउट प्लान सी-1 ब्लॉक, यमुना विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित। सम्पत्ति की सीमाएँ : 1. उत्तर : प्लॉट सं. 111, दक्षिण : प्लॉट सं. 109, पूर्व : सड़क, पश्चिम : सर्विस लेन, 2. उत्तर : सम्पत्ति सं. सी-1/46, दक्षिण : सम्पत्ति सं. सी-1/46, पूर्व : सड़क, पश्चिम : सर्विस लेन।
5.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : त्यागी नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, सुधीर कुमार त्यागी, अलका त्यागी, सागर त्यागी, म.नं. 66/3, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली-110018, साथ ही : म.नं. 66/4, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली-110018, खाता सं. 2334050; ऋण की राशि : रु. 46247717 (रुपये चार करोड़ बासठ लाख सैंतालीस हजार सात सौ सत्रह मात्र), माँग सूचना की तिथि : 29.01.2020 दावाकृत राशि : 29 जनवरी, 2020 तक रु. 45,747591.65 (रुपये चार करोड़ सत्तावन लाख सैंतालीस हजार पाँच से इक्यानबे एवं पैंसठ पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए की तिथि : 03.09.2019; प्रतिभूति का विवरण : सम्पत्ति सं. 1 : म.नं. 66/3, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली-110018 का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग गज तथा अलका त्यागी के नाम से अभिलेखित, पंजीकरण दस्तावेज : बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 10997, दिनांक 08.07.2003, पृष्ठ सं. 169 से 175 पर क्रम सं. 8682, कार्यालय उपरजिस्ट्रार II, नई दिल्ली के साथ। 2. म.नं. 66/4, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली-110018 का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग गज तथा सुधीर कुमार त्यागी एवं अलका त्यागी के नाम से अभिलेखित, पंजीकरण दस्तावेज : बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 9250, पृष्ठ सं. 46 से 50 पर क्रम सं. 3407, दिनांक 24.05.1999, कार्यालय उपरजिस्ट्रार II, नई दिल्ली के साथ। सम्पत्ति की सीमाएँ : उत्तर : सड़क, दक्षिण : सर्विस लेन, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति।
6.	कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : कोटा साड़ी निकेतन प्रा.लि. (इसके निदेशकों के माध्यम से), चन्द्र प्रकाश जैन, मंजू जैन, विकास जैन, सी-170, ब्लॉक-सी, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, साथ ही : प्रथम तल, शंकर मार्केट, कटरा शहंशाही, चाँदनी चौक, नई दिल्ली-110006, खाता सं. 857061; ऋण की राशि : रु. 80,000,000.00 (रुपये अस्सी करोड़ मात्र), माँग सूचना की तिथि : 29.01.2020 दावाकृत राशि : 29 जनवरी, 2020 तक रु. 13,826,258.89 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख छब्बीस हजार दो सौ अट्ठावन एवं नवासी पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए की तिथि : 03.10.2019; प्रतिभूति का विवरण : प्लॉट सं. सी-170, प्रीत विहार, नई दिल्ली का सम्पूर्ण भाग। सम्पत्ति की सीमाएँ : उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : सड़क एवं पार्क, पूर्व : सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 169

अतः आप कर्जदार/ सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

(प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस बीच आपको उपर्युक्त सम्पत्ति का हमारी सहमति के बिना विक्रय, पट्टे अथवा अन्य रूप में उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है और अधिनियम की धारा 13 (13) का कोई अननुपालन कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत दण्डनीय है।

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री हरदीप सभरवाल, दूरभाष: 9654965496 अथवा श्री यज्ञेश मेधावी, दूरभाष: 9310890352

स्थान: मुम्बई — **ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,**
तिथि: 23.03.2019 — **अधिकृत प्राधिकारी**

www.readwhere.com

निश्चित रूप से ओलंपिक स्थगित होना चाहिए : शरत

नई दिल्ली, 21 मार्च (भाषा)।

भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल जुलाई–अगस्त में अपना चौथा ओलंपिक खेलने की कतार में हैं। लेकिन वह मानते हैं कि आइओसी को कोविड–19 महामारी के कारण इस महासमर को स्थगित कर देना चाहिए। शरत ने पिछले हफ्ते आइटीटीएफ ओमान ओपन खिताब अपने नाम किया था जो 10 साल में उनकी पहली ट्रॉफी थी। उन्होंने सोमवार को तड़के मस्कट से स्वदेश लौटने के बाद खुद को अलग रखा हुआ है।

> **शरत** की विश्व रैंकिंग 38 है और 31वीं रैंकिंग पर काबिज जी साथियान अपनी रैंकिंग के आधार पर क्वालीफाई कर लेंगे

अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने अपने सभी टूर्नामेंट अप्रैल के अंत तक स्थगित कर दिए हैं और अगले महीने बैंकाक में होने वाली एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग प्रतियोगिता भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। सैंतीस साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि खिलाड़ी होने के नाते मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि ओलंपिक का आयोजन हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वायरस का केंद्र बदलता रहेगा, पहले यह चीन था, अब यह इटली है और एशिया में ईरान भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह ओलंपिक समय पर शुरू करने के लिए सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हर कोई सामुदायिक दूरी बनाने की बात कर रहा है लेकिन ओलंपिक में ऐसे संभव नहीं हो पाएगा।

सैंज डियाज की कोरोना संक्रमण से मौत

मैड्रिड, 22 मार्च (एएफपी)।

रीयाल मैड्रिड के पूर्व अध्यक्ष लोरेंजो सैंज का कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। वह 76 साल के थे। सैंज 1995–2000 तक इस स्पेनिश लीग के प्रमुख थे। इस दौरान रीयाल ने दो बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता। उनके बेटे लोरेंजो सैंज जूनियर ने ट्वीट किया, 'मेरे पिता का अभी निधन हो गया। वह इस तरह से दुनिया को अलविदा कहने के हकदार नहीं थे।' तीन दिन पहले पेशेवर बास्केटबाल खिलाड़ी सैंज जूनियर ने कहा था कि उनके पिता कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और उन्हें मैड्रिड हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।

ओलंपिक स्थगन की मांग तेज

पेरिस, 22 मार्च (एएफपी)।

अमेरिका के प्रभावशाली ट्रैक एवं फील्ड महासंघ ने भी ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का आग्रह किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) पर तोक्यो 2020 को टालने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका का ट्रैक एवं फील्ड महासंघ (यूएसएटीएफ) उन प्रभावशाली खेल महासंघों में शामिल हो गया है जिसने खेलों को स्थगित करने के लिए कहा है।

महासंघ के अध्यक्ष मैक्स सीगल ने अपने पत्र में 'सम्मानपूर्वक आग्रह' किया है कि अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) को तोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों को स्थगित करने की वकालत करनी चाहिए। यूएसओपीसी ने कहा था कि 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने वाले खेलों को स्थगित करने का फैसला अभी जल्दबाजी होगा। आइओसी के प्रमुख थामस बाक भी पहले इसी तरह का बयान दे चुके हैं। सीगल ने अपने पत्र में लिखा, 'हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना सही और जिम्मेदारी भरा कदम होगा। इस मुश्किल परिस्थिति से पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना जो हमारे खिलाड़ियों और ओलंपिक की उनकी तैयारियों पर पड़ रहा है।' यूएसएटीएफ से एक दिन पहले अमेरिका के तैराकी महासंघ यूएसओपीसी से ओलंपिक खेलों को 2021 तक टालने का समर्थन करने के लिए कहा था। फ्रांस के तैराकी महासंघ ने भी उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में खेलों का सही तरह से आयोजन नहीं किया जा सकता। स्पेन के एथलेटिक्स महासंघ ने इसके बाद खेलों को टालने के लिए अपनी आवाज उठाई। नार्वे ओलंपिक समिति (एनओसी) ने कहा कि उसने शुक्रवार को आइओसी को एक पत्र भेजा है। एनओसी ने कहा, 'हमारी स्पष्ट सिफारिशें हैं कि जब तक विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जाता है तब तक तोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन के एथलेटिक्स महासंघ के प्रमुख ने भी ओलंपिक के आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं।

खिलाड़ियों के वैश्विक समूह ने की अपील

तोक्यो, 22 मार्च (एपी)।

ओलंपिक में भाग लेने वाले संभावित खिलाड़ियों के समूह 'ग्लोबल एथलीट' ने कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में आने तक तोक्यो ओलंपिक खेलों को स्थगित करने की अपील की है।

ग्लोबल एथलीट ने रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जब विश्व कोविड–19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए एकजुट है तब आइओसी को भी ऐसा रवैया अपनाना चाहिए।

ओलंपिक के संभावित खिलाड़ियों की यह एकजुटता उन खिलाड़ियों का समर्थन है जिन्होंने 24 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के प्रति अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के वर्तमान रवैये के खिलाफ आवाज उठाई थी।

आइओसी ने सदस्य देशों से कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में पूछा

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपने सदस्य देशों से खिलाड़ियों की तैयारियों पर कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में पूछ रही है। आइओसी ने एक प्रश्नावली तैयार की है जिसका शीर्षक 'कोविड–19 और तोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां' है। इसमें ओलंपिक समितियों से पूछा गया है कि, 'कोविड–19 से संबंधित आपात दिशानिर्देश आपके खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और तैयारियों को कैसे सीमित करते हैं।

ओलंपिक मशाल देखने उमड़े लोग

कोरोना वायरस महामारी को लेकर दहशत के बावजूद उत्तर पूर्वी जापान में ओलंपिक मशाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। ओलंपिक मशाल शुक्रवार को जापान पहुंची थी और उसका सादे समारोह में स्वागत किया गया था। तोक्यो ओलंपिक 2020 पर वैसे विश्व भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण खतरा मंडरा रहा है और इन्हें स्थगित करने की मांग उठ रही है। सेंडाई के मियागी स्टेडियम में ओलंपिक मशाल को प्रदर्शित किया गया था और शनिवार को 50 हजार से भी अधिक लोग इसे देखने के लिए पहुंचे।

खाली समय में अभ्यास कर रहे कार्तिक

कोलकाता, 22 मार्च (भाषा)।

कोविड–19 महामारी के चलते किसी भी तरह के क्रिकेट मैच नहीं खेले जा रहे हैं। ऐसे में कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक घर पर रहकर इस समय का इस्तेमाल 'शैडो प्रेक्टिस' और ध्यान लगाने में कर रहे हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स ने अपने कप्तान की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वह छाया देखकर अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं।

केकेआर के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हो, पिछले दो–तीन दिन से मैं यही कर रहा हूं। क्रिकेट की काफी कमी खल रही है लेकिन खेल से जुड़े रहने के लिए जो भी कुछ मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि ये वो तीन चीजें हैं जो पिछले तीन दिनों से कर रहा हूं। सबसे पहले हर किसी से कम से कम छह फीट की दूरी बना रहा हूं, दूसरा हाथ धो रहा हूं और सबसे अहम चीज, जितना संभव हो घर पर रहकर सुरक्षित हूं। कार्तिक ने कहा कि याद रखिए, यह महज खुद की देखभाल करने के बारे में नहीं है बल्कि आपके चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी है।

'मैजिक ट्रिक्स' से अपना और प्रशंसकों का मनोरंजन कर रहे हैं श्रेयस : कोविड 19 महामारी के चलते मिले ब्रेक के कारण भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर कार्ड से जादू की 'ट्रिक्स' करके अपना और प्रशंसकों का मनोरंजन कर रहे हैं। साथ ही वे सामाजिक दूरी बनाए रखने पर बल भी दे रहे हैं। दुनिया भर में कोविड 19 के चलते क्रिकेट गतिविधियां या तो रद्द कर दी गई हैं या स्थगित हैं। बीसीसीआइ ने शनिवार को अय्यर का एक वीडियो ट्वीट किया जो अपनी बहन नताशा के साथ कार्ड का जादू दिखा रहे हैं।

कोरोना विषाणु से संक्रमित हुए डायबाला और मालदीनी

रोम, 22 मार्च (एएफपी)।

अर्जेंटीना के स्ट्राइकर पाउलो डायबाला ने कहा कि वह युवेंतस के तीसरे फुटबॉलर हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वहीं एसी मिलान के डिफेंडर पाओलो मालदीनी ने खुलासा किया की उन्हें और उनके बेटे को संक्रमण है।

छब्बीस वर्षीय डायबाला ने शनिवार को ट्वीट किया, 'मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि हमें कोविड–19 के परीक्षण का परिणाम मिल गया है तथा मेरा और (महिला मित्र) ओरियाना सबातीनी दोनों का परीक्षण पाजीटिव है। इतालियन चैंपियन युवेंतस ने कहा कि डायबाला को बुधवार से ही अलग थलग रखा गया है।

इस बीच एसी मिलान ने कहा कि टीम के तकनीकी निदेशक मालदीनी और उनके 18 वर्षीय बेटे और युवा टीम के खिलाड़ी डेनियल इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मिलान ने बयान में कहा कि पाओलो और डेनियल दोनों ठीक हैं और पिछले दो सप्ताह से अपने घर में ही हैं। वे इस बीच किसी के संपर्क में नहीं आए। वे पूरी तरह स्वस्थ होने तक अलग थलग रहेंगे।

शुरुआती नमूनों के 25 फीसद की ही जांच की : नाडा

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

कोविड 19 महामारी का असर भारत के डोप टेस्ट कार्यक्रम पर बुरी तरह से पड़ा है। अब शुरुआती नमूनों के सिर्फ 25 फीसद का ही संग्रहण को सकेगा। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजंसी के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा कि नाडा के पास इस समय डोप टेस्ट के लिए नमूने इकट्ठे करने वाले नहीं है क्योंकि अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं।

खेल से इतर करिअर पर ध्यान लगा रहे भारतीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी

नई दिल्ली, 21 मार्च (भाषा)।

कोविड 19 के चलते जबरन मिले ब्रेक के दौरान भारत के कुछ टेनिस खिलाड़ी खेल से इतर अपने करिअर पर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण सारे टूर्नामेंट रद्द या स्थगित हो चुके हैं जबकि जिम भी बंद हैं। फ्रेंच ओपन भी अब सितंबर–अक्तूबर में होगा।

हाल ही में डेविस कप टीम में पदार्पण करने वाले तमिलनाडु के जीवन नेदुंचेझियान पुडुच्चेरी में अपने पारिवारिक रिसॉर्ट की मार्केटिंग का काम देख रहे हैं। जीवन ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है। मैं पुडुच्चेरी में अपने रिसॉर्ट के काम में मदद कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हालात सुधरने पर अभ्यास शुरू कर सकेंगे। हम घर पर ही कसरत कर रहे हैं। सभी का हाल एक सा है। मुंबई के पूरव राजा ने कहा कि मैं रैकेट बनाने का व्यवसाय 'रेस्ट्रंग इंडिया' शुरू कर रहा हूं। आप यहां अपना रैकेट खुद बनवा सकते हैं। जर्मनी से एक विशेषज्ञ इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा कि हम सभी बस इंतजार कर रहे हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। उम्मीद है कि यह दौर जल्दी बीत जाएगा। हमारी आजीविका दाव पर नहीं लगी है लेकिन कइयों के लिए हालात खराब है।

शर्जील मामले में पीसीबी ने हफीज को फटकारा

कराची, 22 मार्च (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दागी शर्जील खान की वापसी पर सवाल उठाने के लिए मोहम्मद हफीज को लताड़ा है। उसने कहा है कि यह सीनियर हरफनमौला अपने साथी खिलाड़ियों की आलोचना करने और पीसीबी की राजनीति पर टिप्पणी करने के बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करे।

हफीज ने शर्जील को स्पॉट फिक्सिंग के कारण ढाई साल का प्रतिबंध झेलने के बाद राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलने का एक और मौका देने के पीसीबी के फैसले की आलोचना की थी। इससे दागी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में जगह देने की पीसीबी की नीति को लेकर चर्चा छिड़ गई है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार पीसीबी सीईओ ने कहा कि वर्तमान खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों की आलोचना करने या क्रिकेट बोर्ड की नीतियों के बारे में बात करने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विश्व क्रिकेट या क्रिकेट की विभिन्न चीजों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं लेकिन वे खिलाड़ियों और बोर्ड के सही और गलत के बारे में बात नहीं कर सकते। उन्हें यह क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए।

शर्जील पर 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में भ्रष्टाचार में अपनी भूमिका के कारण पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में पीसीबी ने उसकी सजा कम कर दी थी। हफीज ने कुछ साल पहले मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम में वापसी पर भी सवाल उठाए थे।

वसीम ने कहा कि हफीज को अन्य खिलाड़ियों के गलत और अच्छे पर बात करने के बजाय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर मोहम्मद हफीज से बात करूंगा।

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई–नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **30.04.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	निदेशक/गारंटर्स का नाम	कर्जदार का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	1. श्री विनोद सहवाग, (गारंटर) पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार सहवाग, एक्स–12 भूतल, हौज खास साउथ वेस्ट दिल्ली–110016, और: – डी–7/7228, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 2. श्रीमती मीनाक्षी सेहरावत, (गारंटर), पत्नी श्री विनोद सहवाग, एक्स–12 भूतल, हौज खास साउथ वेस्ट दिल्ली–110016, और: डी–7/7228, वसंत कुंज, नई दिल्ली –110070 3. श्री विष्णु मित्तल, (निदेशक और गारंटर) पुत्र श्री मांगे राम मित्तल, मकान नं. 136 दीपक विहार नजफगढ़ साउथ वेस्ट दिल्ली–110043 4. श्री हेमंत सुधीर मल्होत्रा, (निदेशक और गारंटर), पुत्र सुधीर मल्होत्रा, डी–7/7018, डी–ब्लॉक, वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास, वसंत कुंज साउथ वेस्ट दिल्ली–110070 5. मैसर्स वी एंड वी कॉर्पोरेशन प्रा. लि., (गारंटर), फ्लैट नं. 7228 सेक्टर–डी, पॉकेट–7, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 पर पंजीकृत कार्यालय 6. मैसर्स वीएचवी बेवरेजेज प्रा. लि., (गारंटर), फ्लैट नं. 7228 सेक्टर–डी पॉकेट–7 वसंत कुंज नई दिल्ली–110070 7. श्रीमती हानी पत्नी विष्णु मित्तल, (गारंटर), 37–ए रति राम पार्क नजफगढ़ धर्मपुरा नई दिल्ली 8. श्रीमती पूजा मल्होत्रा (गारंटर) पुत्री प्रमोद कृष्ण भटनागर, डी–7/7018 वसंत कुंज के पास, साउथ वेस्ट दिल्ली–110070 9. मैसर्स **Xalta** इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (गारंटर) पंजीकृत नं. आरजेड–37ए, नया बाजार रति राम पार्क, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043	मैसर्स **Xalta** फूड्स बेवरेजेज प्रा. लि.	व्यावसायिक सम्पत्ति नं. आर जेड–14/5, भूमि क्षेत्रफल 319 वर्ग गज, खसरा नं. 18/7/2 में से, गाँव नज़फगढ़, लक्ष्मी गार्डन, नज़फगढ़, नई दिल्ली–110043 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मीनाक्षी सेहरावत पत्नी श्री विनोद सहवाग के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – श्री कृष्ण कुमार की सम्पत्ति, दक्षिण में – मेन रोड, पश्चिम में – विशाल मेगा मार्ट, पूरब में – भगत सिंह की सम्पत्ति	06-09-2019 / रु. 12,26,44,570.35 (रु. बारह करोड छब्बीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ सत्तर और पैसे पैतीस मात्र) दिनांक 01.09.2019 से प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	₹ 630.00 लाख / ₹ 63.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	30-04-2020 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक	Account No. 601800301000395 Bank of Baroda, Ramnagar, New Delhi-110001. IFS Code VIJB0006018	श्री पी. गांग्टे मो. 9711908984
		मैसर्स **Xalta** फूड्स बेवरेजेज प्रा. लि.	रिहायशी सम्पत्ति नं. आर जेड–14/5ए, (नया नं.) आरजेड 14/5 (पुराना नं.) भूमि क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, खसरा नं. 18/7/2 में से, गाँव नज़फगढ़, लक्ष्मी गार्डन, नज़फगढ़, नई दिल्ली–110043 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री विनोद सहवाग पुत्र स्वं. श्री कृष्ण कुमार के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – श्री विनोद सहवाग की सम्पत्ति, पश्चिम में – श्री ललित सहवाग और जोगेन्दर सहवाग की सम्पत्ति, पूरब में – श्री विनोद सहवाग की सम्पत्ति	06-09-2019 / रु. 12,26,44,570.35 (रु. बारह करोड छब्बीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ सत्तर और पैसे पैतीस मात्र) दिनांक 01.09.2019 से प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	₹ 315.00 लाख / ₹ 31.50 लाख / ₹ 1.00 लाख	30-04-2020 from 01.00 P.M. to 03.00 P.M.	Account No. 601800301000395 Bank of Baroda, Ramnagar, New Delhi-110001. IFS Code VIJB0006018	श्री पी. गांग्टे मो. 9711908984

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें। धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 23.04.2020.

नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 13.04.2020 से 17.04.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक (रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई–नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन **https://bob.auctiontiger.net** के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल **https://bob.auctiontiger.net** देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 29.04.2020) को अपरा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, **where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).**
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल **https://bob.auctiontiger.net** पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 29.04.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरे प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल **https://bob.auctiontiger.net** पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – **06351896834** ईमेल : **delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net**, श्री नितिश झां, **7982880393,** हैल्प लाईन : **079-61200595/520/548.** हैल्प लाईन ईमेलः **support@auctiontiger.net** से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल **https://bob.auctiontiger.net** तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 23-03-2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 126, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com